खण्ड-152, अंक-4
गुरूवार, 3 चैत्र, शक संवत् 1877
(24 मार्च, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 152 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २४ मार्च, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इसराउल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेंद्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री

जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वार्शिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री

भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनेन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह, यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री

रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री

हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, २४ मार्च, १९५५

तारांकित प्रश्न

ग्राम पिलुई, जिला बलिया में भूतपूर्व जमींदारों और किसानों में संघर्ष

*१--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार को मालूम है कि गत १७ जून को पिलुई (जिला बलिया) में एक ताल के मामले को लेकर भूतपूर्व जमींदारों और किसानों में संघर्ष हो गया? अगर हां, तो क्या सरकार इसका पूरा विवरण देने का कष्ट करेगी?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)--जिला बलिया के ग्राम पिलुई से पश्चिम की ओर २ मील की दूरी पर स्थित पिलुई ताल के मामले को लेकर १७ जून सन् १९५४ ई० को एक बल्वा हुआ। उक्त ताल की ५४ बीघा आराजी को महेशराय नाम के एक व्यक्ति ने अपने निकट सम्बन्धियों की ओर से सादे पट्टे पर १२, १३ साल पहले खरीदा था और न्यायालय से उसका डिक्लेरेशन भी अपने नाम करा लिया था। १७ जून, १९५४ को जब महेश राय उक्त आराजी को जुतवा रहे थे, लाठी भालों से लैस १००, १५० व्यक्ति वहां पर आ पहुंचे। दोनों दलों में कुछ वादविवाद हुआ और बाद में बल्वा हो गया, जिसके फलस्वरूप श्री महेश राय की मृत्यु हो गयी। यह मामला इस समय अदालत में विचाराधीन है।

*२--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब तक उक्त संघर्ष के कारण कितने व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत--इस मामले के सम्बन्ध में ८० व्यक्तियों का चालान किया गया था, जिसमें से ३० को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शेष अदालत में स्वयं हाजिर हो गये।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि ये गिरफ्तारियां किन दफाओं के मातहत हुई हैं और दोनों पक्षों की गिरफ्तारियां हुई हैं या केवल एक ही पक्ष की?

श्री जगन प्रसाद रावत--ये गिरफ्तारियां बलवा और कत्ल की दफाओं के मातहत हुई हैं और गिरफ्तारियां ज्यादा एक ही पक्ष की हुई हैं। क्योंकि ज्यादती एक ही पक्ष की बतायी जाती है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि श्री महेशराय की जो मृत्यु हुई वह जहां बलवा हुआ वहां हुई या अस्पताल में या कहीं और रास्ते में हुई?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह तो तफसील की बात है और अदालत में इस सम्बन्ध में शहादतें होंगी। इसके कई वर्शन्स हो सकते हैं इसलिए मेरा इस सम्बन्ध में कुछ कहना मुनासिब नहीं मालूम होता है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि उनके पास इस बात की सूचना है कि श्री महेशराय जी, जब वह ताल जुतवाने के लिए गये तो उनके पास बन्दूक और पिस्तौल भी थे ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं चूंकि अदालत में मामला है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की शिकायत मिली है कि जब पुलिस पिलुई गांव में गिरफ्तारी करने के लिए गयी, तो उसने उस गांव के १५ घरों की सम्पत्ति की लूट भी की और तीन स्त्रियों के साथ बलात्कार भी किया ?

श्री जगनप्रसाद रावत---कुछ लोगों ने इस किस्म की शिकायत की थी, जो सही नहीं पायी गयी।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस बलवे की जांच-पड़ताल हुई है, उसमें दूसरे पक्ष को भी चोट आयी थी या सिर्फ एक ही पक्ष को चोट आयी थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---दूसरे पक्ष के भी कुछ लोगों को चोटें आयी थीं।

सुरियावां, जिला बनारस में पुलिस के अत्याचार

*३---श्री झारखंडे राय---क्या सरकार को शिकायत मिली है कि गत १२ नवम्बर को शनिवार के दिन सुरियावां कस्बे (जिला बनारस) में स्थानीय पुलिस के अधिकारी और कान्स्टेबिलों ने वहां के दो नागरिकों के साथ मारपीट की और उन्हें घसीटते हुए थाने ले गये ? अगर हां, तो सरकार की ओर से उस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---बनारस के कुछ दैनिक समाचार-पत्रों में ऐसा समाचार छपा था। जांच करने से विदित हुआ कि इस प्रकार की एक घटना १३ नवम्बर, सन् १९५४ को हुई थी। पुलिस द्वारा घसीटे जाने का आरोप निराधार सिद्ध हुआ। घटना से सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को उचित दण्ड देने के लिए विभागीय कार्यवाही हो रही है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि किस अधिकारी और सिपाही के खिलाफ कार्यवाही हो रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जब विभागीय जांच पूरी होने के बाद कार्यवाही पूरी हो जायगी तब ही उसकी सब बातें बतायी जा सकती हैं।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि पुलिस वालों ने जो दो व्यक्तियों को मारा उसका क्या कारण था ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह सब बातें जांच के दौरान में जो उनसे मालूम होंगी, तभी इस पर कुछ कहा जा सकता है। जैसा कि मैंने प्रश्नोत्तर में कहा कि सरकार को इस तरह का विश्वास हुआ कि अफसरों की तरफ से कुछ ज्यादती हुई तो तुरन्त ही कार्यवाही हुई, लेकिन पूरी कार्यवाही जांच के बाद ही हो सकती है और तभी कुछ बताया जा सकता है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिल मिर्जापुर)---क्या माननीय मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो व्यक्ति घसीटे या मारे गये हैं उनका नाम क्या था और वह कौन थे ?

श्री अध्यक्ष---जवाब में यह कह दिया गया है कि वह घसीटे नहीं गये थे।

श्री ब्रज भूषण मिश्र---जिनके बारे में मारे जाने या पीटे जाने की बात है, मैं उनके बारे में ही जानना चाहता हूं।

श्री जगनप्रसाद रावत---जहां तक मुझे मालूम है एक का नाम माताप्रसाद था और दूसरे सज्जन का नाम मुझे मालूम नहीं है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वह कौन से अफसर हैं जो इस मामले की जांच कर रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---वहां के स्थानीय अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही हो रही है, उनको जो नोटिस दिया गया है, उस नोटिस का आशय क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इस पूरी तफसील की मेरे पास नकल नहीं है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होने की बात कही गयी है, वह इस समय अपनी ड्यूटी पर हैं या मुअत्तिल हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---वह इस समय ड्यूटी पर नहीं हैं, या तो मुअत्तिल हैं या वहां से हटा दिये गये हैं।

बांदा में विद्युतकरण के लिये प्रदत्त आज्ञा की शर्तें

*४---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बांदा नगर के विद्युतकरण के लिए किसी कम्पनी को सन् १९५० में सरकारी आज्ञा प्रदान की गयी थी ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्म सिंह)---जी हां, सितम्बर, १९५० में बांदा एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, बांदा को इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० की धारा २८ के अन्तर्गत एक अस्थायी स्वीकृति शहर में बिजली देने के लिए दी गयी थी।

*५---श्री सुरेन्द दत्त वाजपेयी--- यदि हां, तो उस आज्ञा की क्या शर्तें थीं ?

श्री धर्मसिंह---यह स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर दी गयी थी :---

(१) कम्पनी लाइसेंस के प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना-पत्र इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० की धारा ३ के अनुसार सरकार के पास भेजे।

(२) ये अस्थायी स्वीकृति कम्पनी के काम चालू रखने के लिए दी जाती है और इसकी अवधि लाइसेंस प्रदान होने की तारीख तक रहेगी।

(३) इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० की धारा ९, ११, २६ व ४२ तथा उसकी अनुसूची के वाक्य खंड २, ३, ६, ७, ८, १०, १२, १७ और इन्डियन एलेक्ट्रिसिटी रूल्स, १९३७, के सभी आदेश कम्पनी पर उसी प्रकार बाध्य होंगे, जिस प्रकार वे लाइसेंसीज पर होते हैं।

*६---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या यह सत्य है कि उक्त बिजली कम्पनी ने इंजिन आदि लगा लिये हैं, और नगर में बिजली देने के लिए सरकार से बराबर आज्ञा मांग रही है। यदि हां, तो उसको किस परिस्थिति में यह आज्ञा नहीं दी जा रही है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, कम्पनी ने दो पुराने इंजन लगा लिये हैं, और बिजली देने की आज्ञा भी मांगी थी। चूंकि यह इंजन अच्छी हालत में नहीं थे, और उनसे ठीक तौर पर बिजली नहीं दी जा सकती थी ,इसलिए सरकार ने बिजली चालू करने की इजाजत तो दे दी थी, मगर साथ साथ एक यह भी शर्त लगा दी थी कि कम्पनी तीन महीने के अन्दर एक नया इंजन लगाले, जिससे कि मुस्तकिल तौर पर बिजली दी जा सके। कम्पनी को यह भी कहा गया था कि एक शख्सी जमानत इस नये इंजन के लगाने के वास्ते वह दे, मगर कम्पनी ने बजाय शख्सी जमानत देने के यह दरख्वास्त की कि वह बिजली को तब से देना शुरू करे जब से कि वह तीसरे इंजन को खरीद ले। सरकार ने इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। कम्पनी ने २८ फरवरी, सन् १९५५ तक इस नये इंजन को लगाने की इजाजत चाही थी, जो जिलाधीश बांदा ने दे दी थी। मगर नया इंजन अभी तक नहीं लगा है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या यह सही है कि १९५२ के आरम्भ में ही कम्पनी ने बिजली के लाइसेंस की कई दरख्वास्तें सरकार के पास भेजी थीं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, प्रार्थना-पत्र आये थे लेकिन उस कम्पनी ने उन शर्तों को जो उसको बतायी गयी थीं, पूरा नहीं किया , इसलिए उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या सरकार को ज्ञात है कि कम्पनी ने बिला लाइसेंस के उस नगर में कुछ समय तक मुफ्त बिजली दी थी। यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मसिंह---सरकार को इस बात की सूचना नहीं है कि उन्होंने इस प्रकार से बिजली दी थी या नहीं।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी---क्या सरकार इस प्रकार की आज्ञा देगी कि जो इंजन इस समय लगा हुआ है, उसी से कुछ समय तक वह बिजली कम्पनी नगर को बिजली दे दे ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं, जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि २८ फरवरी, सन् १९५५ तक वह सभी इंजनों को लगा दे। जब तक सभी शर्तें पूरी नहीं हो जातीं इजाजत नहीं दी जा सकतीं।

१९५४ में मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों के दौरों तथा उनके ट्रंक कालों पर व्यय

*७---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५४ ई० में प्रत्येक मन्त्री, उपमन्त्री और सभासचिव के दौरों पर अलग-अलग कितना-कितना सरकारी रुपया व्यय हुआ ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---मन्त्रियों को टी० ए० (भत्ते) के रूप में कोई रुपया नहीं दिया जाता है। उनको दौरे के समय कुछ सुविधायें प्रदान की जाती हैं, मसलन रेल पर, हवाई जहाज, मोटर कार पर अथवा कुली वगैरह पर जो वास्तविक खर्चा होता है, वह सब सरकार देती है। जो सरकारी रुपया इस प्रकार सन् १९५४ में व्यय हुआ है, उसका ब्योरा मेज पर रक्खा है।

उपमन्त्री और सभासचिव के दौरों पर जो सरकारी रुपया सन् १९५४ ई० में व्यय हुआ है, उसका ब्योरा भी मेज पर रक्खा है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३५९-३६० पर)

*८---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५४ ई० में प्रत्येक मन्त्री, उपमन्त्री और सभासचिव के टेलीफोन के ट्रंक काल पर अलग-अलग कितना सरकारी रुपया व्यय हुआ ?

श्री हुकुमसिंह--अक्तूबर, सन् १९५४ ई० तक के बिल अभी तक एकाउन्ट्स ऑफिसर टेलीफोन के यहां से प्राप्त हुए हैं और जिनका भुगतान कर दिया गया है, उनका ब्योरा मेज पर रक्खा है। उक्त ब्योरे में प्रत्येक मन्त्री, उपमन्त्री और सभासचिव के टेलीफोन के ट्रंक काल पर अलग-अलग जो सरकारी व्यय हुआ है, वह दर्ज है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार अलग-अलग टोटल बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह--सूची आपके पास है, टोटल उसमें से जोड़ लीजिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मन्त्री जी अलग अलग यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक मन्त्री पर अलग-अलग कितना खर्च हुआ ?

श्री अध्यक्ष--यह बहुत ब्योरे का सवाल है, वे केवल उसके टोटल ही बता सकते हैं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--क्या माननीय मन्त्री जी टोटल ही बता देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह--भत्ते और टी० ए० का खर्चा इस प्रकार है :--

मन्त्री		उप-मन्त्री		सभासचिव	
रु०	आ०	रु०	आ०	रु०	आ०
९४,८७४	०	१९,९९५	४	१२,४२३	१०

ट्रंक काल्स पर जो खर्चा हुआ, वह इस प्रकार है :--

मन्त्री		उप-मन्त्री		सभासचिव	
रु०	आ०	रु०	आ०	रु०	आ०
३१,६८७	१	३,५१४	६	१,३१६	१५

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)-- क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उपमन्त्री तथा सभासचिव जिस समय दौरे पर रहते हैं, क्या उस समय उनको डेली एलाउंस दिया जाता है ?

श्री हुकुम सिंह---इसके नियम हैं, मैं प्रश्नकर्त्ता महोदय की तवज्जह उन नियमों की तरफ दिलाऊंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मंत्रियों के इस दौरे के खर्च में वह खर्च भी शामिल है जो कि वे अपने घर जाया करते हैं ?

श्री हुकुम सिंह--कायदे से जो खर्चा एलाउड है, वह सब शामिल है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मन्त्रिगण दौरे पर दैनिक भत्ता क्या लेते हैं ?

श्री अध्यक्ष--यह तो बतला दिया गया है कि उनको भत्ता नहीं मिलता है।

श्री श्रीचन्द्र--क्या सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई बात है कि मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभासचिवों के दौरे का समय निर्धारित हो ?

श्री हुकुमसिंह---ऐसा कोई खयाल है नहीं।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कृषि मन्त्री और रसद पूर्ति मन्त्री के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के दौरे का भत्ता अलग अलग क्या है ?

श्री अध्यक्ष---आप श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य से लेकर देख लें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---यह जो प्रश्न पूछा गया है कि जब मंत्री लोग कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में जाते हैं तो भी भत्ता लेते हैं ? हो सकता है कि सरकार के पास इसका जवाब नहीं हो, तो अगर आप जवाब देने की आज्ञा नहीं देंगे तो सरकार के साथ अन्याय होगा। इसलिये मैं फिर निवेदन करूंगा कि इसका जवाब देने की आप इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष---अन्याय या जो कुछ हो, लेकिन प्रश्न इससे उठता नहीं है। यह आक्षेप है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ट्रंक काल का जो खर्चा है उसमें सबसे कम किस सभा सचिव का है?

श्री अध्यक्ष---यह भी माननीय सदस्य लिस्ट लेकर देख सकते हैं। मैं ब्योरे में जाने की अनुमति नहीं दूंगा।

देवरिया जिले के जुडिशियल मजिस्ट्रेट और उनके कार्य

*९---श्री गेंदासिंह---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि देवरिया जिले में इस समय कितने जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, कहां पर वे इजलास करते हैं तथा किस किस तहसील का मुकदमा देखते हैं ?

श्री हुकुमसिंह---इस समय देवरिया जिले में पांच जुडिशियल अफसर हैं। इनमें से चार देवरिया में तथा एक कसया में इजलास करते हैं। इनमें काम के विभाजन का ब्योरा जो इस समय लागू है संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३६१ पर)

*१०---श्री गेंदासिंह---क्या यह सच है कि देवरिया में दो तहसीलों का काम देखने के लिये तीन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट काम करते हैं ?

श्री हुकुमसिंह---जैसा कि संलग्न तालिका से स्पष्ट है जुडिशियल अफसरों में काम का विभाजन तहसीलवार नहीं किया गया है किन्तु कार्य की स्थिति के अनुसार किया गया है, अतएव देवरिया व सलेमपुर तहसीलों के लेन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अतिरिक्त अन्य माल के मुकदमें और सेशन के मुकदमों के अतिरिक्त भारतीय दंड विधि के मुकदमें तीन जुडिशियल अफसरों में विभाजित है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३६१पर)

*११---श्री गेंदासिंह---जुडिशियल ड्यूटी के अलावा क्या क्या कार्य इस जिले में किस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से कराया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह---मुकदमें सुनना तथा उनसे संबन्धित कार्यवाही करना ही इन अफसरों का मुख्य कार्य होता है, पर समय समय पर इनके सुपुर्द क्या और काम किया जाय यह जिलाधीश निश्चय कर सकते हैं क्योंकि इस जिले में (Separation Scheme) लागू नहीं है।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कसिया में २ तहसीलों के मुकदमें देखने के लिये १ ही आफिसर क्यों रखे गये हैं जब कि पहले २ या ३ काम करते थे ?

श्री हुकुमसिंह---वहां काम अब कुछ कम है।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन मुकदमों की संख्या क्या है जो हाटा और पडरौना के कसिया में चल रहे हैं, और दूसरी तहसीलों के देवरिया में चल रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह---अलग-अलग ब्योरा मेरे पास नहीं है, इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि अब भी देवरिया की हाटा तहसील के मुकदमें देवरिया में देखे जाते हैं ?

श्री हुकुमसिंह---इसके लिये भी नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि हाटा के मुकदमों को कसिया में देखने का सरकार का आदेश हो चुका है, लेकिन अब भी हाटा के मुकदमें देवरिया में देखे जा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह---इसके लिये भी नोटिस की आवश्यकता है, डिटेल मेरे पास नहीं है।

श्री गेंदा सिंह---क्या सरकार को जानकारी है कि एक ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो देवरिया के हैं उनको ३ तहसीलों के सेशन केस देखने का अधिकार दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह---सम्भवतः ऐसा है।

विद्युत विभाग के स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारी

*१२---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विद्युत विभाग में कुल कितने स्थायी तथा कितने अस्थायी कर्मचारी हैं, तथा सरकार अस्थायी कर्मचारियों में से इस वर्ष कितने कर्मचारियों को स्थायी करने जा रही है ?

श्री धर्मसिंह---इस समय विद्युत विभाग में कुल १८५९ स्थायी तथा २९२९ अस्थाई पद हैं जिनमें से ६९४ पदों को इस साल स्थायी करने का प्रस्ताव है।

आलमबाग, जिला लखनऊ की पुलिस की मारपीट से जाटव नवयुवक की मृत्यु

*१३---श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)---क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में आलमबाग, जिला लखनऊ की पुलिस की मारपीट के फलस्वरूप एक जाटव नवयुवक की मृत्यु हो गई ?

*१४---क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई ? यदि हां, तो सरकार उसके बारे में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह सही है कि ४ दिसम्बर १९५४ को श्री मैकूलाल नामक एक व्यक्ति की मृत्यु बस से गिर कर चोट खा जाने की वजह से हुई। इस सम्बन्ध में जो मैजिस्टीरियल इनक्वायरी हुई उससे यह साबित नहीं होता कि पुलिस की मारपीट से मृत्यु हुई परन्तु सरकार पुलिस के इस कार्य से संतुष्ट नहीं है कि मैकूलाल को बस से गिर जाने के बाद पहले सीधे अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया ? इस सम्बन्ध में अभी जांच जारी है और उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री वीरेन्द्र पति यादव---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस व्यक्ति की मृत्यु थाने के अन्दर हुई थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---थाने के बाहर हुई थी।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस स्थान पर मृत्यु हुई वह थाने से कितनी दूर है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---थाने के कुछ ही दूर है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह आदमी बस से किस तिथि को गिरा और मृत्यु किस समय हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत---वह बस से, जैसा मैंने कहा, ४ दिसम्बर को गिरा और उसके बाद अगले दिन सुबह को उसकी मृत्यु हो गई।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह व्यक्ति रात भर थाने में रहा ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जी हां।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस मामले की जांच सी० आई० डी० ने की है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जी नहीं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये कर्मचारी जिनके खिलाफ शिकायत हुई है, वे अब भी थाने में है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जैसा मैंने कहा कि मैजिस्टीरियल इनक्वायरी से बात साबित नहीं हुई कि किसी की मारपीट के फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, बल्कि जैसा मैंने कहा कि उस लापरवाही की जांच हो रही है जिसके कारण उसको अस्पताल न लेजाकर थाने पर ले जाया गया। इसके साथ ही मैं यह भी बता दूं कि जो उसके पिता हैं और जो उस के भतीजे हैं उन के भी बयान मैजिस्टीरियल इनक्वायरी में हुये हैं कि उसकी मृत्यु थाने के बाहर हुई है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वह जाटव जो मरा उसकी पोस्ट मार्टम एक्जामीनेशन की रिपोर्ट क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---हां, पोस्टमार्टम भी हुआ और वह भी मैजिस्टीरियल इनक्वायरी के सामने रखा गया।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी इसकी जुडिशियल इनक्वायरी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---मैजिस्टीरियल इनक्वायरी तो हो रही है लेकिन जुडीशियल इनक्वायरी करने का तो कोई विचार नहीं है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब इस व्यक्ति की मृत्यु हो गयी, तब इसके पिता को बुलाया गया और उसके बाद उसको उसकी लाश दी गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---उसके पिता और भतीजे ने जो बयान दिये हैं, उन्होंने तो यह कहा है कि उनको वह जिन्दा मिला और असल में थाने से बाहर जाकर उसको मृत्यु हुई।

जौनपुर जिले की कोआपरेटिव सोसाइटियां

*१५---श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर में कुल कितनी रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहिम)---१,०७७ रजिस्टर्ड सहकारी समितियां हैं।

*१६--श्री बाबूनन्दन (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त सोसाइटियों की देख-रेख के लिए कुल कितने आफिसर जिले में रक्खे गये हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--उपर्युक्त सहकारी समितियों की देख रेख के लिए एक अधोषित जिला सहकारी अधिकारी, चार इन्स्पेक्टर और २६ सहकारी सुपरवाइजर नियुक्त हैं।

टेहरी-गढ़वाल जिले की सहकारी समितियां

*१७--श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि टेहरी जिले में सन् १९५४ अक्तूबर तक कुल कितनी सहकारी समितियां बनी हैं ?

श्री धर्मसिंह--१३७ ।

*१८--श्री सत्यसिंह राणा--क्या सरकार सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने और उन्नत बनाने के हेतु टेहरी जिले में एक सहकारी बैंक की शाखा खोलने का विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह --सरकार ने प्रान्तीय सहकारी बैंक को यह सुझाव दिया था कि वह अपनी एक शाखा टेहरी जिलें में खोल दे, परन्तु बैंक की कार्यकारिणी समिति ने यह प्रस्ताव स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की है।

श्री सत्यसिंह राणा--क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी कि जिससे टेहरी में बैंक की शाखा खोलने को स्वीकार नहीं किया गया है ?

श्री धर्मसिंह--पहला कारण तो यह था कि उन्होंने सरकार से प्रार्थना की थी कि ३० हजार रुपया उनको मिल जाय, तो वह उसको खोल सकते हैं। दूसरा कारण यह था कि जितना रुपया उसमें खर्च होगा, उसके अनुपात में शायद उतनी आमदनी वहां न हो सके, और तीसरा कारण था कि जितनी अमानतें बैंकों को खोलने में कहीं पर मिल सकती हैं वह शायद टेहरी में न मिलें।

श्री सत्यसिंह राणा--क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि वहां की सहकारी समिति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वहां बैंक की शाखा खोलने के प्रश्न पर पुनःविचार करेगी ?

श्री धर्मसिंह--इस समय तो विचार नहीं है। आगे यदि आवश्यकता होगी, तो सरकार अवश्य विचार करेगी।

टेहरी-गढ़वाल में डिमार्केशन का कार्य

*१९--श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल) (अनुपस्थित)--क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि टेहरी गढ़वाल में Demarcation का कार्य कब से शुरू किया गया था, और उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है और कितना व्यय हुआ है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--दिसम्बर, १९५३ में यह काम शुरू किया गया। उसमें अब तक २१,१६८ रु० का व्यय हो चुका है और जो कार्य हुआ है, उसका विवरण निम्नलिखित है :--

(१) ११९ मील २ फर्लांग, ८ चेन बाहरी सीमा, १२६ मील १ फर्लांग अन्दर की सीमा तथा १०३ चकों का सरवे किया गया।

(२) २६१ मुनारें भूमि पर अंकित कर दी गयी हैं और पक्की मुनारें बनाने का कार्य भी हो रहा है।

*२०--श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी की टेहरी-गढ़वाल में Demarcation के फलस्वरूप अब तक कितनी भूमि जंगलात के क्षेत्र से मुक्त हुई है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---डिमार्केशन के फलस्वरूप जंगलात से किसी भूमि को मुक्त करने का विचार सरकार का नहीं है, यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य बन-विच्छेद से है। डिमार्केशन का कार्य करने का उद्देश्य यह है कि गांव की आबादी और वनों के बीच १५० फीट की एक पटरी ग्रामीणों द्वारा कृषी-करण और उद्यानी-करण के लिये छोड़ दी जाय इस पटरी का विच्छेद नहीं किया जायगा।

आजमगढ़ जिले के मऊ गोली कांड के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां

*२१---श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़ के मऊ गोलीकान्ड के सम्बन्ध में कुल कितनी गिरफ्तारियां की गयीं और उनमें कुल कितने कम्युनिस्ट हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत---कुल ३७ गिरफ्तारियां हुईं। सभी व्यक्ति कम्युनिस्ट विचार धारा से प्रेरित बतलाये जाते हैं।

*२२---श्री श्रीनाथ---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुल गिरफ्तार किये गये लोगों में कितने घटनास्थल पर गिरफ्तार हुए, कितने अपने घरों से गिरफ्तार किये गये और कितनों ने अपने को समर्पित किया?

श्री जगनप्रसाद रावत---घटनास्थल पर कोई गिरफ्तार नहीं हुआ था। २८ व्यक्ति घरों से गिरफ्तार किये गये थे और ९ ने अपने को अदालत में समर्पित किया।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि यह जो गिरफ्तार किये गये हैं, उनमें कितने हरिजन लोग हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत---गिरफ्तारी करते समय जाति-विरादरी पूछकर नहीं गिरफ्तार किया गया।

श्री श्रीनाथ---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मऊ के कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों की कोई सूचना उनके पास है?

श्री जगनप्रसाद रावत---हां, सूची तो सभी लोगों की रहती है।

श्री श्रीनाथ---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन लोगों को गिरफ्तार करवाने में म्युनिसिपल बोर्ड के ओवरसियर भी पुलिस के साथ थे?

श्री जगनप्रसाद रावत---सम्भव है, रहे हों।

श्री श्रीनाथ---क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो लोग इसमें गिरफ्तार किये गये हैं, उसमें कुछ लोगों के पूरे परिवार ही गिरफ्तार कर लिये गये हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह भी सम्भव हो सकता है।

श्री अध्यक्ष---(श्री श्रीनाथ से) आप अपना उद्देश्य साफ प्रकट करें, तो उचित होगा।

श्री श्रीनाथ---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ये लोग जो अपने को अदालत में समर्पित किये हैं, वही कम्युनिस्ट पार्टी के हैं और बकिया लोग कम्युनिस्ट पार्टी के नहीं हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत---मैंने प्रश्नों के उत्तर में यह तो नहीं कहा कि सभी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। यह कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी से प्रेरित लोगों ने यह काम किया और वही लोग गिरफ्तार हुए।

श्री राजनारायण---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मऊ गोलीकांड के सम्बन्ध में कुछ पुलिस के सिपाही भी गिरफ्तार किये गये थे?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसकी कोई सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पुलिस के जि लोगों के नाम उस चौकीदार ने बतलाये थे, उनके ऊपर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—यह चौकीदार कहां से ले आये, इसमें उसका कोई जिक्र नहीं है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को यह मालूम है कि जिन सिपाहियों के नाम चौकीदार ने बतलाये थे, वे सिपाही मुकदमे के अन्दर आये और उनके ऊपर जब जमानत की दरख्वास्त पड़ी . . .

श्री अध्यक्ष—पहले आप चौकीदार के बारे में प्रश्न पूछें।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतलायेगी कि चौकीदार ने सिपाहियों के नाम बतलाये थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार को मालूम है कि गिरफ्तारशुदा लोग थाने में ला कर कई रोज तक रक्खे गये थे और मारे गये थे, उनसे रुपया लिया गया और इसकी कुछ शिकायतें आपके पास आयी हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—हां, शिकायतें तो कई तरह के लोगों ने कीं।

श्री श्रीनाथ—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि घटनास्थल पर गिरफ्तारियां क्यों नहीं की गयीं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—क्योंकि वहां इतना बलवा और शोरगुल था कि जो लोग हिस्सा लेने वाले थे, वे सब वहां से भाग गये।

श्री श्रीनाथ—क्या सरकार को पता है कि सही गिरफ्तारियां करने के लिए भीड़ के चित्र भी सरकारी अधिकारियों नें लिये थे?

श्री जगनप्रसाद रावत—संभव है, चित्र लिया हो, लेकिन इसकी कोई इत्तिला मेरे पास नहीं है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को पता है कि जब माननीय मुख्य मन्त्री ने इस घटना का जिक्र किया था, तो बयान करते हुए कहा था कि चौकीदार ने कुछ सिपाहियों के नाम बतलाये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—चौकीदारों व सिपाहियों का जिक्र तो बलवे से पहले की स्थिति की बात है, जिस वक्त यह हुआ कि गिरफ्तारी करके लोगों को लाया गया और उसके बाद तक जितनी घटनायें हुईं, वे उसके पश्चात् की हैं। इसलिए दोनों घटनाओं को मिलाने में थोड़ा सा भ्रम होता है।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि यह घटना क्या है, जिसमें इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसके सिलसिले में जैसा अभी माननीय राजनारायण जी ने कहा, माननीय मुख्य मन्त्री जी का बयान हो चुका है, और तफसील में पहले भी बतलाया जा चुका है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इन २८ आदमियों में जो गिरफ्तार किये गये हैं, केवल ५ ही कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर हैं, जो कचहरी में बाद को हाजिर हुए थे, और बाकी सब साधारण आदमी हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--मैंने कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी के कितने मेम्बर हैं, यह तो नहीं कह सकता लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर और उनसे प्रेरित लोग इस में अवश्य थे ।

सहकारी संघ, तुलसीपुर बाजार, जिला गोंडा में गबन की शिकायत

*२३--श्री उम्मेदसिंह (जिला गोंडा) --क्या सरकार के पास सहकारी संघ तुलसीपुर बाजार (जिला गोंडा) के सम्बन्ध में शिकायतें आयी हैं कि उपरोक्त संघ की निधि में सात हजार रुपयों का घाटा और गबन है ?

श्री धर्मसिंह--सहकारी संघ तुलसीपर बाजार, जिला गोंडा के सम्बन्ध में गबन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सोसाइटी का आडिट हो रहा है और आडिट रिपोर्ट आने पर ही संघ की निधि में घाटा और गबन का सही आंकड़ा मालूम हो सकता है ।

श्री उम्मेदसिंह--क्या सरकार को मालूम है इस गबन के सिलसिले में सहकारी संघ तुलसीपुर बाजार में नये चुनाव द्वारा मौजूदा पदाधिकारियों को हटा दिया गया था ?

श्री धर्मसिंह--इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है ।

श्री उम्मेदसिंह--क्या सरकार को इसकी भी सूचना नहीं है कि वहां के इन्सपेक्टर ने इस चुनाव को अवैध घोषित किया ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि गबन किस समय हुआ और कब इसकी शिकायत हुई ?

श्री धर्मसिंह--यह गबन अब से ५ महीने पहले हुआ ।

बुलन्दशहर जिले के ग्रामों में बिजली का वितरण

*२४--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले की किस-किस तहसील के किन ग्रामों में रोशनी के लिए बिजली दी जा रही है ?

श्री धर्मसिंह--बुलन्दशहर जिले की भिन्न-भिन्न तहसीलों के उन ग्रामों और कस्बों की, जहां रोशनी के लिए बिजली दी जा रही है, एक सूची माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३६२-३६३ पर)

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गांवों को छांटते समय उन्होंने किन-किन मुख्य बातों को ध्यान में रखा था ?

श्री धर्मसिंह--जहां जहां भी आसानी से बिजली पहुंच सकती थी, गांवों को छांटते समय केवल इसी बात का ख्याल रखा गया था ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मन्त्री जी तहसील सिकन्दराबाद में कुछ अन्य गांवों को बिजली देने के लिए, इसमें बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह--इस वक्त तो हमारा कोई विचार नहीं है, लेकिन ज्यों-ज्यों आगे बिजली पैदा होती जायगी, और ज्यों-ज्यों बिजली और दूसरी जगह पहुंच सकेगी, हम अवश्य विचार करेंगे ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मन्त्री जी दादरी कस्बे में जो जी० टी० रोड पर एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र है, बिजली पहुंचाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--यह तो पहले उत्तर में ही सम्मिलित है ।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि कितने गांव बुलन्दशहर में हैं, जिन को बिजली दी जा रही है ?

श्री धर्मसिंह--भिन्न-भिन्न तहसीलों में ३८ के करीब गांव हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मन्त्री जी, जो अनूपशहर तहसील में केवल एक ही गांव में बिजली देने के लिए रखा है, वहां जहां अन्य गांवों को बिजली की लाइन पहुंचने की सुविधा है, बिजली देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

काटेज इंडस्ट्रीज के लिये खटीमा पावर हाउस से बिजली देने का इरादा

*२५--श्री रामभजन (जिला खीरी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि काटेज इंडस्ट्रीज के लिए खटीमा पावर हाउस से बिजली देने का जो वह इरादा रखती है, उसमें लाइन से बिजली मांगे हुए स्थान तक जो वायर तथा पोल इत्यादि का व्यय होगा, उसे कौन बरदाश्त करेगा ?

श्री धर्मसिंह--शहरी इलाके में सर्विस लाइन बनाने की कीमत यदि उसकी लम्बाई १०० फीट से ऊपर हो तो १०० फीट से ऊपर लाइन की कीमत कनज्यूमर को देनी पड़ती है । देहाती इलाके में कन्ज्यूमर को उस एच० टी० और एल० टी० लाइन जोकि उस के लिए बनानी पड़ती है, उसकी कीमत का ८ फीसदी सालाना १२ मासिक किस्तों में देना पड़ता है । इस के अलावा शहरी इलाकों की तरह सर्विस लाइन की कीमत भी कन्ज्यूमर को बरदाश्त करनी पड़ती है ।

श्री रामभजन--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पावर हाउस से बिजली कब तक मिलना शुरू होगी ?

श्री धर्मसिंह--इस के लिए नोटिस की आवश्यकता है ।

चुनार, जिला मिर्जापुर में बिजली की व्यवस्था

*२६--श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चुनार जिला मिर्जापुर में विद्युत प्रकाश की व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री धर्मसिंह--जी हां, चुनार को १९६० में रिहन्द बिजलीघर के चालू होने पर बिजली देने का विचार है ।

श्री राजकुमार शर्मा--क्या सरकार को पता है कि चुनार रेलवे स्टेशन पर और किले में रेलवे की ओर से बिजली की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या सरकार सिर्फ आधे हिस्से के लिए उस से बिजली की सहायता लेने का विचार करेगी ?

श्री धर्मसिंह--जी हां । अगर इस तरह की कोई बात नोटिस में लायी गयी, तो अवश्य विचार किया जायगा ।

मिर्जापुर जिले के पर्वतीय बनों का सर्वे

*२७--श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार मिर्जापुर जिले के पर्वतीय बनों के समूचे क्षेत्र का सर्वे करा कर और जड़ी-बूटियों की उपज का पता लगा कर उसके विकास का प्रबन्ध करने का विचार रखती है ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--इन वनों का सर्वे तो किया जायगा, परन्तु वह यह मालूम करने के लिए होगा कि कितना क्षेत्र इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट के अन्तर्गत सुरक्षित बन बनाया जाय। जो जड़ी बूटियां इन क्षेत्रों में उपलब्ध हैं, उनकी खोज से इस सर्वे का कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जड़ी-बूटियों की खोज के बारे में सरकार कोई योजना बनाकर इसकी व्यवस्था करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह तो जब कभी उसका वर्किंग प्लान बनेगा, तो उसमें देखा जायगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या मन्त्री जी को पता है कि शहरी और जंगली जातियों के लोग शहर में बहुत सी जड़ी-बूटियां लाकर बेचते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--सम्भव है बेचते हों ?

ग्राम चितारा, थाना दीदारगंज, जिला आजमगढ़ में साम्प्रदायिक बलवा

*२८--श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार को ज्ञात है कि हाल ही में ग्राम चितारा, थाना दीदारगंज, जिला आजमगढ़ में साम्प्रदायिक बलवा हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका विवरण देगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--ग्राम चितारा, थाना दीदारगंज, में ६-७ फरवरी, १९५५ को एक बलवा हुआ था, किन्तु वह साम्प्रदायिक नहीं था। घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३६४ पर)।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या गृह मन्त्री जी को ज्ञात है कि चितारा गांव में जो घटना हुई थी, उस घटना के पहले दीदारगंज पुलिस स्टेशन के रजिस्टर में आपसी तनातनी की रिपोर्ट थी और वहां के इन्चार्ज ने कोई कार्यवाही नहीं की मनमुटाव को मिटाने के लिए ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो यह घटना घटी है उसकी रिपोर्ट थाने के रजिस्टर में कब हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह सारी तफसील मेरे पास नहीं है।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार बतायेगी कि जो विवरण सरकार ने प्रश्नकर्त्ता को दिया है यह किसके द्वारा तैयार किया गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जिलाधिकारियों से जो विवरण मिला है, वह आपके सामने रख दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय गृह मन्त्री जी को ज्ञात है कि १३-२-५५ की रात को माननीय गृह मन्त्री के यहां वहां के कुछ लोगों ने पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ़ कोई दरख्वास्त दी थी इस घटना के सम्बन्ध में ? यदि हां, तो उसकी जांच किसके द्वारा करायी गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--माननीय सदस्य को जब ज्ञात है कि दरख्वास्त दी गयी थी, तो जांच उसकी जिलाधिकारियों के द्वारा हुई होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार इस तरह की व्यवस्था करेगी कि जो शिकायत की दरख्वास्त चितारा गांव की पुलिस के खिलाफ दी गयी है, उसकी जांच किसी ऐसे जूडिशयल मैजिस्ट्रेट के द्वारा करायेगी, जो पुलिस से प्रभावित न हो ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता। यह जो आपने "पुलिस से प्रभावित न हो" शब्द कहे, इनको निकाल कर आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय गृह मन्त्री जी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से जांच करवायेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अगर आवश्यक समझेंगे, तो इस पर विचार करेंगे।

श्री जोरावर वर्मा—क्या गृह मन्त्री जी इस बलवे का क्या कारण था, बताएंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह तो बहुत तफसील की बात है। अगर आप विवरण पढ़ लें तो आपको मालूम हो जायगा।

साधारण श्रेणी के कैदियों को पोस्टकार्ड आदि देने का नियम

*२९—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेलों के अधिकारियों के पास कोई इस आशय का राज्यादेश भेजा है कि साधारण श्रेणी के कैदियों को पत्र लिखने के लिए केवल पोस्ट कार्ड ही दिया जाय ? यदि हां, तो क्यों ?

कारावास उपमंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—सरकार ने ऐसा कोई राज्यादेश जेलों को नहीं भेजा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस सिलसिले में मौजूदा कायदा क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—इस सिलसिले में आम तौर से साधारण श्रेणी के कैदियों को पत्र लिखने के लिए पोस्ट कार्ड ही दिये जाते हैं, परन्तु यदि किसी कैदी को लिफाफा भेजने की आवश्यकता हो और सुपरिन्टेंडेंट उसको मान ले, तो उसको लिफाफे भी दिये जाते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मन्त्री जी तमाम जेलों को ऐसा हुक्म भेजने की कृपा करेंगे कि बिना सुपरिन्टेंडेंट की मंजूरी के भी सिर्फ कैदी के चाहने के बाद भी उसको लिफाफा भी दिया जाय ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह मैंने जो कायदा पढ़ा है, यह जेल मैनुअल की एक दफा है। तो जो आप कह रहे हैं, उसमें तरमीम की जरूरत होती है।

लखनऊ सचिवालय के स्थानान्तरित अधिकारियों की कोठियां

*३०—श्री नेत्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ से सचिवालय के जिन अधिकारियों का सचिवालय से बाहर तबादला हो गया, है उन्होंने अपनी कोठियां अभी खाली नहीं की हैं ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, सम्बन्धित अधिकारी से कहा गया था, कि वे बंगले को खाली कर दें। चूंकि उस बंगले में उनके परिवार के लोग अभी रह रहे हैं, इसलिए जिलाधीश, लखनऊ उन लोगों के लिए उपयुक्त मकान का प्रबन्ध कर रहे हैं।

श्री नेत्रपाल सिंह—क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने ऐसे मकान हैं, जिनमें अभी तक रिटायर्ड तथा जिनके तबादले हो गये हैं, उनके परिवार वाले रहते हैं ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

उन्नाव जिले के कत्ल और डाके

*३१—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन्नाव जिला में एक वर्ष के भीतर ३१ दिसम्बर, १९५४ तक कितने कत्ल हुए और कितने डाके पड़े ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—६५ कत्ल हुए और १३ डाके पड़े ?

*३२—श्री देवदत्त मिश्र (अनुपस्थित)—उक्त डकैतियों और कत्लों में कितने मामलों का पुलिस ने चालान किया और कितने लोगों को सजा हुई।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—६ डकैती के मामलों में चालान हुआ जो सब अभी तक न्यायालय में विचाराधीन हैं। ४३ कत्ल के मामलों में चालान हुआ। अभी तक कुल ४२ व्यक्तियों को जो ११ मामलों से सम्बन्धित थे, सजा हुई है।

*३३—श्री रामेश्वर लाल—[७ अप्रैल, १९५५ के लिए स्थगित किया गया।]

जसपुर टाउन एरिया, जिला नैनीताल द्वारा काशीपुर पावर हाउस से बिजली की मांग

*३४—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या जसपुर टाउन एरिया जिला नैनी ताल ने यह मांग की है कि उक्त कस्बे को भी काशीपुर पावर हाउस से बिजली प्रदान की जाये ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार अपने से ही जसपुर टाउन एरिया को बिजली प्रदान करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—इस वक्त तो कोई विचार नहीं हो रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि काशीपुर कालोनाइजेशन की बिजली जसपुर से १९ मील पर पहुंच चुकी है ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिए तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि भविष्य में इस प्रश्न पर विचार किया जायगा, और सारदा पावर हाउस से जसपुर टाउन एरिया को बिजली दी जायगी ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, अवश्य विचार किया जायगा।

भुजाण से बेताल घाट तक शारदा ट्रांसमिशन लाइन की शाखा निकालने की मांग

*३५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या कोस्यां, जिला नैनीताल की जनता ने यह मांग की है कि भूजाण से बेतालघाट तक शारदा ट्रांस्मिशन लाइन की शाखा निकाल दी जाय ताकि सिंचाई तथा अन्य कार्यों के हेतु बिजली का प्रयोग हो सके ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि नैनीताल उत्तरी क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य ने माननीय वित्त मन्त्री जी को इस भुजाण से बेतालघाट पम्पिंग स्कीम के सम्बन्ध में कोई पत्र लिखा था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

श्री धर्मसिंह—सर्वे वहां पर कराया। उसमें यह निर्णय हुआ कि भुजाण, जो ११ के० वी० लाइन पर है, उसको बिजली देने का सरकार का विचार है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह है कि भुजाण से बेतालघाट तक जो सिंचाई योजना पम्पिंग स्कीम के लिए है, उसमें सरकार ने क्या विचार किया ?

श्री धर्मसिंह—वहां पर हम सर्वे कर रहे हैं। हम समझते हैं कि पम्पिंग स्टेशन लग सकता है या नहीं, इस सम्बन्ध में एग्जामिन करने के बाद निर्णय हो सकेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि इस प्रश्न पर दो साल से विचार हो रहा है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, अवश्य हो रहा होगा, और उसी समय से विचार कर रहे हैं, और चाहते हैं कि जल्दी पहुंचे।

बिजली की दरों की जांच के लिये नियुक्त समिति का प्रतिवेदन

*३६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के द्वारा प्रान्त के विभिन्न रीजनों में बिजली की दरों की जांच एवं निर्धारण के लिए नियुक्त 'रेट्स' कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी ? अगर हां, तो क्या सरकार उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, सरकार ने सेठ रामगोपाल एन्ड पार्टनर्स, एटा व बाराबंकी एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, बाराबंकी, व पीलीभीत एलेक्ट्रिक सप्लाई, पीलीभीत के बिजली के दरों की जांच के वास्ते एक रेटिंग कमेटी बैठाली थी, जिसकी सिफारिश सरकार ने मंजूर कर ली थी। कमेटी की रिपोर्टों की एक प्रति मेरी मेज पर रक्खी है, जो देखी जा सकती है। इसकी और प्रतियां नहीं हैं।

२—एक रेटिंग कमेटी, मई, १९५१ में फर्रुखाबाद, गाजीपुर, मिर्जापुर, सीतापुर शाहजहांपुर, व जौनपुर, बिजली कम्पनिओं के वास्ते भी बनी थी। यह कम्पनियां उस समय "वार कास्ट सरचार्ज" वसूल करती थीं। कमेटी बनाने का उद्देश्य यह था कि "वार कास्ट सरचार्ज" बन्द कर दिया जाय। परन्तु सरकार ने इस मामले पर कम्पनियों के प्रतिनिधि से तथा बिजली कम्पनियों के एसोसिएशनों से बातचीत की जिसके फलस्वरूप यह पाया गया कि "वार कास्ट" सरचार्ज बन्द करने पर कम्पनियों की दरों में उतनी ही वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि इन कम्पनियों को तेल, कोयला, बिजली का सामान तथा अपने नौकरों के महंगाई भत्ते के ऊपर अब भी बहुत व्यय करना पड़ता है।

३—बलरामपुर और हरदोई की बिजली कम्पनियों ने भी अपने बिजली के दर बढ़ाने के वास्ते प्रार्थना की थी, और इन कम्पनियों के लिए रेटिंग कमेटी बैठाली गयी थी, परन्तु इन कम्पनियों ने बड़े एंजिन लगाकर अपनी आमदनी को बढ़ा कर अपने खर्च को पूरा करने के विचार से यह प्रस्ताव किया कि फिलहाल बिजली की दरों में वृद्धि नहीं करना चाहते, वरन् ज्यादा बिजली बेच कर अपना खर्च निकाल लेंगी। रेटिंग कमेटी को इन कम्पनियों के रेट की जांच करने की आवश्यकता नहीं हुई।

४—नानपारा बिजली सप्लाई कम्पनी के बारे में भी एक रेटिंग कमेटी बैठाली गयी थी, परन्तु, जो सूचना रेटिंग कमेटी को चाहिए थी, वह कम्पनी ने नहीं भेजी। इसलिए अभी तक उनके रेट की जांच नहीं हो सकी है।

५—एक रेटिंग कमेटी अल्मोड़ा की म्युनिसिपैलिटी की बिजली घर के मुताल्लिक भी बनायी गयी थी। इसके ऊपर भी रेटिंग कमेटी अपनी सिफारिश नहीं भेज सकी, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी से सूचनायें नहीं प्राप्त हुईं।

६—हाइडेल रेटों के बारे में भी सरकार ने एक ऐडवाइजरी कमेटी (Advisory Committee) १९४८ में नियुक्त की थी। इस कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह निश्चय हुआ कि सितम्बर, १९५० से ३.५ पाई प्रति यूनिट का सरचार्ज गंगा ग्रिड (Ganga Grid) और फैजाबाद पावर हाउस (Faizabad) से बिजली लेने वाले उन कन्ज्युमरों पर लगाया जाये, जिनको दो आने फी यूनिट या उससे कम दर से बिजली मिलती है। और वर्तमान दरों में कोई बदलाव न किया जाय।

७—इस कमेटी की रिपोर्ट की एक प्रति मेरी मेज पर है और देखी जा सकती है। इसकी भी और प्रतियां नहीं हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन, ऐटा, बाराबंकी, और पीलीभीत के बिजली घरों के सम्बन्ध में रेटिंग कमेटी की सिफारिशों को मंजूर करने के बाद बिजली की क्या दर निश्चित की गयी ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है। लेकिन जो भी रेटिंग कमेटी की रिकमेन्डेशन्स आयी थीं, उन पर विचार करके उनको कार्यान्वित किया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार मार्टिन कम्पनी के बिजलीघरों के सम्बन्ध में कोई रेटिंग कमेटी बिठाने का विचार रखती है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार शारदा ग्रिड के स्थापित होने पर उसमें बिजली की दरों को निश्चित करने के लिए कोई कमेटी बिठाने का विचार रखती है ?

श्री धर्मसिंह—इस बात की तो कोई आवश्यकता नहीं है।

कोआपरेटिव सोसाइटी ज्योलीकोट, जिला नैनीताल में चोरी

*३७—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल के तल्लीताल, थाने पर, माह जून, सन् १९५४ में कोआपरेटिव सोसाइटी ज्योलिकोट की चोरी के मामले की रिपोर्ट दर्ज हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*३८—श्री खुशीराम (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि इस मामले में जांच के दौरान में पुलिस के विरुद्ध स्थानीय जनता ने अधिकारियों से शिकायतें की थीं ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, शिकायतों में कहा गया था कि पुलिस निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ रही है, और उनको परेशान कर रही है, मगर असली मुलजिम को नहीं पकड़ रही है।

३९—श्री खुशीराम (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस मामले में इस वक्त क्या कार्यवाही हो रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मामले की जांच हुई मगर पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण अन्तिम रिपोर्ट पर लगादी गयी।

जिला फैजाबाद में थाना जलालपुर के अन्तर्गत चोरियां और डकैतियां

*४०—श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि जिला फैजाबाद, थाना जलालपुर के अन्तर्गत अक्तूबर से दिसम्बर, ५४ के बीच में कितनी और किन-किन ग्रामों में डकैतियां तथा चोरियां हुई हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—डकैती कोई नहीं हुई। १२ चोरियां संलग्न सूची में उल्लिखित ग्रामों में हुईं।

(देखिये नत्थी ङ आगे पृष्ठ ३६५ पर)

श्री उमाशंकर—क्या सरकार नम्बर १ के आइटम ६ और ७ पर जो डकैतियां हुई हैं उनके नाम बतलायेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न उठता नहीं है, जबाब था कि डकैती कोई नहीं हुई।

श्री उमाशंकर—जो वाकयात हुये हैं उसमें लिखा है।

श्री जगनप्रसाद रावत—वाकयात की तफसील मेरे पास नहीं है।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पहला वाकया जो जलालपुर में हुआ है यह किनके घर हुआ है, और इसमें कोई नकब वगैरह कटी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ये सारी तफसीलें तो मेरे पास नहीं हैं।

वर्डीहा, जिला आजमगढ़ में श्री नारायणदास साधु की कुटी पर सशस्त्र डकैती

*४१—श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि तारीख २१-१२-५४ को रात्रि में ग्राम वर्डीहा उर्फ गुड़ेरुआ, थाना मुबारकपुर जिला आजमगढ़ में श्री नारायणदास साधु की कुटी पर सशस्त्र डकैती हुई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कोई डकैती नहीं हुई। २२-२३ दिसम्बर, १९५४ की रात को एक सेंध लगाये जाने की घटना की रिपोर्ट अवश्य हुई थी जिसकी अभी जांच हो रही है।

श्री विश्रामराय—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि इस जांच की कार्यवाही प्रश्न करने के बाद शुरू हुई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—हां, यह सम्भव है कि प्रश्न करने के बाद जांच हुई हो, लेकिन जांच पहले भी हो चुकी थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस घटना में कितने की चोरी हुई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—रकम का विवरण तो मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि जिसके घर यह घटना घटी है, उसने पुलिस थाने के इन्चार्ज के विरुद्ध सरकार के पास इस आशय का कोई पत्र भेजा है कि सही घटना जो हम लिखाना चाहते थे, नहीं लिखी गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री उमाशंकर—क्या यह सच है कि यह वाकया जिसके घर हुआ है, वह बहुत पीटा गया और घायल हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस तरह की रिपोर्ट हुई है कि वह पीटा गया और घायल हुआ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मन्त्री जी बतायेंगे कि जिस व्यक्ति के घर यह चोरी हुई है, उसने पुलिस इन्चार्ज के खिलाफ भी जिलाधिकारियों के पास कोई इस आशय का आवेदन पत्र दिया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है, माननीय सदस्य के पास होगी।

अतारांकित प्रश्न

विभिन्न विभागों में पिछड़ी हुई जातियों के कर्मचारियों की संख्या

१—श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि २३ अप्रैल, १९५४ को सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के न्यून प्रतिनिधित्व के विषय में स्वीकृत असरकारी संकल्प को कार्यान्वित करने की दिशा में अभी तक क्या-क्या काम किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस सम्बन्ध में सरकार ने नियुक्ति करने वाले समस्त अधिकारियों को राजाज्ञा, दिनांक ६, मई १९५४ में आवश्यकीय आदेश प्रेषित कर दिये हैं, जिसकी एक प्रति मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३६६–३६८ पर)

२—श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या सरकार के पास भिन्न भिन्न विभागों में कार्य करने वाले पिछड़ी हुई जातियों के कर्मचारियों की संख्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन आंकड़ों को मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

दूसरे खंड का प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगढ़ में डाक्टर राममनोहर लोहिया का सामान चोरी हो जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—माननीय राजनारायण जी ने एक कामरोको प्रस्ताव मेरे पास भेजा है, वह इस प्रकार है:—

"गत २१ मार्च १९५५ की रात्रि में करीब ३–४ बजे प्रातः जिस ढंग से प्रतापगढ़ में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के पाक्षिक शिक्षण शिविर में डाक्टर राम मनोहर लोहिया के निवास स्थान पर जिस ढंग की चोरी हुई उससे सारे शहर का वातवरण क्षुब्ध हो उठा है, और आम जनता इस पर चोरी के पीछे शासक पार्टी के सदस्यों का हाथ समझ कर अत्यन्त आतंकित हो उठी है। जिस प्रकार से अब तक सरकारी कर्मचारियों की ओर से उपेक्षा हुई है उससे और आतंक तथा क्षोभ बढ़ता जा रहा है और सारा वातावरण अशान्त हो उठने की समस्या उत्पन्न हो गयी है। अतः इस आवश्यक तथा सामयिक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह वाक्या निश्चित भी मान लिया जाय, तो स्थानीय रोज की शासन प्रबन्ध के सम्बन्ध में यह मामला है। इससे सरकार का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं आता है। और इस विषय को इतना महत्व का, मैं समझता हूं, नहीं बनाया जा सकता कि विषय कामरोको प्रस्ताव का हो सके। इसलिए मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

इलेक्शन ट्रिब्यूनल द्वारा एक मंत्री के प्रति दोषोक्ति

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, आज समाचार पत्रों में यहां के एलेक्शन ट्रिब्यूनल का एक फैसला छपा है। उसमें उन्होंने हमारे एक सम्मानित मन्त्री के ऊपर भी स्ट्रिक्चर पास किया है। हमने उसके जजमेंट की एक कापी लेने के लिए आवेदन पत्र दिया है। मैं इसलिए यह प्रश्न आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि शायद इसके ऊपर प्रिविलेज का सवाल बाद को उठ सकता है और उस समय इसको विलम्ब का विषय न समझा जाय। हमारे पास उसकी कापी आ जायगी, यदि आवश्यकता हुई, तो मैं विशेषधिकार की अवहेलना का प्रश्न यहां पर उठाऊंगा। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनतांत्रिक प्रणाली के स्वस्थ विकास के लिए एक स्वतंन्त्र वातावरण की आवश्यकता है . . .

श्री अध्यक्ष—इस समय आप क्या करेंगे ?

श्री राजनारायण—सदन की कोई कमेटी अगर मंत्री के इस सम्बन्ध में बरते गये व्यवहार की जांच के लिए बैठी, तो फिर उसके लिए शायद विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष—इसके सम्बन्ध में समय के बारे में निश्चित ही यह बात है कि जिस समय तक भी जजमेंट की कापी प्राप्त हो सकती हो, तो इतना समय आप को मिल ही जाता है, क्योंकि अखबारों में कोई प्रश्न या कोई बात छप जाय उसकी बुनियाद पर आप कोई प्रश्न उठा नहीं सकते हैं, जजमेंट के आधार पर ही आप बात उठा सकेंगे।

१९५५-५६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १८—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा

*शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५५-५६ ई० के लिए आय-व्ययक में अनुदान संख्या १८—शिक्षा (लेखा शीर्षक—३६ वैज्ञानिक विभाग और—३७ शिक्षा) के अन्तर्गत १०, २१, १८, ००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्रीमन, जो आंकड़े अभी भवन के सामने मैंने प्रस्तुत किये हैं उससे इतना स्पष्ट हो जाता है कि गत वित्तीय वर्ष की अपेक्षा आगामी वित्तीय वर्ष में काफी इस संख्या में वृद्धि हुई है और वह वृद्धि करीब ७४ लाख रुपये की है। बजट के आंकड़े निश्चित होने के उपरान्त केन्द्रीय सरकार से एक और योजना के अन्तर्गत जो पहले बातचीत चल रही थी और वह अभी भी चल रही है वह यदि स्वीकृत हो गयी तो केन्द्रीय सरकार और यहां की प्रान्तीय सरकार दोनों के सहयोग से मैं समझता हूं बजट के आंकडों में करीब-करीब १ करोड़ १६ लाख रुपये की और वृद्धि हो जायगी। इस प्रकार से हो सकता है कि चूंकि शिक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तृत क्षेत्र है, उसमें रुपये की कमी हमेशा होना स्वाभाविक ही है। लेकिन अपनी स्थिति को देखते हुये, इसकी महत्ता को भी देखते हुये अपने आर्थिक संकट को देखते हुये अपने प्रान्त की आवश्यकता को देखते हुये और अपने लोगों की आर्थिक दशा को देखते हुये यदि मैं यह कहूं कि यह आंकड़े असन्तोषजनक हैं तो शायद कुछ ज्यादती होगी। यदि इन आंकड़ों को नजदीक से देखा जाय और इसका निरीक्षण किया जाय तो यह भी स्पष्ट हो जायगा कि शिक्षा की सहायता के क्षेत्र में वृद्धि हुई है और वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

यूनिवर्सिटीज के लिये ३ लाख ३३ हजार की वृद्धि हुई है, नान गवर्नमेंट डिग्री कालेज में ८ लाख ६८ हजार की वृद्धि हुई है, गवर्नमेंट सेकेन्डरी स्कूल में ३ लाख ६५ हजार की वृद्धि हुई, नान गवर्नमेंट सेकेन्ड्री स्कूल में १९ लाख ४३ हजार की वृद्धि हुई।

नान गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में ४१ लाख २५ हजार रुपया और ट्रेनिंग इंस्टीटयूट में २ लाख ८३ हजार रुपया। इस प्रकार से अगर इस सब वृद्धि को जोड़ दिया जाय तो ७३ लाख ६७ हजार रुपया आता है, और जैसा मैंने कहा यदि निकट भविष्य में केन्द्रीय सरकार से मिलने वाला रुपया भी आ गया तो एक करोड़ १६ लाख की वृद्धि और हो जायेगी। और इस प्रकार से जैसा मैंने कहा यह संतोष जनक है। एक बात पहले मैंने यह कही थी कि शिक्षा की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि अभी तक हम यह निश्चित नहीं कर पाये थे कि हम कैसा संगठन चाहते हैं, याने समाज के किस संगठन को आदर्श मानकर शिक्षा दी जाय। यह चीज अभी तक हमारे सामने स्पष्ट नहीं थी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

क्योंकि समाज और शिक्षा का जो संबंध है वह अटूट है । जैसी समाज की रूपरेखा होगी वैसे ही शिक्षा की पद्धति हमें रखनी होगी । लिहाजा अब हमने यह तय कर लिया है कि हमारा समाज खड़ी रेखा में होगा या पड़ी रेखा में, तथा उसमें लोगों के क्या अधिकार होंगे, इसलिये हमें अब यह स्पष्ट हो गया है कि किस प्रकार की शिक्षा हमें देनी है । जो देश प्रजातंत्र की नीति में विश्वास करते हैं उनमें शिक्षा की पद्धति वही रखनी होती है जिससे लोगों मे प्रजातंत्र की भावनाओं को पुष्टि मिले । जो लोग दूसरे प्रकार के समाज संगठन को चाहते हैं वे उस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहन देते हैं । इसलिये अब हमने यह तय कर लिया है कि भविष्य में हमारे समाज का संगठन प्रजातंत्र के आधार पर समाजवाद होगा । अब हमारे और हमारे देश के लिये यह आसान हो गया है कि हम जो शिक्षा में बदलाव करें वह किस दृष्टिकोण से करें जिससे हम अपने उस आदर्श की ओर बढ़ सकें तथा जिस प्रकार का समाज संगठन हम चाहते हैं उसको स्थापित करने में हम सफल हो सकें ।

अगर आप बजट को देखें तो आपको मालूम होगा कि हमारी शिक्षा मुख्यतः तीन भागों में बंटी हुई है, प्राइमरी, सेकेन्डरी, और यूनिवर्सिटी । मैं यदि आप के सामने बजट के सब आंकड़ों को दुहराऊ तो उस में बड़ा समय लगेगा, मैं समझता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्यों ने बजट के आंकड़ों को भली भांति ध्यान पूर्वक देखा होगा। उन्होंने देखा होगा कि उसमें इस बात का प्रयत्न किया गया है कि हम अपनी शिक्षा की प्रोग्रेस करें ।

प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में, भवन के सदस्यों को मालूम होगा कि सन् ४७ में एक योजना बनाई गई थी जिसके अनुसार यह सोचा गया था कि २२ लाख प्राइमरी स्कूल देहात में खोले जायेंगे लेकिन बहुत से कारणों के बाद सिर्फ १३ हजार स्कूल खोलने के बाद ही उसको रोक देना पड़ा और हमारी वह प्रगति रुक गयी । और वह केवल इस कारण से कि पहले उन स्कूलों का संगठन कर लिया जाय लेकिन अब यह हमारे लिये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम उस योजना को फिर शुरू करने जा रहे हैं । आपने इस बजट में देखा होगा कि इस साल हम ५०० प्राइमारी स्कूल खोलने जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को हम जो अनुदान देते हैं उस में भी काफी वृद्धि हुई है । इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को ३१ लाख रुपया इसलिये भी दिया गया था कि वे अपने अध्यापकों की बकाया तनख्वाह को दे दें ।

जहां तक हमारी इत्तिला है करीब-करीब सभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ने उनकी बकाया तनख्वाहें दे दी हैं लेकिन उनकी मुश्किलात हैं । उनकी आमदनी के जो जरिये हैं वे ऐसे नहीं हैं कि आमदनी बढ़ा सकें या उनके द्वारा प्रयत्न भी शायद ही होता हो । तो इस कारण इस वर्ष में २७ लाख रुपया रखा गया है जो कि इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को इस कार्य के लिये देंगे । हम चाहते तो यह हैं कि शिक्षा प्रसार योजना के अन्तर्गत जो स्कूल चल रहे हैं वे अच्छी तरह से चलें और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स अपने स्कूल के अध्यापकों को समय पर रुपया दें और यह जो रुपया रखा गया है वह इसी उद्देश्य से रखा गया है कि हम उनकी सहायता कर सकें जिसमें कि इस कार्य में सफल हों । वे अपने प्राइमरी स्कूल के टीचरों की तनख्वाह भी दे सकेंगे और जो उनकी वृद्धि साल ब साल होती है उसे भी पूरा कर सकेंगे । इसके अतिरिक्त आज तक म्युनिसिपल बोर्ड्स को हम कोई अनुदान उनके प्राइमरी स्कूल्स की इमारतों के लिये नहीं देते थे । इस वर्ष इस बजट में हमारे लिये यह सम्भव हो सका कि हमने उनके लिये भी १ लाख २ हजार रुपया इसी लिये दिया कि वे म्युनिसिपल क्षेत्र में जो प्राइमरी स्कूल्स की इमारतें उनकी हैं, उनको ठीक कर सकें । इमारतों के लिये आपको शायद याद हो कि शिक्षा प्रसार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से प्राइमरी स्कूल बन सके । उसके लिये गवर्नमेंट ने उनसे कहा था कि यदि गांव के लोग स्कूल बना देंगे तो एक हजार रुपया प्रति स्कूल के हिसाब से सरकार भी उनको देगी । हमारे लिये यह दुख की बात है कि जितने स्कूल बन सकें, हम सबको उतना रुपया नहीं दे पाये । उसके लिये भी हमने इस बजट में प्रबन्ध किया है कि हम उनको भी उसी हिसाब से जो शिक्षा प्रसार योजना

के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल्स खुले हैं उनको रुपया दे सकेंगे। आप यह भी जानते हैं कि हमारे प्रान्त में कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन चल रही है। करीब ८०-८१ म्युनिसिपैलिटीज हैं जहां कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन चल रहा है। तो अब प्रबन्ध किया गया है कि ९ म्युनिसिपैलिटियों में और कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन हो और कानपुर में लड़कियों की शिक्षा के लिये कम्पलसरी एजुकेशन के लिये भी रुपये का प्रबन्ध किया गया है ताकि कानपुर शहर की म्युनिसिपैलिटी के अन्दर लड़कियों की शिक्षा अनिवार्य हो जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य जरा खामोश हो जायं। वहां आपस में भाषण बहुत हो रहे हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह—इस ओर इस भवन के माननीय सदस्य ने अवश्य ध्यान दिया होगा कि पिछले वर्ष करीब ८०० प्राइमरी स्कूल्स हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ने बन्द किये। उनकी संख्या में कमी हुई। उसका कारण यह नहीं था कि प्राइमरी स्कूल्स की फैसिलिटीज कम की जाय बल्कि शिक्षा प्रसार योजना के अन्तर्गत बहुत सी राजकीय पाठशालायें ऐसी जगह पर खुल गयीं जहां निकट में ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के स्कूल पहले से चल रहे थे या बहुत से ऐसे स्कूल्स थे जिनमें बच्चों की संख्या कम थी। तो उनका पुनर्संगठन किया गया और उस पुनर्संगठन के फलस्वरूप बिना फैसिलिटी को कम किये हुए, बिना सुगमता को कम किये हुए ये ८०० स्कूल्स बन्द हो गये। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ५०० स्कूल हम इम्साल खोल रहे हैं और हम समझते हैं कि आने वाले वर्षों में यह सम्भव हो सकेगा कि हम इस संख्या को और बढ़ावें और प्राइमरी स्कूलों की फैसिलिटी देहातों में इतनी कर दें कि २२ हजार स्कूल खोलने की जो हमारी योजना थी वह पूरी हो जाय और हमारे प्रान्त के सब जिले सेचुरेटेड हो जायं जहां तक प्राइमरी शिक्षा का सम्बन्ध है। यह भी आप ने देखा होगा कि जूनियर हाई स्कूलों में इस वर्ष एक नई स्कीम चलाई गई है और उसको रिओरिएन्टेशन स्कीम कहते हैं। उसमें इस बात का प्रयत्न किया गया है कि हमारे स्कूल उसी वातावरण में बच्चों को शिक्षा दें जिसमें वह बच्चे रहते हैं और जिस वातावरण में उन का पालन-पोषण होता है। यदि ऐसा किया जाता है तो उनका विकास सुगम सरल और अधिक होगा और इसीलिये उस स्कीम के अन्तुर्गत जूनियर हाई स्कूलों के लिये जमीनें लोगों से मांगी गई और यह सन्तोष की बात है कि काफी स्कूलों को, २,४१४ स्कूलों में से २,१०० को जमीनें मिल गई हैं। हो सकता है और जैसा स्वाभाविक है कि कुछ जमीनें बहुत अच्छी हैं कुछ मध्यम श्रेणी की हैं और कुछ ऐसी हैं कि जिनको खेती के योग्य बनाने के लिए ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य यह नहीं है कि हम अपने बच्चों को कृषि ही की शिक्षा देना चाहते हैं, और यह चाहते हैं कि हमारे यह स्कूल कोई उपज के केन्द्र बन जायं और वे स्कूल न रहकर कोई प्रोडक्शन सेन्टर बन जांय, यह उद्देश्य उनका नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं। कुछ समाचार पत्रों में हमने इस स्कीम के बारे में पढ़ा और देखा कि लोगों को भ्रम है कि हम ऐसे स्कूलों के द्वारा अपने स्कूलों को उपज के केन्द्र बनाने में बदल रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह धारणा गलत है क्योंकि उसका अभिप्राय केवल यह है कि हम बच्चों में एक भाव नागरिक बनाने का पैदा करना चाहते हैं और एक अच्छा उत्पादक बनाने और अच्छी शिक्षा देने के अतिरिक्त मैं समझता हूं कि उसका एक महान उद्देश्य यह भी है कि हम देखें कि हमारे बच्चे शिक्षित हो कर अच्छे नागरिक बनें और अच्छा व्यक्तित्व उनका हो, वह अच्छे उत्पादक बनें और उत्पादक बनने के लिए जिन चीजों और मनोभावों की आवश्यकता होती है वह हम इस मिली हुई कृषि भूमि द्वारा अपने बच्चों में पैदा कर सकते हैं, यही उसका अभिप्राय है। ग्रामीण क्षेत्रों के ५८३ स्कूलों में से ३४० को जमीन मिली है। वहां कुछ ऐसे टीचर्स का प्रबन्ध किया गया है जो बच्चों को कोई दूसरा काम सिखा सकें। जिन स्कूलों को जमीन मिली है वह जमीन अधिकतर अच्छी किस्म की है और वहां कृषि की शिक्षा भी बच्चों को दी जाती है।

इसके अलावा आप ने यह भी देखा होगा कि हमारे यहां जे० टी० सी० की भी ट्रेनिंग दी जाती है लेकिन उस जे० सी० टी० की ट्रेनिंग के उपरान्त भी अब तक अध्यापकों का वेतन

[श्री हरगोविन्द सिंह]

४५ रुपए से आरम्भ होता था । यह कुछ बड़ी संतोषजनक बात नहीं है इसलिये इस बजट में उनकी तनख्वाह ६० रुपये से शुरू की गई है । लेकिन अब वह किस प्रकार से इनको यह तनख्वाह मिलेगी क्योंकि उसमें कुछ दिक्कतें भी हैं और उनका समाधान जरूर हो जायगा तो जे० टी० सी० को हम ६० रुपये तनख्वाह देंगे । यह भी अध्यापकों के लिये जो हमारे जे० टी० सी० ट्रेन्ड टीचर्स हैं उनके लिये यह हमारे बजट में सम्भव हो सका है । तो जहां तक प्राइमरी शिक्षा का क्षेत्र है उसमें यह स्पष्ट ही है कि हम ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं और हमें आशा है कि आनेवाले वर्ष में हम इस क्षेत्र को आगे भी बढ़ा सकें क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यही आधारशिला हमारे शिक्षा की है और अधिक से अधिक जितना प्रयत्न हो सकता है वह इस दिशा में होना चाहिये कि हम अपनी प्राइमरी शिक्षा को इतना मजबूत कर दें जिस पर शिक्षा का भवन और अच्छी तरह से बन सके । हायर सेकन्डरी स्कूलों की संख्या में भी पहले से काफी वृद्धि हुई है । पांच साल पहले इस प्रदेश में ९ सौ स्कूल थे लेकिन आज उनकी संख्या सवा १३ सौ हो गई है । इस वर्ष ८ लड़कों के और तीन लड़कियों के स्कूलों को हायर सेकन्डरी स्कूल बनाया गया और अगले वर्ष एक लड़कियों के जूनियर हाई स्कूल को हम हाई स्कूल बनाने जा रहे हैं । हम चाहते तो यह थे कि हम और हाई स्कूलों को हायर सेकन्डरी स्कूल्स बनावें और उसके लिये रुपया भी बजट में प्रोवाइड करना मुश्किल नहीं होता लेकिन उसमें दिक्कत यह आती कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने और सारे देश के सामने एक कमीशन की रिपोर्ट आयी थी और उसके आधार पर योजना बनाई जा रही है। वह यह है कि हायर सेकन्डरी स्कूल्स हैं उसमें १२ दर्जे तक जो हायर सेकन्डरी स्कूल्स हैं उसमें से एक दर्जा निकाल कर उसको ११ दर्जे तक रख दिया जाय और एक साल यूनिवर्सिटी में और जोड़ दिया जाय । तो इस योजना के कारण भी यह हमने ठीक नहीं समझा कि हम अपने हायर सेकन्डरी स्कूलों की संख्या बढ़ावें । जहां तक हाईस्कूल बनाने की बात है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि यह योजना आई तो भी और कार्यान्वित भी हुई तो हर एक हाई स्कूल में एक दर्जा बढ़ा देने से वह हायर सेकन्डरी स्कूल बन जायगा लेकिन हायर सेकन्डरी स्कूल जिसमें दो दर्जे हैं उसमें यदि बाद को यह होता कि एक दर्जा निकालना होगा तो एक दिक्कत की बात होती और इसीलिये इस साल यह प्रयत्न नहीं किया गया कि हम अपने लड़कों और लड़कियों के जो हाई स्कूल्स हैं उनको हायर सेकन्डरी स्कूल्स बनावें । आपने बजट में देखा होगा कि हाई स्कूल्स हायर सेकन्डरी स्कूल बनाने जा रहे हैं लेकिन वास्तव में बात यह है कि इस आने वाले वर्ष में हम उसको बना नहीं रहे हैं बल्कि पहले वर्ष बना चुके हैं, केवल उसके लिये रुपया प्रोवाइड किया गया है और इसी कारण वह ऐसा मालूम होता है कि हम इस साल उसको बनाने जा रहे हैं लेकिन वास्तव में बात यह नहीं है । तो यदि आप यह समझते हों कि हम अपने स्कूलों को हायर सेकन्डरी स्कूल नहीं बनाना चाहते, चाहे वह ब्वायज के हों, चाहे लड़कियों के तो बात ऐसी नहीं है । हम खोलना भी चाहते थे और आर्थिक कठिनाई भी इतनी नहीं थी, हम इधर-उधर से रुपया निकाल सकते थे और उनकी संख्या बढ़ा सकते थे लेकिन इस कारण से हमने ठीक नहीं समझा कि इस साल हम अपने स्कूलों को हायर सेकन्डरी स्कूल बनावें और जब तक इस योजना पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक उनकी संख्या बढ़ाना ठीक नहीं होगा । यहां अभी तक हमारे प्रान्त में ३०० स्कूल्स ऐसे हैं जो ग्रान्ट इन एड पर नहीं हैं । पहले श्रीमन् सिस्टम यह था कि प्रिलिमिनरी ग्रान्ट उनको दे दी जाया करती थी और वह १०, २०, ३० या ४० रुपये होती थी और दूसरे साल वे स्कूल ग्रान्ट इन एड लिस्ट पर आ जाया करते थे । उसमें एक दिक्कत यह होती थी कि यह पता नहीं चलता था कि कितने स्कूलों को हमें आने वाले वित्तीय वर्ष में ग्रान्ट इन एड लिस्ट पर रखना होगा और कितने स्कूलों को ग्रान्ट देनी होगी और उस ग्रान्ट की मात्रा क्या होगी । इसलिये उस प्रिलिमिनरी ग्रांट सिस्टम को खत्म कर दिया गया और यह किया गया कि अब जो स्कूल ग्रान्ट पाने के अधिकारी हैं उनको सीधे ग्रान्ट ही दी जाय, और प्रिलिमिनरी ग्रान्ट की व्यवस्था न की जाय । तो इस साल हम ७६ स्कूलों को, जो ग्रान्ट इन एड लिस्ट पर नहीं थे उनको हम ग्रान्ट इन एड लिस्ट पर ले आये और इसके लिये हमने बजट में रुपया भी रखा है ताकि हम उनको सहायता दे सकें ।

आपने यह भी देखा होगा कि अभी हर साल हर जिले के प्रत्येक स्कूल को १५ हजार रुपये उनकी सज्जा और सामग्री के लिये दिये जा रहे हैं। दो वर्ष से तो यह चल रहा है। उसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया का भी कुछ अनुपात रहता है और प्रान्तीय सरकार का भी कुछ अनुपात रहता है। आशा है कि यह स्कीम आगे भी चलेगी। मैंने जो दूसरी स्कीम का जिक्र किया वह भी सेकेंडरी स्टेज तक ही सीमित, है और अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया और प्रान्तीय सरकार में मतैक्य हो गया तो १ करोड़ १६ लाख रुपये हम और इस स्टेज पर खर्च कर सकेंगे और अपने स्कूलों को सज्जा और सामग्री की दृष्टि से और दृढ़ कर सकेंगे। १९४९ के पहले जो इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे उनमें टीचर्स का कोई निश्चित वेतन क्रम नहीं होता था। हर स्कूल अपना अलग वेतन क्रम रखता था और कोई ऐसा वेतनक्रम नहीं था जो सब स्कूलों पर लागू हो। तो सरकार ने सहायता प्राप्त हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस के लिये एक वेतन क्रम निश्चित किया और उसमें यह कहा गया कि जो साल ब साल वृद्धि होगी उसका १/४ तो सरकार देगी और ३/४ मैनेजमेंट अदा करेगा। बाद में मालूम ऐसा हुआ कि मैनेजमेंट को उसमें कठिनाई हो रही है, उस ३/४ हिस्से के देने में। मैं चाहता तो यह था कि इमसाल ही घोषणा कर दूं कि हम उस वृद्धि का आधा दिया करेंगे लेकिन यह इमसाल संभव हो सका। तो इमसाल यह हुआ कि हम १/४ न देकर १/३ देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि शायद किसी अवसर पर आने वाले वर्षों में हम यह कह सकें कि हम आधा अपने हिस्से में दिया करेंगे और आधा रुपया मैनेजमेंट को देना पड़ेगा लेकिन वह संतोष की बात है कि हम अपने टीचर्स से कह सकें कि उनकी वृद्धि के लिये इमसाल भी १-४ के बजाय हम १-३ देने जा रहे हैं। आपने यह तो देखा ही होगा कि जो इम्तिहान की बड़ी गड़बड़ी होती है उसके कारण आवश्यकता हुई कि हम एक कांफिडेंशियल सेक्शन बनायें और वह सेक्शन बन गया है और उसने अपना कार्य आरम्भ भी कर दिया है। जो त्रुटियां अब तक मालूम हुई हैं उनका निराकरण एक बिल के द्वारा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। और यदि संभव होगा तो वह बिल निकट भविष्य में ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे।

यूनिवर्सिटीज में, इस भवन ने आगरा यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के संशोधन विधेयक पास किये हैं और आज वह तीनों यूनिवर्सिटीज में नये अधिनियम जो हैं वह लागू हो गये हैं। आगरा यूनिवर्सिटी में यह भी आपको शायद मालूम हो कि एक हिन्दी इंस्टीट्यूट भी खोला गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक एडमिनिस्ट्रेशन की शाखा भी खोली गयी है। उसके लिये भी उनको धन दिया गया है कि जिसमें वह लड़कों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शिक्षा दे सकें। एक संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिये भी इस बिल में रुपया रखा गया है और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिये भी रुपया रखा गया है। यह दोनों बिल तैयार हो रहे हैं और मैं समझता हूं कि शायद इसके बाद जो दूसरी बैठक होगी उसमें यह बिल आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज जितने हमारे डिग्री कालेजेज हैं, उनमें से एक भी ऐसा आज नहीं है जो हमारी ग्रान्ट इन एड लिस्ट पर न हो। जो इस साल बजट है उस में सूबे के कालेजों को ग्रान्ट इन एड लिस्ट पर रख दिया गया है बशर्ते कि वह ३ वर्ष से पुराने हों। जो तीन वर्ष से इधर के खुले हुए हैं, हालांकि उनकी संख्या बहुत ही कम है, उनको छोड़ कर और सभी कालेज ग्रान्ट इन एड लिस्ट पर आ गये हैं।

टीचरों के संबन्ध में इन दोनों यूनिवर्सिटीज में और आगरा यूनिवर्सिटी के कालेजों में लेक्चरार्स की संख्या बहुत अधिक हुआ करती थी और रीडर्स की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। एक लेक्चरार के लिये यह एक तरह से असंभव सा हो गया था कि वह कभी भी रीडर के पद पर पहुंच सके। उसकी सर्विस खत्म हो जाती थी और वह लेक्चरार ही रह जाता था। तो इस कारण ऐसा देखा गया कि उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिल पाता था। तो रीडर्स की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। हम उस मात्रा में तो नहीं बढ़ा सके जितना कि बढ़ाना चाहते थे लेकिन हमने इस साल शुरूआत की है और ३३ रीडर्स की पोस्ट्स लखनऊ और इलाहाबाद में बढ़ाई है जिसमें कि लेक्चरार्स को प्रोमोशन हो सके और वह रीडर हो सकें। इसी तरह से

[श्री हरगोविन्द सिंह]

आगरा यूनिवर्सिटी के कालेजेज में, जो बड़े बड़े कालेजेज हैं और बहुत अच्छे कालेजेज हैं, कम से कम १४ या १५ उनकी संख्या है और जो किसी प्रकार से हमारी इस यूनिवर्सिटी से कम सेवा नहीं करते हैं, उन कालेजेज में हर एक विभाग की एक सीनियर पोस्ट हुआ करती थी । उसमें भी हमने सीनियर पोस्ट्स दो, दो की हैं जिसमें कि डिपार्टमेंट में दो प्रोफेसर्स ऐसे हों कि जिनको सीनियर पोस्ट मिल सके । इसी तरह से इस लिये कि जिसमें अच्छे लोग हमारे शिक्षा विभाग में आ सकें और पठन-पाठन का कार्य कर सकें हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है और उसकी प्रेरणा भी उन्हीं से मिली कि इस बात का भी प्रयत्न किया जाय कि जो लोग अपनी पढ़ाई बहुत दिनों तक कायम रखते हैं ताकि वह डाक्टरेट की डिग्री ले लें, जब वह सर्विसेज में हमारे यहां आयें और उनका आरम्भ सर्विस का एक लेक्चरार की जगह पर हो तो उनका जो वेतन क्रम है वह अपनी बेसिक पे से न शुरू हो कर के कम से कम उनको ज्यादा, एक या दो इंक्रीमेंट्स दिये जा सकें, जिसमें कि उनको प्रोत्साहन मिले। इस तरह से यह संभव हो सकेगा कि अच्छे लोगों को, जो शिक्षा से प्रेम रखते हैं, जिनको की शिक्षा देने में एक रस मिलता है और उसमें अपना तन मन लगाना चाहते हैं, उनको हम प्रोत्साहित कर सकें, आकर्षित कर सकें इस क्षेत्र में आने के लिये । इसके लिये यह किया जा रहा है कि ऐसे लोगों को हम कम से कम दो एडवांस इन्क्रीमेन्ट और दे दें जिसमें कि वह लोग आ सकें । तो दोनों यूनिवर्सिटीज को , लखनऊ और इलाहाबाद को , २ लाख ३७ हजार और रुपया दिया गया, रख रखाव के लिये, मिसलेनियस आइटम के लिये इनको रुपया दिया गया है। यह तो आपको मालूम ही था कि लखनऊ और इलाहाबाद दोनों यूनिवर्सिसिटीज पर बहुत कर्जा था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर ११ लाख ६६ हजार रुपया कर्जा गवर्नमेंट का था और ६ लाख ७७ हजार बैंकों का था । तो इस साल बैंकों का कर्जा सब सरकार ने अदा कर दिया । अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऊपर केवल गवर्नमेंट का ११ लाख ६६ हजार जो कर्जा है वही बाकी है, इसका भी सूद उसको नहीं देना होगा, सूद की आदायगी की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ले ली है। तो एक या दो लाख कहिये लखनऊ और इलाहाबाद को इसलिये दिया गया है कि जो इनके ऊपर कर्जा था जिसकी सूद की अदायगी इनको करनी पड़ती थी, हम वित्तीय कारणों से वह कर्जा नहीं दे सके लेकिन इस माने में यूनिवर्सिटी को हम मुक्त कर सके हैं कि उनको उसका सूद नहीं देना पड़ेगा, उसका सूद सरकार देगी । तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कर्जा तो समझना ही चाहिये कि वह खत्म हो गया क्योंकि बाहर के लोगों का कर्जा तो समाप्त ही हो गया, ११ लाख ६६ हजार जो सरकारी कर्जा है वह तो नहीं के बराबर समझना चाहिये क्योंकि उसकी अदायगी का सवाल नहीं होगा, वह माफ़ ही होगा और जो उसका सूद है वह सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है।

लखनऊ के लिये हम इस साल नहीं कर सके और आशा करते है कि आने वाले वर्षों में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी को कर्ज दे सकें । लेकिन जैसा मैंने कहा अभी इस कर्ज का बोझ इन यूनीवर्सिटियों पर नहीं रह गया इस कारण कि सूद की आदायगी की ज़िम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ले ली है ।

हमारे डिग्री कालेजेज में पहले बहुत सी ऐप्रूव्ड और अनऐप्रूव्ड पोस्ट्स रहा करती थीं यह समस्या केवल आगरा यूनिवर्सिटी के अफ़िलियेटेड कालेजेज में थी और आज मुझे खुशी यह कहने में कि हमारी आगरा यूनिवर्सिटी के कालेजेज में कोई भी ऐसा कालेज नहीं है जहां कोई पोस्ट अनऐप्रूव्ड हो, सब पोस्ट एप्रूव्ड हो गई और इस कारण अब यह समस्या नहीं रह गई । तो यह जो मैंने आपको विवरण थोड़ा सा दिया वह प्राइमरी क्षेत्र में, सेकेन्डरी क्षेत्र में और यूनिवर्सिटी क्षेत्र में इस बजट में क्या-क्या प्रयास किये गये हैं, वह मैंने आपसे बताये ।

साहित्य के क्षेत्र में भी आपने देखा होगा कि संस्कृत की पुस्तकें तैयार हो सकें उसके लिये ३० हजार रुपया रखा गया है जो इसके पहले आज तक इस बात का बजट में कोई प्रबन्ध नहीं था कि संस्कृत की पुस्तकें तैयार कराने के लिये कोई अलग से रुपया रखा जाय । जो बजट में साहित्य

के लिये रुपया रखा गया है वह तो है ही। उसके अलावा एक लाख रुपया इसलिये भी रखा गया है कि हम हिन्दी को मजबूत करें। अन्य बहुत सी भाषायें हैं जिनमें ज्ञान का भंडार छिपा हुआ है। यह कहना कि किसी एक भाषा ही में सब ज्ञान है यह गलत होगा। लेकिन अपनी भाषा को किस प्रकार से हम धनाढ्य बनावें, इसके लिये यह भी आवश्यक होता है कि हम और भाषाओं का अनुवाद कराकर हिन्दी को धनाढ्य बनावें। तो इसलिये भी एक लाख रुपया इस साल रखा गया है जिसमें कि हम ऐसी पुस्तकों का ट्रान्सलेशन करा सकें या ओरिजिनल पुस्तकें लिखा सकें हिन्दी में।

इसके अलावा हमारे बहुत से पब्लिशर्स थे और बेचारे वे करीब-करीब हर भाषाओं में जो पुस्तकें तो बहुत अच्छी लिख सकते थे लेकिन उसका प्रकाशन वे नहीं करा सकते थे धनाभाव के कारण। उसके लिये इस साल नये बजट में प्रावीजन किया गया है ५० हजार रुपये का, जिसमें हम प्रकाशन में सहायता कर सकें और धनाभाव के कारण जोकि अच्छी पुस्तकें वह प्रकाशित अगर न हो सकें, यह दिक्कत उत्पन्न हो जाय तो उसके लिये यह ५० हजार का प्रावीजन है। आपने यह तो देखा ही होगा कि इस साल हमारे लिए यह भी सम्भव हुआ कि हम ५ उर्दू के लेखकों को इनाम दे सकें और इससे हम आशा करते हैं कि उर्दू के लेखक भी प्रोत्साहित होंगे और इस बात का प्रयत्न करेंगे कि अच्छी पुस्तकें ले आवें। इस साल उस कमेटी के कुछ सदस्यों ने मुझसे कहा कि पुस्तकें तो ऐसी अच्छी नहीं है जिन पर कोई पुरस्कार दिया जा सके, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, आप इन पुस्तकों पर पुरस्कार दीजिए, अगर इस साल नहीं अच्छी हैं तो इस पुरस्कार के कारण ही यह सम्भव हो सकेगा कि अच्छी पुस्तकें आवेंगी। तो इस बात का भी प्रयत्न किया जा रहा है कि जितनी प्रादेशिक भाषाएं हैं उन सब में जितना ज्ञान इकट्ठा हो रहा है उसको लेकर और अन्य भाषाओं में जो ज्ञान है उसको भी लेकर हम हिन्दी को धनाढ्य बनावें, चूंकि यह राष्ट्रभाषा हो गयी है और इसका कोष बड़ा होना चाहिये, इसका भंडार बड़ा होना चाहिये। इसलिये यह रखा गया है।

हमारी लाइब्रेरीज जो ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरों में है, वह भी धनाभाव के कारण बड़ी शोचनीय अवस्था में हैं। तो इस साल, जो बजट में उनके लिये धन रखा जाता था वह तो है ही, लेकिन साथ ही ७८ हजार और ४० हजार की दो रकम रखी गयी है, जिससे वे पुस्तकालय जनता की अधिक सेवा कर सकें। यह उस धन के उपरान्त है जो ७५,००० हम देते हैं। संगीत के सम्बन्ध में आपने देखा ही होगा कि मेरीस कालिज को सरकार ने ले लिया है। हम उसको यूनिवर्सिटी का रूप देना चाहते हैं और जो हमारे संगीत के शिक्षण केन्द्र हैं, प्रयाग में संगीत विद्यालय है उसको पहले ढाई हजार की ग्रांट मिलती थी, वह बढ़ा दी गयी है और साढ़े पांच हजार रुपया कर दी गयी है। इसके अलावा हमारे पास अलग से कोई धन नहीं था बजट में जिससे हम इस संगीत विद्यालय की मदद कर सकें। चूंकि लड़के हमारे यहां आकर इम्तहान देते हैं भातखंडे यूनिवर्सिटी में, उनकी मदद करने के लिये भी कोई रकम नहीं थी। हमारे यहां जो थोड़ा बहुत विवेकाधीन कोष से, जो एक लाख रुपया था, उससे हम मदद कर सकते थे। तो उसके अतिरिक्त ५ हजार रुपये की एक रकम रखी गयी है कि हम उसकी मदद कर सकें।

एक विचार बहुत पहले से था कि हम अपने इस प्रान्त में एक ऑब्जरवेटरी स्थापित करें। शायद हैदराबाद को छोड़ कर और किसी प्रान्त में ऑब्जरवेटरी नहीं है। उसके लिए जमीन भी ले ली गयी थी सारनाथ में। लेकिन अब मालूम हुआ और विशेषज्ञों की यह राय हुई कि वहां की जमीन ठीक नहीं है। क्योंकि वह रेल के बड़े नजदीक है और हवा में ऐसा मिलाव रहेगा जिससे आब्जरवेटरी ठीक काम नहीं कर सकती और दूसरे एंजिन का कोयला भी उसका टेलेस्कोप खराब कर सकता है। तो नैनीताल में एक जगह निश्चित कर ली गयी है कि वहां ऑब्जरवेटरी बनेगी और जो संस्कृत विश्वविद्यालय बन रहा है उससे यह संबंधित होगी जिससे हमारे संस्कृत के विद्यार्थियों को यह अवसर हो कि उसमें शिक्षा पा सकें। आपको सुनकर खुशी होगी कि हमारे जो इस विभाग के अफसरान हैं, जो सीलोन में कम्पलीट सूर्यग्रहण होगा, उसके लिए ३ आदमी

[श्री हरगोविन्द सिंह]

हमारे यहां से जा रहे हैं, इसको ग्रौब्जर्व करेंगे। हमें खुशी है कि इस दिशा में एक ऐसा ग्रादमी भी मिल गया है जो इसका विशेषज्ञ है। नैनीताल का ऐटमासफीयर ग्राब्जर्वेटरी के लिये ठीक है ग्रौर सारनाथ के लिये कहा गया कि ठीक नहीं है।

श्री राज नारायण (जिला बनारस)—ग्रध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री हरगोविन्द सिंह—यह कहा गया कि सारनाथ की साइट रेल के पास है इसलिये हवा के हिलाव कारण ग्राब्जवेंशन्स ठीक नहीं होंगे ग्रौर दूसरे धुंग्रा टेलिस्कोप पर लग सकता है जिससे हमारा टेलिस्कोप खराब हो जायगा। इसलिये इसके बजाय नैनीताल में एक जगह ग्राब्जवेंटरी के लिये निश्चित की गई है ग्रौर कहा गगा है कि यहां पर ग्रा जर्वेटरी बन सकती है। इसके लिये बजट में रुपया रखा गया है ग्रौर ग्राशा है कि जल्दी ही बन जायगी।

मिलीटरी एजूकेशन के लिये एक स्कीम हमने ऐसी रखी थी कि जितने हमारे हायर सेकंडरी स्कूल्स शहरों में हैं उनमें इलैविन्थ ग्रौर टुवेल्थ क्लास में इसको कम्पलसरी कर दें। लेकिन इस स्कीम पर ग्रौर एन० सी० सी० के विषय में गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया से परामर्श हो रहा है। लेकिन जैसा कि ग्रापने देखा होगा कि एन० सी० सी० की ट्रेनिंग के लिये बजट में साढ़े तीन लाख रुपया रखा गया है। छोटे बच्चों के लिये ए. सी. सी. की ट्रेनिंग दी जा रही है।

जैसा कि मैं पहले बतला चुका हूं कि गर्ल्स स्कूल में एक ग्रसिस्टेंट मिस्ट्रेस थी उनकी तनख्वाह बहुत ही कम थी, उनके वेतन में वृद्धि की गई है। इसके ग्रलावा इस बात का भी प्रबंध किया गया है कि लोगों को नरसरी की ट्रेनिंग दी जाय ग्रौर देहात के लोग भी इसको प्राप्त करें। इसकी ट्रेनिंग हमारे प्रान्तमें भी ग्रभी बहुत ही कम है। ग्रभी गणना से मालूम हुग्रा कि १५ जगह पर इसकी ट्रेनिंग होती है। हमने ऐसा प्रबंध किया है कि उनको ट्रेन्ड करें जिससे वह लोग ग्रौर नर्सरी के स्कूल्स खोल सकें।

ट्रेनिंग कालेजेज के विषय में यह है कि हमारे कालेजेज के ग्रलावा ग्रौर भी प्राइवेट ट्रेनिंग कालेजेज थे। उनके लिये हमने एक डायरेक्टर नियुक्त किया है। प्रिंसिपल को ट्रेनिंग कालेजेज का निरीक्षण करने के लिये कहा गया है। इनके ग्रलावा जो प्राइवेट ट्रेनिंग कालेजेज थे उनमें शिक्षा दी जा रही थी ग्रौर जैसा हम चाहते थे वैसी शिक्षा उतने रुपये में सम्भव नहीं थी। इसलिये ३५ लाख रुपया ग्रौर दिया जा रहा है जिससे हमारे ट्रेनिंग कालेजेज का स्तर भी ऊंचा होगा। तीन ट्रेनिंग कालेजेज हैं, तीन बेसिक ट्रेनिंग कालेजेज है ग्रौर तीन जनता के कालेज खुल गये हैं। मुझे ग्राशा है कि हमने जो ३५ लाख रुपया रखा है उससे ट्रेनिंग कालेजेज का स्तर ऊंचा होगा।

इस प्रकार ग्राप देखेंगे कि इस बजट में यह रकम पर्याप्त है या नहीं, यह तो मैं स्वयं समझता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है ग्रौर शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है ग्रौर धन की कितनी ग्रावश्यकता है इसके लिये, इसका ग्रनुमान लगाना भी मुश्किल है। जितना भी धन हो वह इसमें लग सकता है ग्रौर लगना भी चाहिये ग्रौर फल भी ग्रच्छा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ग्रपनी दिक्कतों को देखते हुये ग्रपने विकास कार्यों को देखते हुये, मुझे इस बात का संतोष है कि हम उसको फिर भी बढ़ा सके ग्रौर करीब १०/११ करोड़ रुपया हम बालकों की शिक्षा पर खर्च करेंगे ग्रौर हम ग्राशा करते हैं कि रकम उत्तरोत्तर बढ़ती जायगी। इन शब्दों के साथ मैं इसको प्रस्तुत करता हूं ग्रौर ग्राशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—ग्रध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण ग्रनुदान के ग्रधीन १ रुपये की कटौती की जाय।

ग्रभी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने जब ग्रपना भाषण प्रारम्भ किया तो उन्होंने कहा कि ग्राज तक हमारे सामने समाज का कोई चित्र नहीं था, इसलिये हम शिक्षा को कैसी बनायें यह भी हमारे सामने स्पष्ट नहीं था? यह सुन कर मुझे बड़ा ग्राश्चर्य हुग्रा ग्रौर दुःख भी हुग्रा।

प्रजातंत्र का आदर्श उनके सामने था और हमारे देश की सभ्यता, जो कि बड़ी प्राचीन है और यहां के वेद और उपनिषदों से लेकर आज तक की जो हमारी परम्परा रही है वह उनके सामने थी । लेकिन वह कहते हैं कि उनके सामने कोई आदर्श नहीं था, इसलिये वह शिक्षा का ढांचा ठोक नहीं कर पाये । अब उनके सामने समाजवाद का आदर्श है । जब हमने इस बजट को देखा और उसके साथ साथ माननीय शिक्षा मंत्री का भाषण सुना तो वह समाजवादी ढांचा हम देखने को नहीं पाते हैं । अध्यक्ष महोदय, हमारी भारतीय पद्धति के अन्दर मनुष्य के जीवन का उद्देश्य धर्म, अर्थ , काम और मोक्ष है । धर्म का अर्थ ड्यूटी है, अर्थ का मतलब है मेटीरियल प्रासपैरिटी, काम का अर्थ है फुलफ़िलमेंट आफ़ डिज़ायर्स और मोक्ष का अर्थ है इमेन्सीपेशन । इन सब की प्राप्ति किस प्रकार हो, उसके लिये भी है कि विद्या, बल, धन और धर्म के द्वारा ये प्राप्त हो सकती है । विद्या का मतलब नालेज से है, बल का पांवर से, धन का वेल्थ से और धर्म का ड्यूटी से है । तो ये आदर्श तो हमारे सामने थे ही । लेकिन जो आपका नया आदर्श समाजवादी ढांचे का है तो माननीय शिक्षा मंत्री ने जो भाषण दिया उससे ऐसा मालूम हुआ कि इस देश की, और खासतौर से उत्तर प्रदेश की जो समस्यायें हैं उनको प्रायः एक मैजिक बैन्ड से सुलझा दिया गया है ! अध्यक्ष महोदय, मैं सन् ५० से आज तक के आंकड़े इस सम्बन्ध में दूंगा । शिक्षा मंत्री जी ने प्राइमरी, माध्यमिक और यूनिवर्सिटी शिक्षा का हवाला दिया । अगर हम प्राइमरी स्कूलों को देखें तो सन् ४९-५० में उनकी संख्या ३१,०३६ थी और सन् ५४ में उनकी संख्या ३१,१११ है । इस तरह से हम देखते हैं कि सिर्फ़ ७५ प्राइमरी पाठशालायें इन पांच वर्षों के अन्दर बढ़ीं ।

श्री हरगोविन्द सिंह--जरा फिर से आंकड़े बताइये ।

श्री गंगाधर मैठाणी--ये सब आंकड़े जो आपने पुस्तिका बांटी है उसके पृष्ठ ७ में दिये हुये हैं उसी से मैं पढ़ रहा हूं । अगर उसमें ग़लत आंकड़े दिये हों तो मेरी गलती नहीं होगी ।

श्री हरगोविन्द सिंह--आपकी समझ की भी तो हो सकती है ?

श्री गंगाधर मैठाणी--दूसरा सामंजस्य अगर हम जूनियर हाई स्कूल्स को देखते हैं तो सन् ५० में उनकी संख्या २५८५ थी और सन् ५४ में ३३१८ है । तो जूनियर हाई स्कूल्स इन्हीं पांच साल के अन्दर ७३३ बढ़ जाते हैं । तो पांच वर्ष के अन्दर प्राइमरी पाठशालायें तो बढ़ती हैं ७५ और जूनियर हाई स्कूल बढ़े हैं ७३३ । इसको देखकर हमें ताज्जुब होता है कि आखिर प्राइमरी स्कूलों से बढ़कर जूनियर हाई स्कूल में नहीं जा सकते हैं । प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह जूनियर हाई स्कूल में जाते हैं और वहां जूनियर हाई स्कूल में वह ७३३ बढ़े हैं । और यहां से शिक्षा प्राप्त करके वे लड़के हायर सेकेन्डरी स्कूल में जाते हैं । तो इससे यह मालूम होता है कि शायद उनके आंकड़े गलत होंगे । जब हम हायर सेकेन्डरी स्कूलों की संख्या देखते हैं तो वहां पर ४९-५० में ९०३ हैं और हायर सेकेन्डरी स्कूल जब हम ५४ में आकर देखते हैं तो १३१८ संख्या को देखते हैं । तो यहां पर हम देखते हैं कि ७१५ हायर सेकेन्डरी स्कूल आकर बढ़ गये हैं । इस तरह से यह प्राइमरी स्कूल से माध्यमिक स्कूल और माध्यमिक स्कूल से हायर सेकेन्डरी स्कूलों की संख्या में कोई सामंजस्य नहीं है । इसी प्रकार से हम लड़कों की संख्या को देखतें हैं । प्राइमरी स्कूलों में लड़कों की संख्या ४९-५० में २४ हजार के लगभग है और ५४ में आकर वह २६ हजार है, तो इन पांच वर्षों में लड़कों की संख्या केवल २ लाख ही बढ़ी है और इतने लड़कों को ही आप शिक्षा देने का प्रबन्ध कर पाये । इसी प्रकार से जूनियर हाई स्कूल में ४९-५० में लड़कों की संख्या ३१ लाख है और ५४ में वह केवल ४ लाख बढ़ी है । हायर सेकेन्डरी स्कूलों में लड़कों की संख्या ३ लाख ६० हजार से ५ लाख ७७ हजार हुई तो २ लाख की संख्या बढ़ी है । इस सामंजस्य को देखकर मालूम होता है कि शिक्षा मंत्री जी प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल और हायर सेकेन्डरी स्कूलों की संख्या को देखते हैं, वह इस बात को नहीं देखते हैं

[श्री गँगाधर मैठाणी]

कि सरकार इन स्कूलों में कितने लड़कों के पढ़ने का प्रबन्ध कर सकती है और प्राइमरी से जूनियर में और जूनियर से हायर सेकेन्डरी में और हायर सेकेन्डरी से यूनिवर्सिटी में कितने लड़के इनरोलमेंट हो सकते हैं । इस समस्या को हमारे शिक्षा मंत्री जी को देखना चाहिये । माननीय अध्यक्ष महोदय, उस दिन बजट के आंकड़े पर मैंने दृष्टिपात किया तो मालूम हुआ कि इस पूरे प्राविन्स के अन्दर विश्वविद्यालयों के लिये ९८ लाख रुपया है । उसके बाद माध्यमिक के लिये देखा तो उनके लिये २ करोड़ ३५ लाख रुपये हैं । प्राइमरी स्कूलों के लिये ४ करोड़ २४ लाख है । मैं उस माध्यमिक के विषय में यह कहना भूल गया कि माध्यमिक के अन्दर जो ट्रेनिंग कालेज हैं वह माध्यमिक के अन्दर आने चाहिये, उनके लिये १ करोड़ ८ लाख और कुछ रुपया है और हायर सेकेन्डरी स्कूलों के लिये ३४ लाख ६२ हजार ७०० रुपया है और हाई स्कूलों के लिये १ करोड़ ८ लाख रुपया है । यदि हम इसको देखते हैं तो जो रुपया शिक्षा के लिये खर्च होता है वह हायर सेकेन्डरी का बजट यूनिवर्सिटी के अन्दर नहीं रहना चाहिये । हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी है उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि पहली पंचवर्षीय योजना में हमारा इतना टारजेट है और पांच साल के अन्दर हम इतनी शिक्षा कर लेंगे और ऐसा संविधान के अन्दर है । जिस प्रकार की प्रगति माननीय मंत्री जी इस विभाग में चला रहे हैं उस प्रगति को देखते हुये बड़ा दुख होता है ।

माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अभी आपने यह कहा है कि बहुत से हायर सेकेन्डरी स्कूल वह खोल सकते थे लेकिन उनको खोला नहीं गया । चूंकि इन्टरमिडियेट कालेज बजाय सेकेन्डरी स्कूल बनाये गये हैं इस वजह से नहीं खोला गया । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि खुद उनके जो हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं उनकी हालत वह जाकर देखें और दूसरी तरफ जो आपने अभी कहा है कि प्राइवेट हाईस्कूल जो हैं उनका मैनेजमेंट स्वतन्त्र है । आप उनको वाध्य करते हैं कि आपकी कंडीशन हायर सेकेन्डरी स्कूल की वह मानें । आप कहते हैं कि उनके अध्यापकों का वेतन बढ़ाया जाय लेकिन जब उन लोगों का वेतन बढ़ा दिया गया तो आप कहते हैं कि हम बढ़े हुए खर्चे का केवल एक चौथाई देंगे । लेकिन अब मंत्री महोदय कहते हैं कि हम उस पर विचार कर रहे हैं । ठीक है, लेकिन हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हायर सेकेन्डरी और जूनियर हाई स्कूल के लिये उसी प्रकार से अनुदान दिया जाना चाहिये जिस प्रकार से एजूकेशन कोड में लिखा हुआ है ।

जिला गढ़वाल में जनता ने १–१ लाख रुपया खर्च करके स्कूलों के लिये भवन बनवा दिये हैं । अगर सरकार उतना खर्चा करना चाहती तो ५० साल में भी नहीं कर सकती थी । श्रमदान के द्वारा लोगों ने बिल्डिंग्स बना दी, लेकिन अब उसकी पुताई, चूना आदि पर भी कोई ध्यान देने वाला नहीं है । प्राइमरी स्कूलों के लिये सरकार कहती है कि वह उसमें आगे बढ़ना चाहती है । सरकार का यह कर्तव्य था कि वह लोगों को इसमें शिक्षित करती और निःशुल्क करती । मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा, उनको सिस्टेमटाईज ढंग से चलना चाहिये । मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की नीति कुछ कांसोलिडेट करने की है न कि आगे प्रगति करने की । मैं कहूंगा कि इस प्रकार प्रगति को रोकना प्रजातंत्र और समाजवाद की विशेषता नहीं है । हम यह आशा करते थे कि इस बजट के अन्दर कम से कम प्राइमरी एजूकेशन को अनिवार्य और फ्री कर दिया जायगा । ट्रावनकोर एक छोटी सी स्टेट है, वहां पर हाईस्कूल तक फ्री ऐजूकेशन दी जाती है तथा काश्मीर में यूनिवर्सिटी तक की ऐजूकेशन फ्री दिये जाने की योजना है, लेकिन आप प्राइमरी ऐजूकेशन भी फ्री नहीं कर पाये हैं । मैं समझता हूं कि सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । इसके अलावा पहले हाई स्कूल्स में ए, बी, और सी, तीन ग्रूप्स थे लेकिन अब डी, ई०, और एफ, और खोल दिये गये हैं । इसके माने ये हैं कि ए० में जनरल ऐजूकेशन, बी० में साईंस, सी० में कृषि, डी० में वाणिज्य, ई० में रचनात्मक, तथा एफ० में कलात्मक विषय होंगे । इस प्रकार आपने उसको अलग-अलग वर्ग में बांट दिया है । आपने कहा है कि ग्रामों में हम कृषि की शिक्षा देंगे, तथा जो लोग शहरों के

रहने वाले हैं उनको हम क्राफट्स की शिक्षा देंगे। हाई स्कूल क्लासेज में स्पिनिंग और वीविंग रखा गया है। दूसरी ओर इंडस्ट्री विभाग की ओर से स्पिनिंग और वीविंग की शिक्षा दी जाती है, लेकिन अगर कहीं कोई आवश्यकता होगी तो, आपके यहां का लड़का पहले लिया जायगा या कि इंडस्ट्री विभाग का ? यह हमारी समझ में नहीं आता कि एक ओर तो कृषि विभाग के स्कूल चल रहे हैं और दूसरी ओर इंडस्ट्री विभाग के स्कूल अलग चल रहे हैं। इसके अलावा टीचर्स की ट्रेनिंग हुई लेकिन अगर आप उनको देखें, कहीं विद्यार्थी हैं तो टीचर्स नहीं हैं और अगर टीचर्स हैं तो वहां विद्यार्थी नहीं है। शिक्षा पाने वालों को स्टाइपेन्ड दिया जाता रहा और हम उसके बारे में माननीय मंत्री जी से पूंछे तो शायद माननीय मंत्री जी बिगड़ भी जायं। पिछले वर्ष गांवों में स्कूलों को भूमि दी गयी और हमने भी उसका स्वागत किया लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में सावधानी नहीं बरती गयी, और अब हालत यह है कि सरकार की यह तमाम स्कीम फेल होने जा रही है। गो कि सरकार ने उनको जमीन दी लेकिन उनको खेती के इम्प्लीमेंट्स नहीं दिये। छठी, सातवीं और आठवीं क्लासेज जाती हैं लेकिन दिन भर बेकार रहती हैं और जो टीचर्स पढ़ कर आये थे वे भी भूलते जा रहे हैं।

इसलिये सबसे पहले यह व्यवस्था होनी चाहिये थी कि जहां फार्म खोले वहां पहले पानी की व्यवस्था कर दी जाती। इस चीज का होना बहुत आवश्यक था। एक बात प्राइमरी स्कूल्स के बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं, कि एक ओर तो अन-इम्पलायमेंट के लिये बहुत से रोजगार खोले जाते हैं और दूसरी ओर आपकी ओर से एक जी०ओ० निकला है कि जहां प्राइमरी स्कूल में ३५ का एवरेज होगा तो वहां पर एक सिंगिल टीचर होना चाहिये। अब जरा सोचने की बात है कि एक स्कूल में जहां ४०, ४५ लड़के होंगे वहां पर एक ही टीचर होगा जो एक से पांच तक सब क्लास में पढ़ायेगा। आखिर एक ही टीचर सब क्लास में कैसे पढ़ा सकता है ? इस तरह से आपने तो उसकी जड़ को ही कमजोर कर दिया है। आज प्राइमरी स्कूल की हालत बहुत खराब हो गयी है, वहां एक ही ग्रुप का आदमी सब विषय पढ़ावेगा, एग्रीकल्चर भी पढ़ावेगा, हार्टिकल्चर भी पढ़ावेगा और न जाने क्या क्या पढ़ावेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल के साथ-साथ जूनियर हाई स्कूल का स्टैन्डर्ड भी गिरता जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि वे शिक्षा के स्तर को उठाना चाहते हैं, लेकिन आप स्तर को ऊंचा कैसे उठायेंगे ? जब प्राइमरी स्कूल की शिक्षा खराब है तो जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा भी खराब होगी और हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा भी खराब होगी।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान एक दो मिनट के लिये टेक्स्ट बुक्स की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। टेक्स्ट बुक्स जो छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ायी जाती हैं उनकी विचित्र हालत है। उनमें पालिटिकल लीडर्स के बारे में बहुत से गलत फैक्ट्स लिखे गये हैं। कम से कम पालिटिकल लीडर्स के बारे में कंटेम्पोरेरी बातें तो आनी ही नहीं चाहिये। मैं थोड़े से उदाहरण दे देता हूं। जूनियर हाई स्कूल की किताब में लिखा हुआ है कि सन् १९२१ ई० में पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह किया। यह चीज फैक्ट्स के बिलकुल खिलाफ है। मैं तो कहता हूं कि जब स्कूल के लिये पुस्तकें लिखी जायं तो उसके लिये इस तरह की प्राइवेट कमेटी होनी चाहिये जो तय करे कि टेक्स्ट बुक्स के अन्दर क्या विषय होना चाहिये और कैसा विषय होना चाहिये।

श्री हरगोविन्द सिंह––जूनियर हाई स्कूल के लिये तो ऐसी कोई किताब नहीं है।

श्री गंगाधर मैठाणी––तो हो सकता है कि प्राइमरी स्कूल की किताब में ही यह लिखा हुआ हो। अब मैं ट्रेनिंग कालेज के सम्बन्ध में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। यहां पर एक कंस्ट्रक्टिव ट्रेनिंग कालेज और एक बेसिक ट्रेनिंग कालेज है। दोनों के उद्देश्य बिलकुल अलग हैं, लेकिन उनका प्रिंसिपल एक ही रखा गया है। कंस्ट्रक्टिव ट्रेनिंग कालेज के लिये नियम यह है कि वहां का प्रिंसिपल जो हो वह एक टेक्निकल हैन्ड होना चाहिये लेकिन यहां पर इसका कोई भी

[श्री गंगाधर मैठाणी]

ध्यान नहीं रखा गया है । वहां पर मीनिअल सर्वेन्ट्स की तादाद इतनी ज्यादा है कि ५० तो मीनिअल सर्वेन्ट हैं लेकिन १० से अधिक प्रिंसिपल के बंगले में रहते हैं, ३ या ४ से अधिक कालेज में नहीं रहते हैं। आखिर लखनऊ शहर के अन्दर यह कालेज है और बाहर के लोग वहां उसे देखने के लिये जाते हैं, आते हैं तो इसका कोई ख्याल रखना चाहिये कि वहां की हालत अच्छी रहे। सोशल सर्विस की भी वहां ट्रेनिंग दी जाती है और करीब २० या २५ लड़कियां भी वहां पढ़ने के लिये जाती हैं लेकिन उनके लिये एक भी लेडी टीचर नहीं है । सभी मेल टीचर्स ही हैं और जब वे लोग अमौसी आदि गांवों में जाते हैं तो जिस तरह से बीड़ी वगैरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है या जिस तरह से भद्दे गाने सिनेमा आदि में गाये जाते हैं उसी तरह से बेसिक ट्रेनिंग कालेज के ये लोग गाना गाते हैं । अगर आप गांवों में जाकर पूछें तो मालूम होगा कि लोगों को यह बहुत बुरा मालूम होता है और इसका असर उनके ऊपर बहुत बुरा पड़ता है ।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का विषय बहुत ही गम्भीर विषय है और उस की उन्नति के लिये सरकार जो प्रयास कर रही है इस में सन्देह नहीं कि उससे हमारे प्रदेश का उद्धार और उन्नति होगी और प्रदेश के लोगों में शिक्षा का विस्तार होगा और फलस्वरूप उससे बेकारी भी दूर होगी और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा । शिक्षा के सम्बन्ध में जो सुधार यहां किये गये हैं और जो अनुदान बढ़ाये गये हैं उससे हमें बड़ी आशायें होती हैं कि हमारे यहां शिक्षा का विस्तार होगा और उस में सहायता प्राप्त होगी । मुझे हर्ष है कि संस्कृत भाषा के लिये भी सरकार ने कुछ रुपया इस आयव्ययक में रखा है, यह वह भाषा है जो सरकार की उच्च और आध्यात्मिक शिक्षा देने वाली है जिसके अन्दर बड़े बड़े महान् व्यक्तियों और ऋषियों ने संसार को अध्यात्मिक ज्ञान दिया है और जिस का अध्ययन विदेशों तक में किया जाता रहा है । मैं समझता हूं कि संस्कृत की शिक्षा से मनुष्य जाति को वास्तव में बहुत लाभ होगा । हमारे यहां का जो प्राचीन गणित शास्त्र का महत्व है वह भी बहुत अधिक है । हमारा गणित इतना ऊंचा है कि इतना ऊंचा गणित अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त हो सकता परन्तु अंग्रेजी शासन काल में हर तरह से उस की अवहेलना हुई और केवल नाम मात्र को ही उसको उभरने का मौका मिला, उनकी नीति थी कि अंग्रेजी भाषा का ही उद्धार हो और उसी का प्रचार हो । लार्ड मैकाले की यह नीति थी कि भारतीय भाषायें यहां पर किसी तरह भी पनपने न पायें, १८५७ के बाद लार्ड वलाइव ने सम्पूर्ण भारत में अंग्रेजी राज्य को स्थापित किया है और उनको इस का श्रेय है और उनके बाद लार्ड मैकाले ने उस अंग्रेजी राज्य को यहां पर सुदृढ़ किया । उन्होंने स्पष्ट कहा था कि

"We must do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons Indian in blood and colour, but English in taste, in opinion, words and intellect."

वह कहते थे कि हम भारत में एक ऐसा वर्ग स्थापित करना चाहते हैं जो रंग और रक्त से तो भारतीय हो और जिस का आचार-विचार रहन-सहन अंग्रेजी हो ताकि वह अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना में यहां पूरा लाभ उठा सकें । उस तरह की जो शिक्षा प्रणाली उस जमाने में थी उस में अब परिवर्तन हो रहा है, उसको देख कर मैं कभी-कभी विचार करता हूं कि हमें अंग्रेजी शिक्षा का विरोध तो न करना चाहिये, उस की आवश्यकता कुछ विषयों की ज्ञान प्राप्ति के लिये हो सकती है लेकिन हमें देखना यह है कि वह अंग्रेजी की शिक्षा भले ही हो पर अंग्रेजों की शिक्षा न हो जो यहां किसी समय दासता की शिक्षा के रूप में साम्राज्य को दृढ़ करने के लिये चलायी गयी थी ।

श्री अध्यक्ष—आप अब सवा २ बजे के बाद बोलें ।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री रणंजय सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था कि संस्कृत विश्वविद्यालय के लिये और जो संस्कृत वेधशाला के लिये विचार किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और यह भी निवेदन करता हूं कि अंग्रेजी की शिक्षा होनी चाहिये किन्तु अंग्रेजों की शिक्षा नहीं होनी चाहिये। पठन पाठन पद्धति में बहुत परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि हमारे यहां कोई ऐसी समिति स्थापित की जाय जो वैदिक काल से लेकर अब तक के पठन पाठन की पद्धतियों पर पूरा-पूरा विचार करे और कोई ऐसी शिक्षा पद्धति लाव जिससे हमारे बालकों पर अच्छा प्रभाव पड़े और वे आदर्श नागरिक बनें और देश और समाज की पूरी सेवा कर सकें।

आजकल सहशिक्षा की बात भी सुनने में आती है। तो मुझे थोड़ा सा यह भी सोचना पड़ता है कि सहशिक्षा नहीं होनी चाहिये। बालक और बालिकाओं के शिक्षा स्थान ज्यादा से ज्यादा पृथक पृथक हों और उनमें बालक और बालिकायें दोनों पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते रहें। और शिक्षा के समय में उनका सारा जीवन ऐसा बने जो आगे चल कर उनके सारे जीवन को उच्च विचारों के लिये प्रेरित कर सके और वे आदर्श नागरिक बन सकें। हम अपने यहां ब्रह्मचर्य की पूर्ण रूप से स्थापना करें। मुझे इस बजट में यह देखकर संतोष हुआ है कि गुरुकुलों के लिये भी अच्छी सहायता रखी गयी है। यदि गुरुकुलों के ऊपर ध्यान दिया जाता है और वहां की शिक्षा प्रणाली का प्रचार होता है तो उससे हमारे देश का बहुत बड़ा लाभ होगा। शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिसे सीखकर लोग लाभ उठावें। शिक्षा वास्तव में मनुष्यत्व प्रदान करती है। विद्याविहीन पशु माने जाते हैं किन्तु आजकल भौतिकवाद में कुछ ऐसी बातें देखने में आती हैं कि मनुष्य को सुखी बनाने के लिये तो नाना प्रकार से प्रयास किये जाते हैं लेकिन मनुष्यत्व के लिये उतना प्रयास नहीं होता। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि वास्तव में हम लोगों को मनुष्य बनावें और मनुष्यत्व उनमें लाने का प्रयत्न करें तभी विशेष रूप से लाभ हो सकता है। ब्रह्मचर्य पालन के लिये हमारे स्कूलों में आज भी नियम है कि मैट्रिक की परीक्षा वही दे सकता है जो अविवाहित हो और इसलिये स्कूलों में जहां पूछा जाता है कि विवाहित है या अविवाहित तो वहां लड़के या उनके गार्जियन्स यह लिख दिया करते हैं कि अनमैरेड (unmarried), और मैं अपना अनुभव बतलाता हूं क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र का अनुभव रखता हूं कि ९५ नहीं तो ९० प्रतिशत लड़के ऐसे अवश्य होंगे जो विवाहित होंगे किन्तु उन्होंने अविवाहित लिखवाया होगा। इस प्रकार से बाल्यावस्था में ही जो असत्य का मार्ग उन्हें दिखलाया जाता है और वे असत्य की ओर चलने लगते हैं तो फिर कैसे वे सत्यता ग्रहण कर सकते हैं? इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय और यदि नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय तो सच्चाई का प्रचार होगा, उनका चरित्र सुधरेगा और वे चरित्रवान सदाचारी नागरिक बनेंगे। उनमें अनुशासन हीनता भी इसी कारण से रहती है कि लोग अस्तव्यस्त दशा में रहते है और कोई उन्हें बहकाने वाला पहुंचा तो वह इधर चले जाते हैं या उधर चले जाते हैं। इसलिये यदि सच्ची शिक्षा मिले तो वे अपने कर्त्तव्य का पालन करना सीखें और उनका ध्यान यदि ब्रह्मचर्य, सदाचार और व्यायाम की ओर रहे तो उन्हें अवसर नहीं मिलेगा कि वे इधर उधर की ऊटपटांग बातों में पड़ें। तो वहां उत्तम शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये। ऐसी बातों पर ध्यान रखना सरकार के लिये आवश्यक है। इस प्रकार की शिक्षा होगी तो बड़ा लाभ होगा और साथ-साथ मैं यह भी निवेदन कर दूं कि आजकल जो बहुत सी पुस्तकें हैं उनमें ऐसी बहुत सी बातें होती हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि कहां से ये बातें आ जाती है। जैसे दसवीं कक्षा का एक विद्यार्थी जा रहा था तो मैंने उसकी पुस्तक हाथ में लेकर देखा। उसमें महात्मा गांधी के संबंध में लिखा हुआ था कि बचपन में यह करते थे, वह करते थे और बाद में वे सुधरे, तो ये चीजें उल्टा प्रभाव डालती हैं। कहां से

[श्री रणंजय सिंह]

ये बातें आ जाती हैं ? इस प्रकार से महापुरुषों की चर्चा की जाती है तो कपोल कल्पित बातें की जाती हैं, यह नहीं कि आवश्यक बातें हों। इसी प्रकार प्रकाशन और मुद्रण में भी गलतियां होती हैं और बालकों को जवाब देने में कठिनाई होती है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ये त्रुटियां दूर हों जिससे पढ़ने में सुगमता हो और वे वास्तव में विद्वान बन सकें। सहशिक्षा का मैं विरोध करता हूं और ब्रह्मचर्य पर बल देना चाहता हूं।

साथ ही साथ श्रीमान् जी द्वारा सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि ऐसे आदेश निकाले जायं कि जो श्रृंगाररसपूर्ण चित्र बहुत से पत्रों में छपते हैं और सिनेमा के विज्ञापन बटते हैं और उनमें अश्लील चित्र व गाने होते हैं उनको रोकना चाहिये क्योंकि वे सब विद्यार्थियों के ब्रह्मचर्य के लिये हानिकारक हैं वरना उनका चरित्र सुधरेगा नहीं। कहा गया है "प्रवृत्तिरेषा भूतानां, निवृत्तिस्तु महाफलाः" इन बातों से बालकों में पवित्रता आती है नहीं तो वे लोग दूसरी तरफ झुक जाते हैं। गाना-बजाना बड़ा मधुर प्रतीत होता है उसमें वे लोग झुक जाते हैं। सदाचार की ओर विशेष ध्यान दे कर, ब्रह्मचर्य की ओर विशेष ध्यान दे कर शिक्षा का प्रबन्ध किया जायगा और शिक्षा के द्वारा उनको पूर्ण मनुष्यत्व प्रदान करने की कोशिश की जायगी तो सबके लिये हितकर होगा। इसलिये मैं यह समझता हूं कि शिक्षा के संबंध में लड़कों और बालकों के संरक्षकों को सब बातों का ध्यान रखकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि वे किसी प्रकार से बहक न पायें। लोग पशु पालते हैं तो वे चाहते हैं कि उसे इस तरह से साधा जाय कि वह इधर से उधर न हो सके लेकिन बालकों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता और इसका परिणाम यह होता है कि पूर्णतया उनके मन दुर्भावनाओं में लिप्त हो जाता है और नाना प्रकार के उपद्रव वह मचाते हैं। विद्यार्थियों को राजनैतिक शिक्षा भी अवश्य मिलनी चाहिये लेकिन और राजनैतिक कार्यों में वे न पड़ें। विद्याध्ययन करें, जो प्रमुख कर्त्तव्य है विद्या प्राप्त करना उसके लिये प्रयत्नशील रहें। इस प्रकार से विद्यार्थी जीवन व्यतीत करें कि वे बुद्धिमान् बन सकें, बलवान् बन सकें और आगे चल कर वे इस प्रकार धन प्राप्त कर सकेंगे और सेवा कर सकेंगे और अच्छी अच्छी बातें कर सकेंगे लेकिन यह पहले से समझ लेना कि वे अभी से विद्वान बन जायें, बलवान् बन जायं, धनवान् हो जायं तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। आज कल जो लक्ष्य होता है वह यह कि शिक्षा भिक्षा के लिये है हालांकि शिक्षा ही ज्ञान के लिये होनी चाहिये। इसलिये विद्यार्थियों का जीवन नौकरियों के लिये न हो। इसलिये मुझे बड़ा दुख होता है जब किसी चपरासी का स्थान रिक्त होता है, किसी लेखपाल का हुआ तो सैकड़ों नहीं सहस्त्रों प्रार्थना-पत्र पहुंच जाते हैं और माता पिता ने जितना व्यय करके पढ़ाया वह सब इस तरह से उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। जब वे छोटी छोटी नौकरियों की ओर दौड़ते हैं तो उस शिक्षा का ध्येय वहीं समाप्त हो जाता है और आगे चल कर भूल जाते हैं कि क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। इसलिये शिक्षा जो है वह आदर्श शिक्षा हो। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार इन बातों पर विचार करेगी। इतना कह कर मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मेरी कही हुई बातों पर विचार करके सरकार शीघ्र ही ऐसा कार्य करेगी जिससे भविष्य उज्जवल हो।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—श्रीमन्, मैं अपने शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस अनुदान का समर्थन करता हूं। और उन्हें इस बात के लिये बधाई देता हूं कि पिछले तीन वर्ष में उन्होंने शिक्षा के भिन्न-भिन्न अंगों में सुविधा के अनुसार जैसी कि उनके पास राशि थी प्रगति करने की कोशिश की है। इस के साथ ही जो कुछ इस संबंध में मुझे सुझाव देना है उन्हें भी मैं आप के सामने पेश करना चाहता हूं।

मेरा ख्याल यह है कि इस देश का, इस राष्ट्र का या इस प्रांत का विकास पीछे रह सकता है तब तक, जब तक कि इस प्रांत में या देश में अनिवार्य शिक्षा नहीं की जाती। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बतलाया कि प्रायः ८० म्युनिसिपैलिटियों में अनिवार्य शिक्षा है और कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में भी इसका प्रयत्न किया गया है। मेरी राय में इस दिशा में हमें सर्वसम्मत होना

चाहिये कि सरकार का पहला काम यह है कि वह प्रांत के हर एक स्थान में अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध करे और और चीजों में चाहे रुकावट पड़ भी जाय लेकिन इसमें पीछे न रहना चाहिये ।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि पिछले पांच साल से इस सदन में हर साल मैं सुनता आ रहा हूं कि बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय खुलने वाला है। जब संपूर्णानन्द जी मंत्री थे, उन्होंने इस बात का प्रयत्न किया था और जो नये मंत्री जी आज हैं वह भी इस बात को कहते हैं, लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आता कि वह कब तक खुलेगा। मैं यह समझता हूं कि संस्कृत की जो शिक्षा आज कल इस प्रदेश में दी जा रही है, अगर उसको हमको एकाग्र करना है और विकसित करना है तो उसके लिये संस्कृत विश्वविद्यालय जल्दी से जल्दी खुलना चाहिये। इसके साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि जो आज संस्कृत कालेज की हालत है, उसमें भी सुधार होना जहिये, क्योंकि जब वह चाहते हैं कि वही संस्कृत कालेज संस्कृत विश्वविद्यालय का केंद्र बने तो जो आलउसकी हालत है उसमें सुधार करना जरूरी होगा। अभी काफी दिनों से वहां के प्रिंसिपल का स्थान रिक्त है, अस्थायी तौर पर नियुक्ति हुई है परन्तु वह नियुक्ति आगे आने वाले संस्कृत विश्वविद्यालय के लिये उपयुक्त नहीं सिद्ध हो सकती और यदि वह चाहते हैं कि इसी जुलाई में संस्कृत विश्वविद्यालय का प्रारम्भ हो तो उस संबंध में उनको संस्कृत कालेज में जरूर ऐसा परिवर्तन करना चाहिये जिससे कि वह भावी विश्वविद्यालय के लिये एक अच्छा केंद्र बन सके और उससे नये विश्वविद्यालय का विकास भी होगा। इस संबंध में मैं उनसे यह भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार आगरा विश्वविद्यालय सारे प्रांत का विश्वविद्यालय है उसी प्रकार उन्हें संस्कृत विश्वविद्यालय को केवल बनारस में सीमित नहीं करना चाहिये। मैं उनको यह सुझाव दे सकता हूं कि हरिद्वार में ऐसी तीन संस्थायें हैं महाविद्यालय ज्वालापुर, गुरुकुल कांगड़ी और ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम कि जिनके पास बड़े बड़े भवन हैं लेकिन अनेक कारणों से उनमें विद्यार्थियों की उचित संख्या यहीं है, लेकिन उन्होंने पिछले ५० वर्षों में संस्कृत शिक्षा के लिये बहुत कुछ किया है और यहां जो संस्कृत विश्वविद्यालय बन रहा है, मैं चाहता हूं कि उस के लिये कुछ ऐसा विभाजन हो कि उसका हरिद्वार में भी प्रबन्ध हो सके और हमें उन भवनों से लाभ उठाना चाहिये। सरकार तो इस दृष्टि से भी उन से लाभ उठा सकती है। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई दूंगा कि उन्होंने संस्कृत शिक्षा की पाठशालाओं के जो इंस्पेक्टर का एक दफ्तर बनारस में था, उसमें परिवर्तन किया है और उसे तीन जगह कर दिया गया है। इस के साथ ही मुझे यह भी कहना है कि यह संस्कृत पाठशालाओं को जो अनुदान दिये जाते हैं वह बहुत थोड़े हैं। मैं मानता हूं कि संस्कृत पाठशालाओं में कहीं ४ विद्यार्थी हैं और कहीं ५ और वह थोड़ा-थोड़ा अनुदान पाते हैं। संस्कृत शिक्षा परिषद की जो अनुदान कमेटी है उसके अध्यक्ष की हैसियत से मुझे पाठशालाओं का थोड़ा सा अनुभव है। मैं समझता हूं कि जो अनुदान मिलते हैं उस पर उस कमेटी को कोई अधिकार नहीं है और वह उनके घटाने बढ़ाने पर कोई विचार नहीं कर सकती है। नयी पाठशालाओं को वह अनुदान देने की क्षमता रखती है। पिछली पाठशालाओं में विद्यार्थी हैं या नहीं, उनमें ५ विद्यार्थी हैं या ५००, इसका उस कमेटी को कोई पता नहीं चलता और न उसको अधिकार ही है कि वह उस बारे में कोई जांच कर सके। तो मैं उनसे कहूंगा कि इस बारे में भी वह कुछ कदम उठायें। और संस्कृत शिक्षा परिषद की अनुदान कमेटी को यह अधिकार दें कि वह जो अनुदान सरकार से स्वीकृत हो उसको रिवाइज कर सके। इसके सिवा वह अनुदान उन सब पाठशालाओं में विभक्त कर सके और जो पाठशालायें न चलती हों उनसे अनुदान हटा कर उन पाठशालाओं को दे कि जिनमें अधिक संख्या में विद्यार्थी पढ़ते हैं।

इसके साथ ही मुझे माननीय मंत्री जी से यह भी कहना है कि हाई स्कूलों और हायर सेकेंड्री स्कूलों या इंटरमीडियेट कालेजों में जो अनुदान दिये जाते हैं उनसे बहुतों को संतोष नहीं है। मेरी राय में उनका भी रिवीजन होना चाहिये और यह देखना चाहिये कि जो पुराने स्कूल थे उनको जो रकम मिलती है और जो नये स्कूल खुल रहे हैं उनको जो रकम मिलती है, उनमें क्यों इतना फर्क रहता है। और मेरा तो अपना अनुभव है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे जिले में जो अच्छे स्कूल हैं उनका अनुदान बहुत कम है और

[श्री दीनदयालु शास्त्री]

मैंने एक दो स्कूलों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया लेकिन मैं सफल न हो सका। मैं यह समझता हूं कि ऐसे स्कूलों को जो ऐसी बस्तियों में हैं जहां शरणार्थी अधिक रहते हैं, हरिजन रहते हैं उन्हें अनुदान ज्यादा मिलना चाहिये बनिस्बत उन स्कूलों के जहां धन के साधन अधिक ह और इस दृष्टि से मंत्री महोदय विचार करेंगे तो शिक्षा में काफी सुधार होंगे। अन्त में यह भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने गोरखपुर में यूनिवर्सिटी खोलने का जो साहस दिलाया है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिये। आगरा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और उसके अधिकार में जो कालेज हैं उनकी संख्या अधिक है। लेकिन इस दिशा में उनको यह भी ध्यान करना चाहिये कि जैसा मैंने पिछले साल कहा था, कि पश्चिमी जिलों में यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है और अगर वह चाहें तो सफलता से देहरादून के डी० ए० वी० कालेज को या मेरठ के कालेज को यूनिवर्सिटी का रूप दे सकते हैं और अगर ऐसा कर सकेंगे तो पश्चिमी जिलों में शिक्षा की दिशा में परिवर्तन कर सकेंगे। मैं मानता हूं कि सरकार के पास रुपया कम है, यह कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ज्यादा हैं। लेकिन इंगलैंड में २२ से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जब कि उसकी आबादी केवल साढ़े चार करोड़ है। तो जब साढ़े चार करोड़ की आबादी में २२ यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं तो यू० पी० में जिसकी आबादी साढ़े ६ करोड़ की है अगर ५,७ से बढ़ कर १० तक विश्वविद्यालय हो जायं तो हमें संकोच नहीं करना चाहिये। देखना यह है कि उन विश्वविद्यालयों के बढ़ाने से शिक्षा में कुछ उन्नति होती है या नहीं। अगर होती है तो अवश्य विश्वविद्यालयों की वृद्धि करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और आशा रखता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं मंत्री जी उधर ध्यान देंगे।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। जहां तक कि हमारे प्रांत में शिक्षा के प्रचार का संबंध है मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे यहां शिक्षा काफ़ी उन्नति करती जा रही है। मगर मुझे एक ही बात का दुख है और वह यह कि जिस प्रकार की शिक्षा मनुष्यों के लिये होनी चाहिये वह शिक्षा हमारे यहां अभी तक नहीं है। अभी तक हमारी शिक्षा प्रणाली का वही ढंग चला जा रहा है जो कि कभी अंग्रेजों के जमाने में था। जिस प्रकार से अंग्रेज अपने आफिसेज के लिये क्लर्क्स लिया करते थे हमारी शिक्षा संस्थाओं से उसी प्रकार की शिक्षा आज भी हमारे यहां चल रही है। चाहे हमारे यहां बहुत सी शिक्षा संस्थायें बन जायं, चाहे बहुत सी युनिवर्सिटीज भी बन जायं और काफी पैसा भी इस ओर लगने लगे मगर मैं समझता हूं कि शिक्षा संस्थाओं के पढ़े लिखों में मनुष्यता नहीं आती है। आजकल आप देख रहे हैं चाहे यूनिवर्सिटी की तालीम ले लीजिये, चाहे अपने हाई स्कूल्स ले लीजिये, जहां भी देखेंगे कि जो वहां पर विद्यार्थी पढ़ते हैं या जो विद्यार्थी वहां से पढ़कर निकल गये हैं उनका क्या स्वरूप होता है। मैं यह समझता हूं कि हर एक इस बात को जानता है कि आजकल जो हमारे विद्यार्थी हमारी शिक्षा संस्थाओं में पढ़ रहे हैं उनमें से अधिकांश ऐसे हैं कि जिनको हमें मजबूरी में ही स्कूल्स, कालेजेज या युनिवर्सिटीज में भेजना पड़ता है क्योंकि पेरेन्ट को अगर कोई दूसरा तरीका अपने बच्चों को शिक्षा देने का मिल जाय तो वह हरगिज इन संस्थाओं में भेजने को तैयार न हों। मैं यह जानता हूं और सभी लोग अखबारों में पढ़ते हैं और आजकल आपके यहां इम्तहान हो रहे हैं, बहुत जगहें ऐसी हैं जहां आपके विद्यार्थी इम्तहान देते वक्त चाकू खोल करके रखते हैं, तरह तरह का उत्पात करते हैं। अभी आप लोग जानते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भी इतने उछंखल होते जा रहे हैं कि आज विद्यार्थी बड़े से बड़ा आपकी स्टेट का अगर हेड भी जाता है तो वे परवाह नहीं करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। तो मैं पूछता हूं कि अगर आपने ऐसी यूनिवर्सिटी और बढ़ा दीं और आपने अधिक विद्यार्थी उसमें रखे भी और उनको शिक्षा भी दी तो उससे लाभ क्या आपके प्रदेश को हो सकता है? आपका पैसा जायगा और विद्यार्थी भी जायेंगे और आपका इंसान इंसान नहीं बनेगा, बल्कि हैवान बन जायगा।

इसलिये हमें सोचने की बात है कि हमारी शिक्षा का रूप क्या होना

चाहिये, किस प्रकार की शिक्षा का हमें अपनी संस्थाओं में प्रचार करना चाहिये। यह मैं मानता हूं कि प्राइमरी शिक्षा सब के लिय होनी चाहिये और यह भी मैं समझता हूं कि इसी तरीके से हमारी जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा है, वह भी सभी को मिलनी चाहिये। मगर इसके बाद देखना यह होता है कि इससे ऊपर की जो शिक्षा है आया वह हमें सबको देनी ही चाहिये या किसी खास को देनी चाहिये। जब मैं यह देखता हूं कि हर विभाग के लिये, हर डिपार्टमेंट के लिये आपके डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस हैं, तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि हर एक विभाग के लिए क्या यह अनिवार्य और जरूरी है कि वह यूनिवर्सिटी और कालिजों में तालीम पाये? अगर एक लड़का आई० ए० एस० में जाता है तो उसके लिए अलग कोर्स निर्धारित है, उसी को उसे करना पड़ता है। अगर डिप्टी क्लेक्टरी के लिये जाता है तो उसके लिये कोर्स अलग है। तो मैं पूछता हूं कि अगर हाई स्कूल तक की शिक्षा सभी के लिये कर दी और इस सब काम को बन्द कर दिया और अलग अलग विभाग के लिये आपने अलग अलग शिक्षा कर दी, तो मैं समझता हूं कि आपका ध्येय भी पूरा हो जायगा। क्या जरूरत इस बात की है कि एक लड़के को जाना है सब इंस्पेक्टरी के लिये, लेकिन वह बराबर एम० ए० तक का इम्तहान देता जा रहा है? इसी प्रकार से अगर किसी को और जगह जाना है तो कोई जरूरत नहीं है कि ६ वर्ष १० वर्ष यूनिवर्सिटी में लगाये और हमारे देश का धन और इतना पैसा खर्च हो। इसके लिये सीधा यह तरीका हो सकता है कि हमने हाई स्कूल तक की शिक्षा तो सबके लिये कर दी, उसके बाद जो हमारे यहां अलग अलग वोकेशनल स्कूल हैं या अलग अलग डिपार्टमेंट की तालीम है, वह अलग अलग कर दी जिससे जो विद्यार्थी उधर जाना चाहे वह कम्पटीशन में बैठे और उस विभाग के लिये जिसको वह उचित समझता है उसकी तालीम पाये। तो इससे हमारे देश का और प्रांत का करोड़ों रुपया बच जायगा। उससे हम अपनी शिक्षा को बहुत ज्यादा अच्छी और उपयोगी बना सकेंगे।

इसके साथ साथ जो मौजूदा आपके देहातों में हाई स्कूल वगैरा चल रहे हैं, मैं अपने माननीय मंत्री जी का ध्यान उनकी ओर दिलाना चाहूंगा कि जिस वक्त किसान की पैदावार का भाव बहुत अच्छा था उस वक्त हमने स्कूल खोले और आज उन स्कूलों की ऐसी हालत है कि मैं यह समझता हूं कि अगर आप उनको बन्द कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। आजकल वहां के लड़कों से जिस वक्त वह दाखले के लिये जाते हैं २०-२० और ३०-३० रुपया ऐडमीशन फीस ली जाती है और जब और तरीके से काम नहीं चलता है तो टीचर्स की एक एक महीने दो ही दो महीने की तनख्वाह काट ली जाती है। उन कमेटियों को देखें तो सिवाय इस बात के कि वहां आपस के झगड़े के मैदान बन जाते हैं और कुछ नहीं होता। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि आप इस प्रांत में इससे संतुष्ट न हूजियेगा कि आपने कितने हाई स्कूल और संस्थायें खोल दीं। आप यह देखियेगा कि जितनी संस्थायें आपकी हैं वह कुछ काम कर रही हैं या नहीं और उन से किस प्रकार का वातावरण आपके प्रांत में पैदा हो रहा है। इधर आपका खास तौर से ध्यान जाना चाहिये। इसके साथ साथ मैं, आपने जो इस वक्त रिओरिएंटेशन स्कीम अपने यहां जारी की है मुझे उसका बहुत कुछ तजुर्बा हुआ है। मैंने अपने यहां की बहुत सी संस्थायें देखी हैं जिनको रुपया भी आपने दिया है और उनसे कहा गया है कि आप अपने यहां जमीन लीजिये। कम से कम मैं कह सकता हूं कि मुजफ्फरनगर जिले में बहुत थोड़ी सी संस्थायें ऐसी हैं जिनके यहां इस प्रकार की भूमि है जिसमें खेती हो सके। मैं इस बात को नहीं मानता कि अगर स्कूल यहां पर है और एक मील के फासले पर भूमि मिल जाय तो उससे स्कूल को क्या लाभ है? न छोटे बच्चे स्कूल के उस भूमि से कोई विशेष लाभ उठा सकते हैं। यह मैं मानता हूं कि स्कूल बिल्डिंग के पास काफी अच्छी भूमि की आवश्यकता है, जहां पर आपका बागीचा हो, जहां पर एक सुन्दर वातावरण में रह कर ही बच्चों को पढ़ाया जाय। जैसे आपके शहरों और कस्बों में गन्दी से गन्दी जगहों में स्कूल हैं, उनको आपको फौरन ही बन्द कर देना चाहिये, क्योंकि विद्यार्थियों का जीवन बनने के बजाय खराब होता है।

[श्री बलवन्त सिंह]

एक बात मुझे और कहनी है और अभी माननीय रणंजय सिंह जी ने भी आपका ध्यान दिलाया कि आप अपने हाई स्कूलों की शिक्षा प्रणाली को बदलिये। हमने देख लिया है कि हमने जो जगह जगह देहातों में स्कूल खोले हैं वहां विद्यार्थियों के जीवन का ह्रास हो रहा है और शहरों में भी हो रहा है। मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा कि आपका जो पुराना सिस्टम है वही श्रेष्ठ है। यूरप में जो श्रेष्ठ स्कूल्स गिने जाते हैं वह आपके रेजीडेंशियल सिस्टम पर ही है। आप अपनी पुरानी शिक्षा प्रणाली पर विचार-विनियम करें। इस तरह कि जहां आपके बच्चे पढ़ें वहीं रहें भी तब आपको लाभ होगा वरना इससे नुक्सान ही होगा।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी के विस्तृत भाषण को बड़े ध्यान से सुना और विभाग की ओर से जो कल पुस्तिका वितरण की गई थी उसको भी काफी ध्यान से पढ़ा। इसके अतिरिक्त विरोधी दल के माननीय सदस्य के प्रवचन को भी बड़े ध्यान से सुना जिसमें उन्होंने अर्थ, धर्म, काम मोक्ष की शिक्षा दी। इसके साथ ही साथ अपने साथी श्री रणंजय सिंह जी के सारगर्भित भाषण को भी सुना। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात के लिये माननीय शिक्षा मंत्री को हम में से सभी बधाई देंगे कि उन्होंने इस देश में, इस प्रांत में जो शिक्षा की प्रगति की है, उस बात से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई इंकार करने के लिये तैयार नहीं है कि आज स्कूलों की संख्या हमारे प्रांत में लगभग दुगनी हो गई है और शिक्षा की संस्थायें ड्योढ़ी और दुगुनी सन् १९४७ ई०के बाद से हो गई हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज हमें इस बात का ध्यान से विचार करना होगा जैसा कि मेरे साथी श्री बलवन्त सिंह जी ने कहा कि शिक्षा संस्थाओं के बढ़ जाने से क्या हमारी समस्या हल हो जाती है? आखिर इसका परिणाम क्या है? यह जो वृक्ष लगाये जा रहे हैं इनको बड़े ध्यान से सींचना होगा। माना कि गोरखपुर में यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है लेकिन इस प्रदेश की शिक्षा की समस्या यह जो ४/५ यूनिवर्सिटियां है, इनके होते हुये हल नहीं हो रही है बल्कि शिक्षा की समस्या और उलझती चली जा रही है, तो एक विश्व विद्यालय के और जुड़ जाने से क्या लाभ होगा? यदि १९४७ से या इससे पहले प्रदेश में जो हाई स्कूल थे, उनके निकले हुये विद्यार्थी से इस प्रदेश की कोई विशेष उन्नति नहीं हो सकती थी बल्कि समस्या और बढ़ती थी तो क्या और स्कूलों के खुल जाने से समस्या उलझेगी या सुलझेगी?

इसके अतिरिक्त हमने शिक्षा मंत्री जी के समस्त भाषण में और पुस्तिका में यह खोजने का प्रयत्न किया कि सरकार की नीति शिक्षा के संबंध में क्या है? वह क्या चाहती है और किस बात के लिये कमिटेड है, कितना बढ़ाना चाहती है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि सरकार की क्या नीति है। वह राज्य की ओर से अपने नागरिकों को कहां तक पढ़ाना चाहती है? इस बात को हमें पूरी तौर से जान लेना आवश्यक है। सभी सरकारों की एक नीति होती है कि इतनी दूर तक राज्य की ओर से पढायेंगे। फिर जिस विद्यार्थी की जितनी क्षमता और योग्यता होगी वह उधर जा सकता है। मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री महोदय से यह सुझाव रखूंगा कि हमें राज्य की तरफ से यह एलान करना चाहिये कि उसकी यह जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बच्चे को जूनियर स्कूल तक हम पढ़ायेंगे। लेकिन जब यह चीज नहीं मिलती है तो थोड़ी सी निराशा होती है। इसके अतिरिक्त मैं तो यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि जितनी राज्य की ओर से अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिये उतना पढ़ाने के बाद फिर क्षमता और योग्यता के साथ विद्यार्थी को आगे जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह देख कर तकलीफ होती है कभी कभी कि कल जो बच्चा नेहरू, पटेल, पंत या सम्पूर्णानन्द हो सकता है वह शिक्षा इस कारण से नहीं पा सकता है कि उसके पास पैसा नहीं है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारी कांग्रेस ने समाजवादी ढांचे पर समाज का निर्माण करने का निश्चय किया है तो शिक्षा के विभाग में पूंजीवादी ढांचे को देखकर तकलीफ होती है। यह अपनी जगह पर सत्य है कि आज काफी विद्यार्थी इसलिये आगे नहीं जा सकते हैं कि उनके पास

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पैसा नहीं है और आज यूनिवर्सिटीज की शिक्षा इतनी मंहगी हो गयी है कि वह प्रत्येक के बूते की नहीं है। तो जिनमें योग्यता नहीं है वे इसलिये यूनिवर्सिटियों में ८-८, १०-१० वर्ष तक पड़े रहते हैं कि उनके बाप के पास पैसा है। उनके बाप के पास पैसा है, उनके पास दिमाग नहीं है और यूनिवर्सिटियों में बैठ कर हजारों नारे लगाने के लिये उनके पास समय रहता है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—बाप तो पैसा देते ही हैं, सरकार भी ग्रांट देती जाती है।

श्री रामनरेश शुक्ल—हां, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहता हूं कि शिक्षा प्रणाली इस प्रकार से बननी चाहिये कि राज्य सरकार जूनियर स्कूल तक सबको शिक्षा देगी। उसके पश्चात् कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिये कि जो योग्य विद्यार्थी हों उन्हें आगे जाने के साधन प्राप्त होने चाहिये और आगे जाकर जो चुने हुये विद्यार्थी हों उनका सारा खर्चा राज्य सरकार को वहन करना चाहिये। और मैं यह नहीं चाहता हूं जैसा कि हमारे भाई रामकुमार जी को डर है कि उनके और हमारे बच्चे रुक जायेंगे, तो जो दौड़ में शामिल होना चाहते हों और जिनके पास पैसा हो वे यूनिवर्सिटियों में जायं और फर्स्ट क्लास वालों का मुकाबिला करें। यह हमें मानना पड़ेगा कि दिमाग और बुद्धि अधिकतर झोपड़ियों में निकलती है महलों में नहीं। तो झोपड़ियों के बच्चे जो हैं उनको आगे जाने के लिये साधन राज्य सरकार को प्राप्त कराने चाहिये। तो मैं आप के द्वारा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रार्थना करूंगा कि राज्य सरकार की अब कोई नीति स्पष्ट हो जानी चाहिये विशेषतौर पर हमारे मद्रास के प्रस्ताव के बाद।

इसके अतिरिक्त एक बात मैं और आपके द्वारा उनसे निवेदन करूंगा कि बनारस में एक संस्कृत यूनिवर्सिटी खुली, बहुत अच्छा हुआ, बहुत दिनों के बाद यह बात सुनने को मिली। यह अपनी जगह पर सत्य है कि जिस देश की मिट्टी में, जिस देश की हवा में, जिस चीज की आवश्यकता होती है उसी के द्वारा देश का नैतिक स्तर ऊंचा हो सकता है। तो बनारस में जो संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया उसके लिये माननीय शिक्षा मंत्री बधाई के पात्र हैं लेकिन अभी और भी ऐसे संस्कृत विश्वविद्यालयों के खोलने की जरूरत है। हमारा नैतिक स्तर तभी ऊंचा होगा जब इस देश की जो अपनी भाषा थी, जिसमें अपने दिमाग, अपनी संस्कृति और अपने विचार के जो गुण हैं जब उस देश का नागरिक उसको पढ़ कर आगे बढ़ेगा तभी उसका नैतिक स्तर ऊंचा होगा। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करूंगा कि वह और भी संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने का प्रयत्न करें। इसके साथ साथ अन्त में एक और प्रार्थना करके मैं बैठ जाऊंगा। यूनिवर्सिटी के अन्दर अभी हिन्दी की प्रगति उतनी तीव्रता से नहीं हो रही है जितनी कि होनी चाहिये। स्वतंत्रता देश को मिल जाने के ८ वर्ष के बाद किसी को अपने राष्ट्र के अन्दर और स्वतंत्र राष्ट्र के अन्दर विदेशी भाषा में शिक्षा दी जाय, मैं चाहता हूं कि यह बात बन्द की जाय और विदेशी भाषा में शिक्षा नहीं होनी चाहिये। यह हमारे देश की सरकारों के लिये कमजोरी का लक्षण है। ८ वर्ष के बाद अपनी यूनिवर्सिटीज के अन्दर अपनी मातृभाषा में शिक्षा न हो इससे दुख होता है। हम सब को और जो विदेश में जाते हैं उनको शर्मिन्दा होना पड़ता है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि उसके लिये तीव्र गति लाने की आवश्यकता है।

श्री नरदेव शास्त्री (जिला देहरादून)—उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का प्रश्न बड़ा गम्भीर है। आजकल हम कल्याणकारी राज्य और समाजवादी पद्धति के राज्य की बात करते रहते हैं। पहले युग में तो हम कल्याणकारी राज्य की बात करते थे और आजकल समाजवादी पद्धति के राज्य की बात करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कल्याणकारी राज्य बृटिश राज्य से बढ़िया है और कल्याणकारी राज्य से बढ़िया है समाज वादी पद्धति, ऐसा कुछ लोगों को भास होता है। मेरा ख्याल है कि जितना रुपया अन्य आयोजन के कार्य में खर्च हो रहा है यदि उसका एक दसवां हिस्सा भी शिक्षा के सुधार पर व्यय किया जाय तो भारतवर्ष की दशा सुधर सकती है। अंग्रेज गये और यहां से अंग्रेजी पद्धति का राज्य भी गया किन्तु अंग्रेज इस बात

[श्री नरदेव शास्त्री]

में सफल हुये कि वह यहां पर स्वदेशी ढंग का विदेशी राज्य छोड़ गये अर्थात् जिनके मस्तिष्क में परिवर्तन हो गया था, उनको न अपनी शिक्षा का कोई अभिमान है और न वह अपनी शिक्षा की कोई बात करते हैं। जिसको भी आज देखा जाता है उसको पाश्चात्य ढंग में ही देखा जाता है। मुझे संस्कृत की एक कहावत याद आगयी। कोई गणेश की मूर्ति बनाने लगे तो बानर की मूर्ति बन गयी। (गणेश कुर्वाणो वानरं चकार) आजकल शिक्षा पद्धति की यह दशा है कि एक ओर तो आप कल्याणकारी राज्य चाहते हैं और दूसरी तरफ बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वह हमारे आदर्श के विरुद्ध कार्य करने लगते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि जब तक हम संस्कृत शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारा सुधार नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि शिक्षा का बजट प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है किन्तु संस्कृत शिक्षा के उत्थान के लिये केवल ५० हजार या ८० हजार दिया। सुना है कि इस साल के लिये एक लाख मिला है। अब वेधशाला भी खुल रही है और वह खोली जा रही है नैनीताल में। किसी संस्कृत के केंद्र में उसको नहीं खोला जा रहा है। इस प्रकार से हमारा इसकी ओर ध्यान है। असल में हमारी जो भाषा है उसमें हम शिक्षा नहीं देते हैं जो कि हमारे जीवन को ऊंचे उठाने वाली है, उसको उधर से हटाया जाता है। प्रयाग में जो घटना हुई उसको सुनकर किस भारतवासी का मस्तिष्क नीचा नहीं हो जाता है? क्या यह कम लज्जा की बात है जो वहां पर लड़कों ने की? यह सब शिक्षा का ही प्रभाव है। जब तक इस शिक्षा के मूल को, जड़ को और जो रोग है उसको आप दूर नहीं करेंगे तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती। मैं महाराष्ट्रीय हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी मातृ भाषा में बच्चों के लिये एक शब्द आया है, वह संसार की किसी भी भाषा में नहीं है। महाराष्ट्रीय भाषा में बच्चों को "भूल" कहते हैं। यह शब्द बच्चों के लिये प्रचलित हो गया है। बच्चों के लिये अर्थात् जब कि आप भूल का सुधार नहीं करेंगे तब तक मनुष्य मनुष्य नहीं बन सकता है। आज हम यह देख रहे हैं कि क्या हो रहा है. आखिर आपके बच्चों की शिक्षा की हालत कैसी है। कहते हैं कि शिक्षा बढ़ रही है। अंग्रेजों के वक्त में कहा करते थे कि जिस अनुपात में शिक्षा बढ़ रही है उससे यह मालूम होता है कि ८०० वर्ष में शिक्षा पूरी हो सकेगी लेकिन मेरा ख्याल है कि कांग्रेस राज्य में ८०० वर्ष में भी पूर्ण शिक्षा नहीं हो सकती।

शिक्षा की ओर देखते हुये हमें यह देखना चाहिये कि जो शिक्षा हम दे रहे हैं उससे हमारा भारतवर्ष कल्याणकारी राज्य हो सकता है या नहीं, समाजवादी पद्धति का राज्य हो सकता है या नहीं, भारतवर्ष उन्नति की ओर जा सकता है या नहीं, भारतवर्ष कहीं अवनति की ओर तो न चला जायगा। इसलिये अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको शिक्षा से मालूम हो जायगा कि क्या हो रहा है और उसका एक मात्र मापदंड हमारे भारत के बच्चे हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि उन बच्चों की कद्र नहीं की जा रही है। आज हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिये पैसा नहीं है, पुस्तकें खरीदने के लिये पैसा नहीं है। संसार में प्रत्येक चीज का मूल्य है लेकिन विद्यार्थी का कोई मूल्य नहीं है। उसी के द्वारा हमारे देश के जवाहरलाल, महात्मा गांधी और दयानन्द निकलने वाले हैं, वही हमारे समाज और देश की मूल है और उन्हीं के लिये कुछ नहीं हो रहा है। आज न तो बच्चों के पास पैसा है, न उनके पढ़ाने के लिये पाठशालायें हैं, न उनमें ठीक प्रकार के अध्यापक ही पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से शिक्षक वर्ग में असंतोष है, छात्रवर्ग में असंतोष है, छात्रों के पालकों में भी असंतोष है और हम में भी असंतोष है, आज सारा वातावरण ही असंतोष का बना हुआ है। अब यह असंतोष किस प्रकार से दूर होगा? मेरा कहना यह है कि आप जितना रुपया अंग्रेजी शिक्षा के लिये देते हैं उसका अगर दसवां भाग भी संस्कृत शिक्षा के लिये दें और इसके लिये मैं माननीय शिक्षा मंत्री से एक साल अनुभव करने के लिये कहूंगा तो वे देखेंगे कि उससे भारतवर्ष की दशा बदलती है या नहीं। केवल एक एक लाख रुपया देने से कोई सुधार होने की आशा नहीं की जा सकती। अभी संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में बजट में भी आया, माननीय वित्त मंत्री जी ने भी उसकी बात कही, शिक्षा मंत्री महोदय ने भी उसके बारे में कहा परन्तु अभी तक यह पता नहीं

चल पाया कि वह कब तक बन पायेगा। संस्कृत के पंडित, संस्कृत के पढ़ाने वाले इसको ध्यानपूर्वक देख रहे हैं कि वह संस्कृत विश्वविद्यालय कब बनता है तथा उसमें पढ़ाने की क्या प्रणाली होगी और क्या उसमें ऐसी प्रणाली होगी या नहीं जिससे कि हमारे जनतंत्र का और भारतवर्ष का कल्याण हो सके। इसलिये हमारा मूल तो ये बच्चे हैं, ये हमारी कौम का सरमाया है, भारतवर्ष का बहुमूल्य धन है, ये बच्चे हमारे रिजर्व बैंक का धन हैं। यदि हम अपनी उस अनन्तराशि धन अपने उन बच्चों की दशा को सुधारने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो हमारी दशा का सुधर सकना असंभव है। यद्यपि मैं इस अनुदान का समर्थन कर रहा हूं परन्तु फिर भी माननीय शिक्षा मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि अब तक जो कुछ हुआ वह तो ठीक ही है लेकिन अब आवश्यकता इस बात की है कि वे उधर भी पर्याप्त धन देने की कृपा करें जिस संस्कृत शिक्षा से आपके बालकों का नैतिक स्तर ऊंचा हो सकता है।

श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से जो यह शिक्षा की मद प्रस्तुत की गयी है उसके ऊपर माननीय गंगाधर जी मैठाणी आदि सदस्यों ने आलोचना की। पहले जब कांग्रेस की मिनिस्ट्री आयी थी, उस समय माननीय सम्पूर्णानन्द जी शिक्षा मंत्री थे और तब सरकार की नीति बुनियादी शिक्षा की ओर जा रही थी। उसके बाद उस नीति में ढीलापन आ गया। इसके बाद अगर बजट को पढ़ें तो उसमें हर चीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है और जो कुछ हो सकता है सबके बारे में कुछ न कुछ रुपया मंजूर है और सब एक्सपेरिमेंट हमारी गवर्नमेंट की ओर से हो रहा है यानी नीति कोई स्पष्ट नहीं है कि सरकार की शिक्षा नीति क्या होने जा रही है। हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि अब वह चित्र सामने आया है। उनका उस चित्र से सोशलिस्टिक पैटर्न की तरफ इशारा था, तो जहां तक इस नयी शिक्षा का संबंध है और कोई चीज न हुई हो लेकिन जैसा कि मैठाणी जी ने कहा कि एक चीज जरूर हो रही है और वह है कृषि शिक्षा देने की योजना और हमारी सबसे पहली किताब में जो लिखा हुआ है वह इसी के बारे में है, और इस शिक्षा के लिये मुख्य मंत्री कोष में लड़कों से जबरदस्ती रुपया वसूल हो रहा है। जब कोई इम्तहान का वक्त आता है तो खासतौर से कुछ न कुछ चन्दा उनको जरूर देना पड़ता है। इसकी बहुत बड़ी शिकायत है और हर जगह शिकायत है कि मुख्य मंत्री कोष में बहुत जबरदस्ती होती है।

जहां तक अनुदानों की बात है, इसको सरकार डाइरेक्टर महोदय के हाथ से लेकर सीधे अपने हाथ में ले रही है। इसके बारे में सब लोगों को बहुत शिकायत है कि इस चीज को माननीय मंत्री जी अपने हाथ में लेकर ऐसे लोगों के स्कूल के साथ, जो कांग्रेस पार्टी से मतभेद रखते हैं, भेद करना चाहते हैं ताकि उनको अनुदान न मिल सके। हमारे यहां एक करखिया हायर सेंकेंड्री हाई स्कूल है जिसको अनुदान नहीं दिया गया उसके लिये वहां के लोगों ने कहा कि अनुदान नहीं मिलने से स्कूल बन्द हो जायगा लेकिन उसका कुछ ख्याल नहीं किया गया। फिर लोगों ने कहा कि वहां पर बाढ़ आती है और स्कूल को बन्द कर देना पड़ेगा, इस पर भी यही जवाब मिला कि बन्द हो जाय इसके लिये हम क्या करें। इसी तरह से गांधी गुरुकुल हायर सेंकेंड्री स्कूल को माननीय पंत जी ने पार साल चार हजार रुपया दिया था लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक हजार रुपया प्रतिवर्ष के हिसाब से वह रुपया काट लिया जायगा और सन् ५७ के बाद वह भी नहीं मिलेगा। जिन स्कूलों से विरोधी पार्टी के लोगों का संबंध है उसके लिये माननीय शिक्षा मंत्री जी की नीति काफी उदार होनी चाहिये। लेकिन डाइरेक्टर महोदय के हाथ से अनुदान देने की चीज को इसलिये लिया जा रहा है कि जिस स्कूल के मैनेजर आदि का संबंध कांग्रेस पार्टी से न होकर दूसरी विरोधी पार्टी से हो उस स्कूल को अनुदान न दिया जाय। इस संबंध में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से फिर कहता हूं कि इस संबंध में उनकी नीति उदार होनी चाहिये। शिक्षा जनतंत्र की बुनियाद है। अगर शिक्षा के बारे में भी भेद की नीति रही तो मैं आपसे कहता हूं कि इससे बहुत बड़ी गड़बड़ी मच जायगी और शासन में गड़बड़ी मच जायगी। दूसरी चीज यह है कि अध्यापकों के बारे में कोई सरक्यूलर निकला है कि यह

[श्री विश्राम राय]

बतलाया जाय कि कौन अध्यापक किस पार्टी के विचार रखते हैं। सरकारी शिक्षकों की समिति ने इसका बहुत जबरदस्त विरोध किया है। क्या अध्यापकों के पीछे पीछे सी० आई० डी० घूमेंगे और देखेंगे कि कौन शिक्षक किस विचार को मानता है? जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था तब तो सी० आई० डी० इस बात का पता लगाने के लिये लोगों के पीछे पीछे रहा करती थी कि कौन किस विचार का है उसका पता लगावे। लेकिन आजकल यह चीज तो नहीं होनी चाहिये। आजकल इंटरमीडियेट बोर्ड और सरकार के बीच में नीति के प्रश्न को लेकर रस्साकशी चल रही है। इंटरमीडियेट बोर्ड जो एक स्वतंत्र बाडी है उसमें भी भेद डालने की कोशिश हो रही है। इसलिये हम लोगों का कहना है कि जहां तक अनुदान की बात है उसे देने के बारे में नीति में सुधार होना चाहिये और जहां तक शिक्षा की बात है उसमें किसी तरह के भेद की बात नहीं आनी चाहिये। अगर ऐसा होगा तो यह जनतंत्र की बुनियाद पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। हिन्दुस्तान अभी शैशवावस्था में है, यह अभी सब चीजों में पिछड़ा हुआ है। अगर यहां पर शिक्षा में राजनैतिक भेद डाला गया तो फिर उसका नतीजा कुछ और ही होगा और मैं समझता हूं कि उससे हमारे जनतंत्र पर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा।

दूसरी बात यह है कि बाढ़ और सूखा से पीड़ित लोगों के बारे में इस सदन में हर साल प्रश्न आते हैं और जब सरकार से इस संबंध में कुछ कहा जाता है तो वह यही कहती है कि सरकार मदद देगी। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का सरक्यूलर आया था और उस में यह था कि अगर २ करोड़ के ऊपर यह सरकार खर्च करेगी तो उस खर्च का ७५ प्रतिशत केंद्रीय सरकार देगी लेकिन उस पर यहां की यह सरकार चुप रही है और केवल बहुत कम लोगों को ही थोड़ी सी सहायता दी गई। अगर सरकार को ऐसे ही काम करना है, यही अशिक्षितों के साथ उसकी हमदर्दी है कि जो मदद सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाली थी उसको लेने की व्यवस्था भी वह नहीं कर सकती तो यह इतनी बड़ी सरकार की यह मशीनरी करती क्या है। बाढ़ पीड़ितों के विषय में हम देख चुके, राजनैतिक पीड़ितों के बारे में भी यही होता है कि हर साल राजनैतिक पीड़ितों की दरख्वास्तें आती हैं लेकिन वह सब पड़ी रह जाती हैं केवल उनमें से इस पांच जिनकी सिफारिश और पहुंच होती है, वही सहायता पाते हैं और मैं कह सकता हूं कि राजनैतिक पीड़ितों के विषय में माननीय लाल बहादुर शास्त्री ने खिलवाड़ किया कि उनको केवल थोड़ी सी ट्रक की परमिटें दी। मैं जानना चाहता हूं कि राजनीतिक पीड़ितों के जो लड़के हैं उन की आज क्या दशा है और यह सरकार उन के लिये क्या कर रही है। इस से तो स्पष्ट कह दिया जाय कि हम उन की सहायता नहीं करना चाहते और जो कुछ दिया जाता है वह सब बन्द कर दिया जाय।

सरकार की शिक्षा की जो नीति है और वह जो कृषि पर अधिक जोर दे रही है वह तो ठीक ही है, लेकिन जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का संबंध है उनकी इतनी शक्ति नहीं है कि वह अपने स्कूलों की इमारतों को ठीक करवा सके और उनकी पुरानी इमारतें गिर रही हैं। सड़कों पर तो स्कूल दिखाई देते हैं लेकिन अगर वहां जाकर देखा जाय तो लड़कों के बैठने की जगह नहीं है। इसलिये प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों के लिये अवश्य ही सहायता दी जाय अगर वह नहीं दी जाती है तो किसी तरह से भी जिला बोर्ड उनको बनाने में समर्थ नहीं है।

दूसरी चीज यह है कि ९ हजार रुपया केंद्रीय सरकार की ओर से हर एक स्कूल के लिये मिलता है और उस के संबंध में हर जिले में एक कमेटी भी बनी थी। मैं चाहता हूं कि सरकार उस की तरफ भी ध्यान दे और डायरेक्टर उस को स्वयं देखें तो अच्छा है। इतना कहने के बाद मैं गंगाधर मैठाणी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी देश के लिये, वहां की शिक्षा कैसी है, यह बड़े महत्व की बात है। कौन देश कितना प्रगतिशील है इसका बहुत बड़ा मापदंड यह है कि वहां की शिक्षा का स्तर क्या है और वहां के कितने फीसदी लोग शिक्षा पाये हुए हैं। इसके अलावा किसी देश के राष्ट्रीय जीवन की आधारशिला वहां की शिक्षा प्रणाली

होती है, अगर वहां की शिक्षा पद्धति ठीक है तो वहां की शिक्षा ऊंची होती है और वहां के विद्यार्थी भी अच्छे नागरिक बनते हैं और कोई भी देश जैसा ढांचा समाज का बनाना चाहता है तो उसको देखना होता है कि वहां की शिक्षा पद्धति उस ढांचे को बनाने में कहां तक उपयोगी है। मैं यह मानता हूं कि जो ४-५ साल बीते उनमें हमारे प्रदेश में शिक्षा की काफी प्रगति हुई, हमारे स्कूलों की तादाद में, इंटर कालेजेज और डिग्री कालेजेज की तादाद में और विद्यार्थियों की भी तादाद में पहले से बहुत वृद्धि हुई, लेकिन जहां हम इस बात को मानते हैं वहां हम यह भी इत्मीनान के साथ नहीं कह सकते कि आज हमारा विद्यार्थी, हमारे देश के सामने जो समस्यायें ह जो जीवन के सघर्ष हैं उनके लिये वह अपने को इस शिक्षा पद्धति में फिट कर पाता है या नहीं और जैसा कि मेरे एक माननीय मित्र ने कहा कि इन चार पांच सालों में हमारे बहुत से स्कूल कालेज खूले लेकिन शिक्षा की कोई स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं हो सकी। हमने बहुत से एक्सपेरीमेंट्स किये और उनसे हमें हानि ही हुई है। शिक्षा का स्तर पहले की अपेक्षा बहुत गिरा है। आजकल के विद्यार्थी चाहे एम० ए० हों या पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद डाक्टर हो गये हों लेकिन उनके अन्दर वह आत्मविश्वास नहीं है, वह सेल्फ रिलाएन्स नहीं है जो होना चाहिये।

इसके अलावा जो हमारे यहां परीक्षा की प्रणाली है वह किसी से छिपी नहीं है। आम तौर से मशहूर है कि आधे से ज्यादा विद्यार्थी स्कूलों में खुले तौर पर नकल करने के बाद पास हो जाते हैं और इस के अलावा परीक्षा के बाद भी उनको परीक्षकों का पता हो जाता है और उन के पास काफी लोगों की पहुंच हो जाती है। हांलाकि इस संबंध में मुझे खुशी है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनका ध्यान इस तरफ गया है और वे हाई स्कूल बोर्ड के अन्दर अबकी साल एक कांफीडेंशल सेक्शन खोल चुके हैं और कोई ऐसी तरकीब निकाली गई है कि अबकी जितनी भी कापीज हैं वह पहले बोर्ड में जायेंगी और फिर वहां से गुप्त ढंग से एक्जामिनर्स के पास जायेंगी, इसलिये संभव है कि इसमें कुछ थोड़ा सा सुधार हो सके।

इसके पश्चात् मैंने यह भी देखा कि हमारी यूनिवर्सिटीज के जो विधान थे उनमें भी तब्दीली हुई है। उनमें जो खामियां थीं उनको दूर करने की कोशिश की गयी और उसके लिये शिक्षा मंत्री बधाई के पात्र हैं। लेकिन केवल कांस्टीट्यूशन में चेजेंज करने से शिक्षा का स्तर ऊंचा होने वाला नहीं है। हमें आज यह सोचना है कि हम अगर अपने देश में प्रजातांत्रिक समाजवादी ढांचा बनाना चाहते हैं तो हमको अपने देश की शिक्षा को उसके अनुरूप बनाना पड़ेगा। तो मैं यह चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें और जो हायर सेकेंड्री बिल उन्होंने तैयार किया है जो कि एक बहुत ही महत्व की चीज होगी उसको जितनी जल्दी हो सके हमारे सदन के सामने पेश करें ताकि जो हायर सेकेंड्री स्कूल की पद्धति है उसमें कुछ तब्दीली हो सके। इसके अलावा हम यह देखते हैं कि आजकल जो टेक्स्टबुक्स है उनमें हर साल तब्दीली होती रहती है और भी किताबों के अन्दर तब्दीली होती रहती है। इससे पहले किताबें पांच-पांच छः-छः साल चलती थीं मगर आम तौर पर ये किताबें अब जल्दी जल्दी बदल जाती हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह—यह आपको कैसे मालूम हुआ? ऐसा नहीं होता है।

श्री नवल किशोर—माननीय मंत्री जी कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि हाई स्कूल में एग्रीकल्चर खोला गया। यह एक अच्छा कदम है। जैसा कि कहा गया है मैं भी यह मानता हूं कि २ हजार १ सौ स्कूलों को जमीन प्राप्त हो चुकी है, लेकिन जैसा कि स्वयं शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हर स्कूल के पास जमीन अच्छी नहीं है। हमको इस बात की भी शिकायत मिली है कि बहुत से लोगों ने उनको जमीनें दी हैं वह बंजर दी है और वह भी तीन तीन चार चार मील की दूरी पर हैं, जिससे विद्यार्थियों को वहां जाने और काम करने में काफी असुविधा होती है। अगर इस चीज को आगे बढ़ाना है और हम बढ़ाना चाहते है तो मैं समझता हूं कि इस बात को भी देखना होगा कि अच्छी जमीन उनको कृषि की मिले चाहे वह १० एकड़ न हो, कम हो, मगर जो भी जमीन हो वह ऐसी होनी चाहिये कि जो खेती के लिये उपयोगी हो।

[श्री नवल किशोर]

हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में तीन सरकारी डिग्री कालेजेज हैं। एक नैनीताल में है, दूसरा जौनपुर और तीसरा रामपुर में है। पिछले वर्ष भी यह बात कही गई थी और मैं आज भी कहता हूं कि इन तीनों में जो स्केल्स आफ पे टीचरों के हैं वे भिन्न-भिन्न हैं। मैं यह चाहूंगा कि यह तीनों ही काजेज जब सरकार के हैं तो उनमें जो पे में डिसपैरिटी है उसको जहां तक हो सके दूर करने की कोशिश की जाय।

यह भी कुछ शिकायत हुई कि मुख्य मंत्री जी के कोष के लिये बड़ा जोर जुल्म किया गया। मैं तमाम सूबे की बात को तो नहीं जानता लेकिन मैं अपने यहां की बात को जानता हूं कि हमारे यहां जब जिला बोर्ड में यह कायदा बना कि जो इस फंड के अलावा ३ हजार रुपया देगा उसके यहां जूनियर हाई स्कूल खुलेगा तो हमारे यहां इस कदर मांग हुई कि तीन हजार क्या उससे भी ज्यादा रुपया लोगों ने जमा कर दिया है और वहां का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्कूल खोल सकने में असमर्थ है। तो इसकी शिकायत जो की गई है मैं नहीं जानता कि कहां तक ठीक है। श्रीमन्, मुझको तो शिक्षा के संबंध में सिर्फ इतनी बात कहनी है कि आपने शिक्षा के संबंध में जो कमियां हैं उनकी ओर ध्यान तो दिया है लेकिन जब तक कि आपकी एक स्पष्ट नीति न हो, एक पद्धति न बन जाये प्राइमरी शिक्षा की, जहां से शिक्षा की शुरुआत होती है, जूनियर हाई स्कूल और हायर सेकेंड्री स्कूल और उसके बाद आगे तक की शिक्षा की तब तक हमें विशेष सफलता नहीं मिलेगी। मैं इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारी सरकारी नौकरियां हैं उनमें हम देखते हैं कि डिग्रीज का बड़ा महत्व है। अगर सरकार कुछ सरकारी नौकरियों के लिये यह कर दे कि उनमें एम० ए० या बी० ए० पास की जरूरत नहीं है बल्कि उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन डिक्लेयर कर दे तो इन डिग्रीज का चार्म खत्म हो जायगा और एम० ए० और बी० ए० क्लासेज के लिये इतनी दौड़धूप न होगी जितनी आजकल होती है। यूनिवर्सिटीज में जब दाखिले होते हैं तो उनमें नियम हो जाय कि जो स्टूडेंट फर्स्ट क्लास नहीं है उनका दाखिला नहीं हो सकेगा, इससे भी दौड़ खत्म हो जायगी क्योंकि अधिक तादाद होने से हमारी शिक्षा का स्तर गिर रहा है।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १ घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---थोड़ी देर के बाद इस पर विचार करूंगा।

*श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अनुदान सदन के सामने रक्खा गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस साल शिक्षा पर काफी रुपया खर्च किया जा रहा है और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि रुपया ज्यादा रक्खा हुआ है और काफी प्रगति हो रही है। अध्यापकों की जो छोटी तनख्वाह वाले थे, तनख्वाह में इजाफा कर दिया गया है, यह भी एक ऐसा काम है जो बहुत पहले हो जाना चाहिये था। जेल में जो टीचर्स हैं छोटी तनख्वाह वाले उनकी तनख्वाह में भी बढ़ोत्तरी हो गई है तो इस लिहाज से अगर देखा जाय तो हमारे प्रान्त का वह बजट ऐसा है जिस पर हमें गौरव होना चाहिये। इसमें कुछ रुपये इसलिये भी रक्खे गये हैं कि प्राइवेट एडेड स्कूल जो हैं उनमें अध्यापकों को जो तनख्वाह मिलेगी उसमें अब तक गवर्नमेंट १/४ देती थी उसके बजाय अब १/३ हिस्सा सरकार की तरफ से मिलेगा। जैसा कि मेरे भाई बलवन्त सिंह जी ने भी कहा है जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका मैनेजमेंट कुछ अच्छा नहीं है। वहां की शिक्षा का भी स्टैंडर्ड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। जो कमेटी के मेम्बर्स होते हैं उनका टीचर्स पर बहुत दबाव रहता है। जो टीचर्स प्राइवेट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्कूलों में नौकरी कर चुके हैं उनका जीवन वहां कैसा होता है यह उनसे पूछा जा सकता है। तो मेरी मंत्री जी से यह प्रार्थना है कि मैनेजिंग कमेटीज का इन्तजाम अच्छा हो इसके लिये उनको कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिये। जैसे यूनीवर्सिटी में एक तरह की जमींदारी बना रक्खी थी और माननीय मंत्री जी ने ऐक्ट के द्वारा उसे तोड़ कर सरकारी दखल भी यूनीवर्सिटी में कर दिया है इसी तरह से अगर जो प्राईवेट मैनेज्ड स्कूल है उनकी कमेटियों में कुछ मेम्बर्स नियुक्त करके या किसी और ढंग से उनकी जमींदारी खत्म कर दे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो मेम्बर्स उसमें इन्तजाम करते हैं वे कुछ अपने पास से तो ज्यादा देते नहीं है, ज्यादा खर्च गवर्नमेंट ही करती है, तो फिर क्यों न सीधे गवर्नमेंट उनका इन्तजाम अपने हाथ में ले ले ?

इसमें थोड़ा सा उर्दू की पढ़ाई को ज्यादा करने के लिये भी इन्तजाम किया गया है। वह भी एक ऐसा काम था कि जो जरूर होना चाहिये था। मंत्री जी ने जब इसका जिक्र किया था तो मेरे कुछ साथियों ने इस पर कुछ इस दृष्टि से कहा कि यह तो धीरे-धीरे टू नेशन थ्योरी होने जा रही है और यह जो उर्दू के लिये किया गया, वह ठीक नहीं है। मेरी उनसे प्रार्थना है कि हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिये कि यह टू नेशन थ्योरी की बात है या यह किसी एक वर्ग के लिये या सिर्फ मुसलमानों के लिये किया जा रहा है। अगर हम सब उसको पढ़ना शुरू कर दें तो वह भी हमारी भाषा बन जायगी और वह हमारी इतनी ही हो जायगी जितनी मुसलमानों की है, ऐसा मैं समझता हूं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि उर्दू को सहायता इसलिये दी गयी है। मैं तो कहूंगा कि अगर हम दूसरी लैंग्वेजेज को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो उनको भी पढ़ाने का इंतजाम किया जाय और वह बहुत अच्छा होगा।

मैं माननीय बलवन्त सिंह जी के इस विचार से सहमत हूं कि हमारा जो तालीम का ढंग है वह बहुत महंगा है। जो मद्रास में हमारा सोशलिस्ट पैटर्न का रेजोल्यूशन हुआ है अगर उस विचार से इसको देखें तो शायद ही हम यह सोच सकें कि एक गरीब आदमी भी रुड़की इंजीनियरिंग कालेज में या मेडीकल कालेज में या यूनिवर्सिटी के किसी क्लास में अपने बच्चे को पढ़ने के लिये भेज सकता है। केवल अमीर आदमियों के बच्चे ही ऐसी शिक्षा को ले सकते हैं। मंत्री जी को इसलिये भी सोचना चाहिये कि कैसे इस तालीम को सस्ता किया जाय। मैं मंत्री जी के इस विचार से ज्यादा सहमत नहीं हूं कि जो आपने कहा कि रिग्रेरियेंटेशन की जो हमारी स्कीम है उसे इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिये कि उससे आमदनी कितनी होती है। वह तो एक किस्म का खिलौना ही रखा गया है, बच्चे वहां जायें और उनको थोड़ा सा ज्ञान हो सके। लेकिन जो देहात के बच्चे होते हैं उनकी दिलचस्पी खेती से खुद ही होती है, अपने घरों में भी वह काम करते हैं और मुझे याद है कि जब महात्मा गांधी ने बेसिक एजूकेशन का प्रचार शुरू किया था तो उन्होंने यह कहा था कि यह जो बेसिक एजूकेशन है उससे जितनी आमदनी हो इन स्कूलों को उससे ही स्कूलों का खर्च पूरा करना चाहिये, क्योंकि इतना बड़ा देश है और इसमें सबको शिक्षित करना है तो इतने महंगे स्कूल और कालेज लेकर हम उन सब को शिक्षित नहीं कर सकते। हमें महात्मा गांधी जी की इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये और जो १० एकड़ भूमि मिली है उससे जो आमदनी हो उससे ही स्कूल का खर्चा चलना चाहिये और जिनके पास १० एकड़ जमीन है उनको और ज्यादा न देकर दूसरों को जमीन देनी चाहिये। यह जो शिक्षा को सस्ता करने की बात है अगर उसके लिये मंत्री जी यह कहें कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिये हम इसको सस्ता नहीं कर सकते तो मेरा सुझाव यह है कि अगर इस पर विचार किया जाय कि पंजाब में पहले यह रिवाज था कि जो अमीर आदमियों के बच्चे स्कूल में पढ़ते थे और उनमें जो गार्जियेन्स इंकमटैक्स पेई होते थे उनसे डबल फीस ली जाती थी। इसी तरह से अगर हम अपने देश को सोशलिस्ट पैटर्न का करना चाहते हैं तो अगर इस तरह की एक सीमा निर्धारित कर दी जाय कि जो अमीर आदमी के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनसे फीस ज्यादा ली जाय जैसे आप एक इन्डस्ट्री खादी को प्रोत्साहन देने के लिये मिल के कपड़े पर सेस लगा कर उसे मदद करते हैं। उसी तरह से मेरा यह सुझाव है कि अमीरों पर यह एक एजूकेशन लसेस लगाना चाहिये और

[श्री तेजा सिंह]

जो गरीबों पर शिक्षा का ज्यादा खर्च पड़ता है वह सब उनसे वसूल किया जाय। इसके लिये आमदनी की एक सीमा निर्धारित कर दी जाय कि उससे ऊपर की आमदनी के आदमियों के बच्चे अगर स्कूल में पढ़ने आयेंगे तो उनसे ज्यादा फीस ली जायगी और जैसे आजकल १० परसेंट की फीस माफ होती है उसकी जगह ५० परसेंट लड़कों की फीस माफ हो तो इस तरह से ग़रीबों का खर्चा भी कम होगा, सरकार का खर्चा भी कम होगा और गरीब बच्चों को पढ़ते का मौक़ा मिलेगा।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह जानना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव किया गया था उस पर कुछ निश्चय हुआ या नहीं या उस पर विचार स्थगित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष--अभी उस पर विचार नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि थोड़ी देर बाद उस पर विचार होगा।

*श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, बजट के देखने से पता चलता है कि गवर्नमेंट ने और खसूसियत के साथ हमारे दोस्त आनरेबुल एजूकेशन मिनिस्टर साहब ने तालीम की तरफ खास तवज्जह फरमायी है। मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था और आज भी अर्ज कर रहा हूं कि तालीम के साथ-साथ तालीमगाहों में, चाहे यूनिवर्सिटी हो, मदरसा हो या स्कूल हो, तरबियत की तरफ़ खास आपको तवज्जह करनी चाहिये। अभी मेरे एक भाई ने तकरीर करते हुए यूनिवर्सिटी में जिस हादसे का हवाला दिया उससे मालूम होता है कि पूरे तौर से हम अब तक नाकामयाब रहे हैं अपने हिन्दुस्तान की कदीम तहजीब और वह तमद्दुन के कायम रखने में जो कि किसी जमाने में शागिर्दों में उस्तादों के लिये होती थी और हर शागिर्द अपने गुरू और उस्ताद से मुहब्बत करता था। आपके तालीम के इस तरक्की के जमाने में करीब-करीब यह चीज बिल्कुल खत्म हो गई है और आज उस्ताद और शागिर्द के दर्मियान अजमत का रिश्ता बाकी नहीं रहा, जो रहना चाहिये। मुझे इससे बेइन्तहा मुसर्रत होती है जो कभी-कभी एजूकेशन मिनिस्टर की जुबाने मुबारक से यह सुनता हूं कि उन्होंने हिन्दी के तरक्की देने की काफी तवज्जह की। मैं अर्ज करता हूं कि पब्लिक में मुख्तलिफ जबानों में जिनके बोलने वाले करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं जितनी तवज्जह आपको देनी चाहिये, आपने अगर किसी मजबूरी की वजह से नहीं दी तो अब भी दीजिये और कोशिश कीजिये कि वह सहल जबान जिसका पंत जी ने दूसरे मिनिस्टरों ने बारबार तकाजा किया है वह हिन्दी यू० पी० में हो। जो हिन्दी कम जानने वाले हैं वे खुद तवज्जह करें औ उस जबान को इतनी प्यारी बनायें बजाय सख्त बनाने के ताकि उसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा अवाम की तवज्जह हो और वह बढ़ें। उसके बढ़ने से आप यकीन कीजिये मुल्क के अन्दर से एक ऐसा लिट्रेचर पैदा हो सकता है जिससे यहां के रहने वालों के अन्दर खास इत्तफ़ाक पैदा हो सकता है। अब हमारा मुल्क आजाद हो चुका है, हमको दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में जो जबान बोली जाती है वे हमारे मुल्कों के अन्दर चलेंगी, माने यह है कि वे विद्यार्थी जो युनिवर्सिटी से, स्कूलों से और कालेजों से निकलेंगे उनको मुख्तलिफ तालीम से आरास्ता करके दूसरे कन्ट्रीज के अन्दर भेजना पड़ेगा। लिहाजा हमारे लिये यह मुनासिब नहीं होगा कि हम किसी विद्यार्थी या किसी जबान के साथ तंग नजरी बर्तें या तवज्जह हटा लें। एक बात मैं कह दूं और यकीन दिलाऊं कि मुझे मुसर्रत थी जो हिन्दी इस मुल्क की सरकारी जबान बनी और मैं तो बड़े खलूस के साथ कहूंगा कि वह हमारी कौमी जबान है। जब उसकी तरक्क़ी की तरफ कोई लफ्ज भी, बल्कि कोई प्रैक्टिकल कदम उठाते हैं तो मुझे मुसर्रत होती है।

मैं सरदार जी से मुत्तफ़िक़ हूं और अर्ज करना चाहता हूं और दूसरी जबानें जो यू० पी० के अन्दर चल रही हैं जिनके बोलने वाले बहुत काफ़ी तादाद में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं और लुत्फ यह है इस मौके पर बार-बार साफ़ तौर पर जो उर्दू को पेश करते हैं वे बार-बार कहते हैं कि यह हिन्दू की, सिख की, मुसलमान की जबान है। मालूम नहीं मिनिस्टर साहब इत्तफ़ाक करते हैं इससे, जब मैं कहता हूं कि अगर यह सिर्फ हिन्दू या मुसलमान, सिक्ख की जबान न भी होती अगर उसके बोलने वाले यू० पी० के अन्दर एक हजार की तादाद में सिर्फ मौजूद होते तब भी आपका फ़र्ज था कि आप उसकी तरक्की के लिये इन्तहाई कोशिश करें, लेकिन मैं अर्ज करूंगा, सफ़ाई से अर्ज करूंगा, लोग ऐसे मौजूद हैं जो दिलोजान से उर्दू की ताईद करते हैं, जैसे हिन्दी की लेकिन कहते हुए डरते हैं। मगर मैं आपसे अर्ज करता हूं कि अगर किसी जबान को यहां चलाया जाय, बढ़ाया जाय, तरक्की दी जाय तो यू० पी० के एक बड़े अच्छे किस्म के मतालबे को आप पूरा करेंगे। मैंने इन दो तीन बरसों में देखा--मैं उन सलाहियतों पर नहीं जाऊंगा जो आनरेबिल मिनिस्टर को हासिल हैं और उनका खादिम होने के नाते मुझे भी हासिल हैं हो सकता है कि बहैसियत मिनिस्टर आप के अन्दर ज्यादा हों या मेरे अन्दर एम० एल० ए० होने के बाद कम हों --लेकिन जितनी भी सलाहियत है अगर उसको भी हम अमली तौर पर तवज्जह के साथ लगा दें, शिक्षा के बढ़ाने में, तालीम के बढ़ाने में तो आप यकीन रखिये कि हम नाकामयाब न होंगे। लेकिन मैं अफ़सोस के साथ कहता हूं कि मैं आपकी जबान से तंगनजरी देखता हूं। हाल ही में आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट वाली तकरीर में उर्दू का हलका सा तजकिरा कर दिया, हालांकि जब हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो मालूम होता है कि एक किस्म के पोलिटिकल बोझ ने, सियासी दबाव ने कुछ उनको मजबूर किया, लेकिन ऐसे अल्फाज उसमें इस्तेमाल किये कि जो न तो वादा मालूम होता है, न इन्कार मालूम होता है, बल्कि एक पुरफ़रेब जाल मालूम होता है, अगर आप पढ़ें तो मुख्तलिफ .....

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--मैं कहना चाहता हूं कि "पुरफ़रेब" शब्द किसी आनरेबिल मेम्बर को हाउस में किसी के लिये इस्तेमाल नहीं करना चाहिये। क्या यह पार्लियामेंटरी शब्द है?

श्री उपाध्यक्ष--क्या माननीय सदस्य ने "पुरफ़रेब" शब्द का प्रयोग किया है अगर किया है तो वापस लिया जाय।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--लेकिन आपने गलत तवज्जह दौड़ाई। मैंने 'पुरफरेब' लफ्ज इस्तेमाल किया लेकिन यह उन अल्फाज के लिये किया था कि जो फाईनेंस मिनिस्टर साहब की स्पीच में लिखे हुए हैं कि उन अल्फाज के "पुरफ़रेब जाल में....." अगर यह अनपार्लियामेंटरी है तो इसको भी वापस ले सकता हूं। मैंने किसी शख्सियत के लिये इस्तेमाल नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--यह शब्द अनपार्लियामेंटरी है। माननीय सदस्य इसको वापस ले लें।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--अगर मैं इस लफ्ज को यहां नहीं बोल सकता तो मैं वापस लेता हूं। और अपनी जिन्दगी के उन लमहों को जो मैंने सर्फ किये हैं, जिस तरीके से पहले भी अर्ज किया था और अब भी अर्ज करता हूं कि आप ने एक सियासी दबाव, एक बोझ अवाम की राय का जो आप ने महसूस किया, और एक तरफ आप ने एक खास जबान के मुताल्लिक उर्दू के मुताल्लिक कहा और कहकर उन तमाम जख्मों को छेड़ दिया जो अर्से से मुज्तमिल हो चुके थे। लेकिन जब दूसरों के बयान आते हैं तो वह एक अजीब तरीके से आते हैं। मालूम होता है कि आप का दिमाग किसी सूरत से नहीं चाहता कि आप उस जबान को तरक्की देने के लिये कोई भी कदम उठायें। कभी आप आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे कदम उठा लेते हैं। यह जो गोमगों की पालिसी है, डगमगाती हुई जो यह आप की पालिसी है उसको खत्म करना पड़ेगा। मैं जाती तौर पर फिर अपील करूंगा अपने आनरेबिल मिनिस्टर से

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

कि आप ने जो इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी बिल यहां पेश किये हैं, जब वह यहां पर पेश हुए या पास हुए तो मैं अपने जाती तजुर्बे की बिना पर कहूंगा कि जिनकी भलाई के लिये वे पेश किये गये थे उन्होंने उनके खिलाफ सख्त प्रोटेस्ट की। उससे मालूम हुआ कि इसमें हम आप मिल कर भी एक एवान के अन्दर और बाहर भी नाकामयाब हुए हैं। हम उस राय को या उन लोगों को जिनके लिये यह बिल बनता है किसी सूरत से मुतमैयन कर सकें, मैं यह अर्ज करूंगा कि यह हो नहीं सकता।

उर्दू हो या उर्दू के साथ फारसी या और जबान हो, उस को आप स्कूलों में और कालिजों में इस आसानी से रायज करें, उस का रिवाज करें कि पढ़ने वालों को ज्यादा से ज्यादा आसानी हो। इसके साथ एक और बात मैं अर्ज कर के खत्म कर दूंगा कि आप ने जो तरीका तालीम यू० पी० के अन्दर जारी कर रखा है उस में रोज बरोज गिरावट नजर आती है। संभलने का तो सवाल ही नहीं है। स्कूलों में हमारे लिये यह नामुमकिन हो गया है कि जिनके दो-तीन बच्चे हैं वह उन्हें स्कूलों में तालीम दिला सकें। फीस की यह हालत है कि नाशोता है साढ़े तीन रुपये का लेकिन एक एक वक्त में ७ और ८ रुपये तक देने पड़ते हैं और हमारी गवर्नमेंट के पास इस को कम करने का कोई इलाज नहीं है।

पारसाल भी मैंने अर्ज किया था कि एक बहुत बड़ा बोर्ड आप ने कायम कर रखा है जिस पर हमारे सूबे का लाखों रुपया खर्च होता है, वह है इंटरमिडिएट बोर्ड। मुझे जहां तक मालूम है मैंने पारसाल कहा था कि इस पर आनरेबिल मिनिस्टर, खास तवज्जह देंगे, लेकिन वह आज तक नहीं दी। जहां तक उर्दू जानने वालों का ताल्लुक है, जो मायोनारिटी कहलाती है, पहली मर्तबा जब कि हिन्दुस्तान में आइनी हुकूमत कायम हुई है तो आप ने उनकी नुमायन्दगी खत्म कर दी और आप ने उनका कोई इंतजाम नहीं किया, उनकी तरफ आप ने कोई तवज्जह नहीं दी। उस तबके की नुमायन्दगी जो आप की गलती की वजह से, आप की कोताही की वजह से, आपके नजरन्दाजी की वजह से खत्म हो चुकी है। आप दुबारा इस तबके को पहले आप अपने हाथ में लें और यह कहें कि एक मतबा गलती हो गई है तो अब हम नुमायन्दगी देने के बारे में दिल से कदम उठायेंगे। अगर आप यह कदम उठायेंगे तो आप कोई अहसान नहीं करेंगे बल्कि एक फर्ज को अदा करेंगे और अगर आप इस फर्ज को अदा करेंगे तो हजारों गर्दनें आप के सामने झुकती हुई दिखाई देंगी।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने गवर्नमेंट के उन शिक्षा क्षेत्र में कार्यों के बारे में बहस सुनी। इसके साथ ही साथ मैंने उस लिस्ट को भी सुना जो माननीय सदस्यों ने इस सदन में पेश करते हुए परिस्थिति का विश्लेषण किया और जहां तक बुद्धि से वह काम ले सकते थे उन्होंने एक प्रयास इस सदन में किया, इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं।

मैं आप को उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा यह बतला देना चाहता हूं कि आज इस सभ्यता और विज्ञान के युग में जब प्लानिंग हमारे विकास के हर क्षेत्र में हर काम को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आज भी कोई प्लानिंग नहीं, यह महान् दुख की बात है। शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर आज प्लानिंग की नितान्त आवश्यकता है और सब से पहले अगर कहीं प्लानिंग होना चाहिये था तो वह हमारे शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिये था। मुझे अधिकार है इस सदन में बहैसियत जनता के नुमायन्दा के कि माननीय मंत्री जी बतलाएं कि एजूकेशन में उत्तर प्रदेश के लिये क्या प्लानिंग है। कितने समय के अन्दर वह हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने जा रहे हैं, प्राइमरी एजूकेशन को? हमें इसका उत्तर अवश्य मिलना चाहिये क्योंकि भारतवर्ष के संविधान में इस बात का प्राविजन किया गया है और हर आदमी को शिक्षा निःशुल्क और कम्पलसरी मिलेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं समझता हूं कि जब तक हमारी स्टेट इस ओर अपना कदम नहीं बढ़ाती है तब तक हमारा प्रदेश उन्नति नहीं कर सकता है। मुझे खेद है कि शिक्षा जैसे उच्च विभाग में अंधकार फैला हुआ है । यह तो हमारे देश के लिये अच्छा चिन्ह नहीं है। मैं समझता हूं कि बुद्धि के प्रकाश से हमारी शिक्षा का विकास होगा परन्तु हमें कहीं भी वह सिस्टम नहीं दिखाई देता है, वह प्रणाली दिखाई नहीं देती हैं लेकिन आज तो डिग्री कालेजेज खोले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी खोली जा रही हैं, मैं कहता हूं कि आप जनता के अधिकारों का अपहरण करते हैं जब कि आप बिना जनता के पूछे इस तरह के डिसीशन्स लेते हैं जब कि हमारा कांस्टीट्यूशन फ्री और कम्पलसरी एजूकेशन देता है, इसके किये बिना शिक्षा की क्या व्यवस्था हो सकती है। अपने स्वार्थों को हल करने के लिये, चंद व्यक्तियों के कब्जे में होकर डिग्री कालेज खोल रहे हैं। मैं आप को बताना चाहता हूं कि इस तरह से आप जनता के हितों का अपहरण करते हैं। आप को कोई अधिकार इस तरह से पब्लिक ऐक्सचेकर के ऊपर बर्डेन डालने का नहीं है और जनता को प्रायमरी एजूकेशन से आप महरूम कर दें यह जनता के प्रति एक बड़ा आघात पहुंचता है । इसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि आज इस सम्बन्ध में जो कोई डिसीशन नहीं लिया जाता है उसका कारण मैं जानता हूं। किसी के अन्दर सेल्फ़ कान्फ़िडेन्स मुझे नजर नहीं आता। रिपोर्टों के बाद रिपोर्टें आती रहती हैं, कमीशन के बाद कमीशन बैठते रहते हैं लेकिन एक भी व्यक्ति आज हमारी युनिवर्सिटियों के अन्दर इस कैलिबर का नहीं निकला जो अपनी स्कीम को सरकार के सामने रख कर उसको कार्यरूप में परिणत करने का प्रयास करता। हमारा चरित्र खोखला दिखायी देता है, हमारी बुद्धि खोखली दिखायी देती है, हमारा विश्वास शून्य है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

आगे चल कर मैं यह बताना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में जितनी धांधलेबाजी, कमजोरियां और कमियां हैं उतनी किसी दूसरे विभाग में नहीं हैं। हम दूसरे विभाग में कमजोरियों को टालरेट करने के लिये तैयार हैं लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के विकास के साथ खिलवाड़ होते नहीं देख सकते हैं। क्या वजह है कि आज हर कोई लखनऊ की दौड़ लगाता है, डायरेक्टर साहब के आफ़िस को हजारों घेरे रहते हैं। जो आप ने डिप्टी डायरेक्टर बनाये हैं उनको क्यों नहीं अधिकार दिये जाते, इंस्पेक्टर आफ़ स्कूल्स को क्यों नहीं अधिकार देते ? हर कोई लखनऊ का दौरा लगाता है और हजारों रुपये इसमें खर्च होते हैं, कोई भी अफसर जिलों के अन्दर काम नहीं कर पाता, इसका मुझे बड़ा दुःख है। अगर आप शिक्षा में प्रगति करना चाहते हैं तो आप उसका विकेन्द्रीयकरण करिये। सारी पावर को लखनऊ और इलाहाबाद में केन्द्रित रखना शिक्षा-विभाग के साथ खिलवाड़ करना है।

आगे चल कर मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारी सरकार के खजाने का शिक्षा संस्थाओं के लिये बटवारा हो रहा है उसका मुझे बड़ा दुःख है। वे लोग जो शक्तिशाली हैं जिनके पास धन है उन्हीं के पास आप का रुपया जाता है। आप देहाती क्षेत्र की ओर ध्यान दीजिये। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज जितने भी हमारे भाई इस सदन के अन्दर हैं उनको बहुत दुःख होता है, क्योंकि उनकी एजूकेशनल संस्थायें जो देहात के अन्दर बिछी हुई हैं, उनको ग्रान्ट से महरूम किया जाता है और बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों, डिग्री कालेजों, जो शहरों में हैं उनको दिया जाता है। हम अधिक समय तक इसको टालरेट नहीं कर सकते। मैं आप को इसका ज्वलन्त प्रमाण देता हूं। कोई भी व्यक्ति जो बुद्धि रखता है वह गढ़वाल के कर्णप्रयाग गवर्नमेंट हायर सेकेन्डरी स्कूल को देख सकता है। मुझे अत्यन्त खेद है कि आज वह शिक्षा संस्था जिसके लिये सन् ४६ में बजट प्राविजन किया गया था काठ की बिल्डिग में चल रही है जिसका नोटिस मैं मंत्री महोदय और डायरेक्टर महोदय को दे चुका हूं कि अगर किसी लड़के की बिल्डिग गिर जाने से मौत हो गई तो इस क्रिमिनल चार्ज का उनको अदालत के अन्दर जवाब देना होगा। हमारे मंत्री महोदय ने जहां इस प्रान्त में डिग्री कालेजेज खोले हैं वहां उन्होंने पौड़ी के गवर्नमेंट इंटरमिडियेट कालेज को बन्द कर दिया है। यह बड़े शर्म की बात है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वह उस कालेज को जल्द से जल्द रिवाइव करें। इसका उनको जवाब देना पड़ेगा।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री ने तसलीम किया है कि उनके सामने अभी तक कोई लक्ष्य स्पष्ट नहीं था, ऐसी कोई योजना नहीं थी जिसके अनुसार वह शिक्षा के क्षेत्र में हमारे प्रदेश को ले जाते। अब तक शिक्षा मंत्री लक्ष्यहीन यात्रा, साध्यहीन साधना, गन्तव्य-स्थलहीन चेष्टा और विन्दुहीन प्रयास कर रहे थे। मैं यह समझता हूं कि उनके पास एक व्यावहारिक योजना थी लेकिन उनका अब विश्वास है कि आवाड़ी-कांग्रेस के समाजवादी प्रकार के समाज निर्माण के फैसले के बाद एक लक्ष्य उनके सामने स्पष्ट हो गया और वह उस की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। पहले उनका लक्ष्य कोआपरेटिव कामनवेल्थ का, उस के बाद वेलफेयर स्टेट के निर्माण का, पुनः सर्वोदय समाज की स्थापना वे कहते थे—था। उससे उन्हें कोई स्पष्ट प्रकाश नहीं मिला। इसी प्रकार सोशलिस्टिक पैटर्न प्रस्ताव के बाद भी उनकी यह कामना पूरी नहीं हो सकती है क्योंकि वह भी स्पष्ट एवं निर्मान्त नहीं हैं। मैं आप के सामने एक उदाहरण दे कर इसको बतलाना चाहता हूं। शिक्षा संस्थाओं में जो पाठ्य-पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, विशेष कर बच्चों को जो पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं उस में किसी तरह की सार वस्तु नहीं रहती है। उनमें किस प्रकार का सार (content) रहे उन शिक्षा की पुस्तकों के अन्दर किस प्रकार के पाठ रहें इसकी ओर शिक्षा विभाग या सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। समाज को किस तरह से ढालना है, शिक्षा विभाग और सरकार का ध्यान इस ओर नहीं रहता है और उनके सम्मुख इसकी कोई स्पष्ट रूप-रेखा नहीं है। शिक्षा-पुस्तकों की तरफ कतई ध्यान नहीं दिया जाता है, मुझे इस बात का अनुभव है। प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूलों की किताबों को देख कर यह अनुभव किया जाता है कि जिन किताबों में देश के हमारे महान् पुरुषों का चरित्र लिखा हुआ है उनमें इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि महापुरुषों के जीवन के किस अंग और उनकी किस प्रकार की भावना हम अपने बच्चों के मन के अन्दर डालना चाहते हैं। मैं मिसाल के लिये एक बात कहूंगा। अगर स्वामी श्रद्धानन्द का जीवन चरित्र किसी पुस्तक में लिखा जाय तो उसमें इस बात को लिखा न जाय कि उन्होंने मुस्लिम शुद्धि का प्रयत्न किया था और शुद्धि के लिये उन्होंने एक आन्दोलन चलाया था बल्कि उस बात को उछाला जाय कि उन्होंने जामा मसजिद दिल्ली से १ लाख लाख हिन्दू मुसलमानों के बीच १९२१ में भाषण दिया था। इस प्रकार से हमारे छोटे बच्चों के हृदय में बचपन से ही हिन्दू-मुस्लिम एकता का भाव पैदा होगा।

एक लक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट है कि हमें भारत वर्ष में धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना करनी है। इसको करीब करीब २, ४ धार्मिक नेताओं एवं साम्प्रदायिक संस्थाओं एवं दलों को छोड़ कर बाक़ी सब प्रगतिशील भारत ने समर्थन दिया है। इस तरह से फिरकापरस्ती की बातें लिखना और पुस्तकों में इस प्रकार की साम्प्रदायिक भावना के भरे होने से और इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाने और उनके इस पृथकतावादी भावों के हृदयंगम करने से देश प्रेम की भावना के विपरीत भावना बनती है और यह सेक्युलर स्टेट की भावना के विपरीत हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मान लीजिये कि कहीं पर श्री गोविन्द वल्लभ पंत के लिये यह लिखा जाय कि हरद्वार में जा कर पंत जी ने हर की पौड़ी पर एक घड़ा दूध चढ़ाया था। इससे उन बच्चों के ऊपर प्रभाव एक विशेष प्रकार का पड़ेगा। हम इसे ग़लत समझते हैं। हम इस प्रकार के कंटेन्ट उसमें रखे जिससे हमारी राष्ट्रीय परम्परा की भावना के अनुकूल हिन्दु-मुस्लिम एकता की भावना उत्पन्न हो। बच्चों के लिये इस प्रकार की पुस्तकें और उनका विषय इस प्रकार का होना चाहिये जिससे बच्चों के अन्दर विशुद्ध राष्ट्रीय भावना पैदा हो। यह इसी उद्देश्य से लिखा जाना चाहिये और इसकी स्वीकृति उनको प्राप्त होनी चाहिये। लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिये यह कहना कि अब किसी तरह से शिक्षा मंत्री जी को लक्ष्य दिखाई दे गया, जिसकी तरफ वह मार्च करेंगे, मैं समझता हूं, एक धोखा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ और बातें माननीय मंत्री जी की सेवा में रख देना चाहता हूं। मैं चाहता हू कि सरकार स्कूलों को, कालेजेज को तथा और दूसरी शिक्षा संस्थाओं को जो ग्रान्ट देना चाहती हैं वह उतनी होनी चाहिये जितना कि फीस के अलावा उन का खर्चा

है। मेरा विचार है कि शिक्षा के संचालन में विद्यार्थियों का हाथ भी होना चाहिये, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिये। खासतौर से जिन स्कूलों और कालेजेज में जहां व्याज फंड इकट्ठा किया जाता है उनके संचालन में निश्चित रूप से विद्यार्थियों का हाथ होना चाहिये, मास्टर, हेड मास्टर या प्रिन्सिपल भी हों तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन विद्यार्थियों का भी उसमें हाथ होना चाहिये। क्योंकि देखा यह जाता है कि सरकार, जब कोई चन्दा इकट्ठा करती है तो स्कूल के मैनेजर आदि सरकार को खुश करने के लिये, सरकार के सामने सुर्खरू बनने के लिये उसमें से अधिकांश रुपये को दे देते हैं।

इसके अतिरिक्त मास्टरों के केसेज का निर्णय महीनों और वर्षों में होता है। उनको वैसे ही थोड़ी सी आय होती है इसलिये जो केसेज में देर लगती है यह उनके लिये अन्याय की बात है। इसके अतिरिक्त सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं और अन्य सरकारी शिक्षा संस्थाओं के मास्टरों की तनख्वाहों में जो अन्तर है, मैं समझता हूं कि वह मिटना चाहिये। उसकी ओर सरकार की विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा ख्याल है कि एक ऐसी स्पेसिफिक एज लिमिट होनी चाहिये जब तक हर एक विद्यार्थी को एक प्रकार की आम शिक्षा दी जाय। उसके बाद बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चे को शिक्षा दी जाय उसका झुकाव जिस विषय की ओर है उसी तरफ उसको ले जाया जाय अथवा किसी विशेष दिशा में उसको मोड़ने की कोशिश की जाय। इस पर भी हमें विचार करने की अत्यन्त आवश्यकता है कि विशेष दिशा में मोड़ने की Age limit क्या हो !

हमारी शिक्षा को थर्ड रेट राइटर्स के हाथ में नहीं देना चाहिये। जिन पुस्तकों को शिक्षा संस्थाओं में मान्यता दी जाती है उनमें ऊलजलूल बातें निरुद्देश लिखी रहती है जो हमारी राष्ट्री भावना के भी विपरीत होती हैं। इसलिये शिक्षा मंत्री जी से मेरा कहना यह है कि जो तरीका आजकल मान्यता देने का है उसमें अविलंब सुधार होने की आवश्यकता है। अतः जिन पुस्तकों को मान्यता प्रदान की जाय उनकी पूरी छानबीन होनी चाहिये, उसमें हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की बातें हों, साथ ही सही भारतीय राष्ट्रीय भावनाओं को अनुभव कराने वाली बातें हों, तथा यह भी साफ तौर पर तय हो जाना चाहिये कि किस महापुरुष के जीवन का कौन सा अंश लिया जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि पुस्तकों को मान्यता दी जाने से पूर्व इस बात का ध्यान रक्खा जाय और इस प्रकार के कठोर रूल्स बना दिये जायं।

इसके अलावा मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनके विभाग से ५०० लाल चीन नामक पुस्तक वितरित की गयी हैं। यदि माननीय मंत्री जी ईमानदारी से इस बात की कोशिश करते हैं कि चीन के बारे में लोगों को जानकारी हासिल हो तो उसके बारे में और भी जो अच्छे लेखकों की पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनकी प्रतियां भी बटवानी चाहिये। जैसे जवाहर लाल जी की बहन और उनकी लड़की ने अथवा सरदार पन्निकर, डा० अमरनाथ झा, पं० सुन्दर लाल आदि ने जो कुछ चीन के बारे में लिखा है उसका भी प्रचार सरकार को करना चाहिये।

एक बात और कहना चाहता हूं। लड़के और लड़कियों को नार्मल स्कूलों में जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसमें फर्क है। यह असमानता क्यों है इसका क्या कारण है, मेरी समझ में नहीं आया। आखिर में मैं बेचारे मास्टरों के बारे में कहूंगा। वे बेचारे मास्टर बेचारे ही रह गये, उनकी दशा सुधारने के लिये कोई खास कदम नहीं उठाया गया। इतना बड़ा आन्दोलन चलाने के बाद, उनकी न्याय-मांगों का इतना सामूहिक समर्थन होने के बाद भी शिक्षा मंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इतना कह कर मैं अपनी जगह पर बैठता हूं।

श्री सीताराम शुक्ल--श्रीमन्, समय बढ़ाने का एक प्रस्ताव आया था कि एक घंटा समय बढ़ा दिया जाय। उस को पहले ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं चाहता हूं कि इसका निर्णय अध्यक्ष महोदय देवें तो अच्छा है। वैसे मेरा तो ख़याल है कि आज टाइम नहीं बढ़ाया जा सकता है।

श्री राजनारायण—अच्छा है कि आप रहने दें उपाध्यक्ष महोदय, जब अध्यक्ष जी आयेंगे तो यह तय हो जायगा।

*श्री मुहम्मद तकी हादी (जिला मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी का भाषण सुनने के बाद और फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तकरीर देने के बाद जो कि उन्होंने बजट पेश करते वक्त की थी, यह तो मानना ही पड़ेगा कि सरकार तालीम की तरफ रूजू है। जो रकम इस बजट में प्राविजन की गयी है यानी १० करोड़ २१ लाख की, अगर उसे ठीक तरीके से खर्च किया जाय तो मेरा यकीन है कि हमारा सूबा तालीम के मुताल्लिक दूसरे सूबों से पीछे नहीं रहेगा। तालीम को बदलने के लिये बहुत नारा लगाया जाता है लेकिन जहां तक सेकेंडरी एजूकेशन व यूनिवर्सिटी एजूकेशन का ताल्लुक है और जिसके लिये कहा जाता है कि इसे पुराने तरीके से अंग्रेजों ने जारी किया था, उस सिस्टम को यकलख्त तब्दील नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्राइमरी एजूकेशन के सिलसिले में मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर सही तरीके से इसकी तरफ खास तवज्जह दी जाय तो हम अपनी प्राइमरी तालीम को दुरुस्त कर सकते हैं और फिर ऐसी कोई वजह नहीं है कि हम हायर सेकेंडरी एजूकेशन में कोई तब्दीली न कर सकें। जहां तक प्राइमरी एजूकेशन का ताल्लुक है, हमारे सूबे में आज कम्पलसरी एजूकेशन रायज है और आज बहुत से स्कूल खोले जा रहे हैं। इस तरह से यह मानी हुई बात है कि जैसी तालीम अंग्रेजों के जमाने में दी जाती थी उस तरह की तालीम हम नहीं चाहते हैं। लेकिन इस वक्त हम यह देखते हैं कि बहुत से खानदान ऐसे हैं जिन्होंने पहले से तालीम पायी है उनका माहौल और है और जो लोग इस वक्त नये तरह के स्कूलों में दाखिल हो रहे हैं उनका माहौल और है। वह खानदान जो पुरानी तालीम हासिल करता रहा है और भाई वाल्दैन उस तालीम पर खर्च कर चुके हैं उनके बच्चों में और जो बदकिस्मती से अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पाये हैं उनके बच्चों में बहुत फर्क है। दोनों के माहौल दो तरह के रहे हैं। इसलिये मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि खासतौर पर प्राइमरी एजूकेशन की तरफ तवज्जह करें। इस सिलसिले में हमारे मुल्क के बहुत बड़े नेता श्री राज गोपालचारी जी ने इस तरफ तवज्जह करने के लिये एक बयान दिया है और यह मानी हुई बात है कि इस तरफ हमको विशेष ध्यान देना होगा। तालीम के अन्दर ग्रूप की बात नहीं आनी चाहिये। इस सिलसिले में माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं अर्ज करूंगा कि आप मांटेसरी सिस्टम को इनकरेज करें, क्योंकि यह सिस्टम ऐसा है जिससे बच्चे आगे बहुत तरक्की कर सकते हैं।

जहां तक कम तनख्वाह पाने वाले टीचरों का सवाल है समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जे० टी० सी० टीचरों का जो ग्रेड रखा है वह हमारे लिये बहुत ही काबिले इत्मीनान है। लेकिन साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी की तवज्जह इस तरफ भी मबजूल कराऊंगा कि जो बी० टी० सी० का कोर्स किये हुए मूदर्रिस हैं और जो ज्यादातर म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के स्कूलों में पढ़ाते हैं उनकी शिकायत है कि उनका ग्रेड नहीं बढ़ाया गया है। मैं चाहता हूं कि उनकी तरफ भी तवज्जह की जाय और उनका ग्रेड भी बढ़ाया जाय।

एक ही चीज मैंने अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी की तकरीर में नहीं पाई और उन्होंने जिस तरह से हर किस्म की तालीम को तरक्की देने की बात बतलाई लेकिन उन्होंने सूबे में टेक्निकल एजूकेशन की तरफ कम तवज्जह फरमाई है। मुल्क की हालत को देखते हुए यह बहुत जरूरी मालूम देता है कि हम अपने यहां टेक्निकल एजूकेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावें ताकि अनएम्पलायमेंट दूर हो सके और मुल्क की जरूरत भी पूरी हो जाय। इसलिये जरूरत इस बात की है कि टेक्निकल स्कूल ज्यादा से ज्यादा तादाद में खोले जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्रीमन्, यह भी नाइंसाफी होगी कि अगर मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का शुक्रिया अदा न करूं क्योंकि उन्होंने अमरोहा में गवर्नमेंट स्कूल को साइन्स में कालेज बना दिया है और उनकी इनायत से वहां अब ३ इंटर कालेज चल रहे हैं, एक साइन्स में, एक आर्ट्स में और एक कामर्स में और वहां अब विद्यार्थी हर तरह की शिक्षा पा सकते हैं। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि वहां बहुत जल्द डिग्री कालेज खोला जाय। खुश किस्मती से वहां का जगदीश इन्टर कालेज बहुत अच्छी हालत में है और वहां करीब २ हजार लड़के तालीम पाते हैं, स्टाफ भी वहां का बहुत एफीशिएन्ट है और उसकी फाइनेन्शियल पोजीशन भी बहुत साउन्ड है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी जगदीश इन्टर कालेज को बहुत जल्द डिग्री कालेज बनाने की बात पर तवज्जह देंगे और वहां के तालिब-इल्मों को जो दिक्कत बाहर मुरादाबाद और दूसरी जगह जाकर तालीम हासिल करने में होती है उस से उनको निजात दिलावेंगे क्यों कि वह मुरादाबाद जाते हैं तो स्टेशन पर बहुत गड़बड़ी होती है। इसलिये अगर उन्होंने वहां यह इन्टर कालेज बनाये हैं तो कोई वजह नहीं है कि वह जगदीश इन्टर कालेज को डिग्री कालेज बना कर वहां के लोगों के शुक्रिया के मुस्तहिक न हों। इन अल्फाज के साथ मैं इस ग्रान्ट की ताईद करता हूं जो पेश की गयी है।

श्री राज नारायण––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कांग्रेस के अवाड़ी प्रस्ताव के बाद भी अपनी शिक्षा की नीति स्पष्टता के साथ घोषित नहीं की, सारी शिक्षा की योजना इस साल भी उसी अराजकता की बुनियाद पर कायम है। श्रीमन्, समय बहुत कम मिलता है वर्ना मैं तो एक तरफ से माननीय मंत्री जी के भाषण का अनेलेसिस करता और तब सदन के सामने सफाई के साथ यह बात आ जाती कि मंत्री जी की कोई योजना नहीं है और बिना किसी योजना या प्लान के बराबर शिक्षा पर दस करोड़, ८ करोड़ या ५ करोड़ रुपया हर साल खर्च करना यह जनता के धन का एक तरह से दुरुपयोग है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान में कहीं २ लाख की, कहीं ५ हजार की बढ़ोत्तरी की चर्चा की लेकिन साधारण दृष्टि से जो रकम शिक्षा के लिए मांगी है उस में कोई बढोतरी नहीं है बल्कि यदि वह हिसाब लगावेंगे तो गत वर्ष से इस वर्ष कुछ प्वाइंट कम ही है। मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षा की क्या नीति मंत्री जी ने अपनाई है वह उस को जरा सफाई से बतावें और अंग्रेजों के जमाने में जो नीति यहां कायम थी और जो उस जमाने में उसकी बुनियाद थी उस में इस जनतंत्र होने के बाद उन्होंने क्या तब्दीली की कुछ भी तो वह उस तब्दीली का हवाला देते। पहले जिस तरह से विद्यार्थियों को प्राइमरी स्कूलों में पढाया जाता था, पहले वहां उनको हिसाब बताया जाता था कि इतने सिपाही हों तो इतने घोड़ों का क्या हो और अब सिखाया जाता है कि इतनी गांठ सूत कातते हैं इतने समय में तो उतने समय में कितना कातेंगे ऐसे सवाल आते हैं। एक बात से मैं कभी कभी परेशान होजाता हूं माननीय शिक्षामंत्री जी सरकारी पक्ष से और माननीय झारखंडे राय जी कम्युनिस्ट पक्ष से बोलते हैं पर उन दोनो की शिक्षा नीतियों में कोई फर्क नहीं है। कम्युनिष्टी नीति और कांग्रेसी नीति दोनो ककारी नीति हैं और इन में कोई फर्क नहीं है। सारे ढाचे को दोनो के देखा जाय तो वही सेन्ट्रलाइजेशन है। माननीय झारखंडे राय जी सजेस्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से रूस में ज्यों ज्यों शासन की नीति परिवर्तन होती चलती है त्यों त्यों पाठ्य पुस्तकों की लाइनोंको काट कर वर्तमान शासन की नीति की प्रथा के मुताबिक बदल दिया जाता है उसी प्रकार यहां भी किया जाय। उन्हो ने ऐसा सजेस्ट किया मगर यह भ्रम से वह कर गये। माननीय मन्त्री जी तो खुद ही उसी नीति पर चल रहे हैं। सारी पुस्तकों को पढ़ाया जाय तो यह बात स्पष्ट हो जाती है। मुझको अभी इधर कुछ देहातों में भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ है छोटी छोटी कक्षाओं की पुस्तकों को मैंने देखा है। उस में गांधीवाद समाजवाद साम्यवाद और उस पर कुछ न कुछ लाइनें लिखी रहती है। समाजवाद से उस से कोई मतलब नहीं है, गांधी वाद से उस से कुछ मतलब नहीं है। एक चैप्टर गांधीवाद पर है तो एक

[श्री राज नारायण]

चैप्टर समाजवाद पर है लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाय तो मैं समझता हूं कि जिस महानुभाव ने वह पुस्तकें लिखी हैं उन को दंड मिलना चाहिये। साधारण कम उम्र के बच्चों को समाजवाद क्या है, पढ़ाया जाता है और ऐसा गलत बताया जाता है कि एक भ्रमात्मक धारणा उत्पन्न होती है और इससे फिर उनको आगे चल कर वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा दी भी जाय तो कोई असर नहीं पड़ सकता है। श्रीमन्, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने पांचवीं, छठवीं कक्षा में माननीय गोविन्द वल्लभ पन्त जी की जीवनी है, उस को देखा उसमें मैंने यह देखा कि वे १९२० और १९२१ में महात्मा गांधी के साथ जेल में यात्रा करने वालों में से थे, उनके साथ सत्याग्रह में सम्मिलित होने वालों में से थे, बिलकुल झूठी बात है। श्रीमन्, गोविन्द वल्लभ पंत जी कभी २०–२१ के सत्याग्रह में शामिल नहीं हुए थे वह तो बाद में आये लेकिन विद्यार्थियों को बिल्कुल झूठी बातें पढ़ाई जाती हैं तिस पर भी शिक्षा की नीति की यहां पर तारीफ़ की जाती हैं। एक दम तो गलत बातें पढ़ाई जायं और शिक्षा मंत्री हम से इतना रुपया उस के लिये मांगें इस ग़लत बात को पढ़ाने के लिये, विद्यार्थियों के मस्तिष्क को दूषित करने के लिये, रूलिंग पार्टी का प्रचार करने के लिये और कांग्रेस के नेताओं की गलत बातें पढ़ाने के लिये और कांग्रेस के नेताओं में आस्था प्रकट करने के लिये, तो क्या श्रीमन् हीं जनतंत्र है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस की सफ़ाई पेश करें। मैं जानता हूं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिये कितने सालों से बजट में चर्चा है। कितने सालों से माननीय शिक्षा मन्त्री जी इसके बारे में कहा करते हैं। तीन साल के करीब हो गये लेकिन क्यों नहीं वहां यूनिवर्सिटी स्थापित हुई। क्या शिक्षा की नीति है? राज्यपाल महोदय, आज कल बहुत बड़ी दिलचस्पी शिक्षा संस्थाओं में रखते हैं उनका एक खास नुक्तेनजर है और जिस तरीके को वह शिक्षा चलाना चाहते हैं जब तक उसके बारे में सफाई न हो तब तक गोरखपुर यूनिवर्सिटी चलने वाली नहीं है। तो ऐसी बातें तो सरकार की ओर से आती रहती हैं और इसके बाद भी शिक्षा के बारे में बड़ी सफाई दी जाती है। श्रीमन्, मैं जानना चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि वह जनतंत्र में विश्वास करते हैं या नहीं। तीन वर्ष तक लगातार शिक्षा अनुदान पर सुनते-सुनते और निवेदन करते-करते मैं थक गया लेकिन माननीय मंत्री जी ने आज तक नहीं बतलाया कि जनतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा कैसी चलेगी और उसकी क्या व्यवस्था होगी। आज भी अफसोस के साथ प्रातःकाल श्रीमन् मुझे माननीय त्रिलोकी सिंह, और हरिश्चन्द्र वाजपेयी के एलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को पढ़ना पड़ा। उस में खाद्य मंत्री के ऊपर दोषारोपण है। क्या यही जनतंत्र है? जनतंत्र के एक मंत्री का आचरण कैसा होना चाहिये? रूलिंग पार्टी के सदस्यों का आचरण कैसा होना चाहिये। (एक आवाज इससे शिक्षा से क्या सम्बन्ध है?) इससे शिक्षा का पूरा सम्बन्ध है और अगर नहीं है तो वह शिक्षा निरर्थक है। अगर माननीय मंत्रीगण अपनी शिक्षा से अपने आचरण से जिस तरह की शिक्षा वह चाहते हैं साबित नहीं करते और उस का द्योतक स्वयं नहीं बनते और इस प्रकार की शिक्षा को प्रचारित करते हैं तो यह समझ लीजिये कि यह पुस्तकों की बातें धरी रह जायंगी, आप की शिक्षा की व्यवस्था धूल धूसरित हो जायेगी, बरबाद हो जायेगी, मिट जायेगी। राज्यपाल महोदय के हस्तक्षेप के बारे में अधिक नहीं कहना चाहता। अब यह टालरेशन (बरदाश्त) के ऊपर हो गया है। अब तो चांसलर* महोदय का हस्तक्षेप यहां तक बढ़ गया है कि उन्होंने इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर के कार्यकाल को भी बढ़ा दिया। वह कैसे बढ़ा दिया, किस कानून के मुताबिक कर दिया, कंवोकेशन से उसका कोई संबंध है या नहीं?

श्री हरगोविन्द सिंह––बिना पढ़े लिखे आप ने कह दिया कि एक्सटेंड कर दिया। कहां एक्सीटेंड कर दिया, किसने कर दिया?

---

*३० मार्च, १९५५ की कार्यवाही में श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार परिवर्तित।

श्री राज नारायण—माननीय मंत्री जी ने सफाई दे दी। उनका कार्यकाल समाप्त होता था ५ मार्च को, तो फिर आज तक कौन वाइस चांसलर है और अगर वही हैं, तो कैसे हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—आप जरा वहां के स्टेट्यूस पढ़ लीजिये।

श्री राजनारायण—माननीय मंत्री जी ने कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट लागू हो गया है और जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट लागू हो गया है तो उसके मुताबिक काम होना चाहिये। मैं बतलाना चाहता हू, श्रीमन्, कि किसी भी जनतांत्रिक प्रणाली में मुख्य मंत्री का कोष शिक्षा के प्रसार में नहीं लगाया जा सकता। किसी भी जनतांत्रिक प्रणाली में अध्यापकों की गतिविधि के संरक्षण के लिये माननीय मंत्री जो अंकुश लगा रहे हैं वह अंकुश नहीं लगाया जा सकता, किसी भी जनतांत्रिक प्रणाली में केवल कांग्रेस पार्टी की मीटिंग्स पर कोई अंकुश न हो और दूसरी पार्टी की मीटिंग्स पर अंकुश हो, ऐसा नहीं किया जा सकता। किसी भी जनतांत्रिक प्रणाली में किसी प्रकार से आज टेक्स्ट बुक्स की छपाई हो रही है वह नहीं हो सकती। उसे दूसरे तरह से होना चाहिये। उसका डिसेंट्रलाइजेशन (विकेन्द्रीकरण) होना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि क्यों न म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को उस जिले की जितनी पुस्तकें हैं उनको छपाने का अधिकार उनको दे दिया जाय, क्यों न वे उनको अपने यहां छापें और क्यों पावर सेंट्रलाइज न होकर डिसेंट्रलाइज हो। इससे एक तरह से करप्शन बढ़ता जाता है। क्यों लोगों को लालायित करके, प्रलोभन दे कर सरकारी पक्ष को प्रबल किया जाता है, यह जनतंत्र है या डिक्टेटरशिप ? इसके बाद श्रीमन्, कांफिडेंशियल के बारे में मुझे कुछ कहना था लेकिन लाल बत्ती हो गई। इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि मैं उसका विरोधी हूं।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट के बारे में मुझे एक निवेदन करना है, ७ पेज माननीय मंत्री खोल लें। ५१-५२ में श्रीमन् २८,४०,२८३ छात्रों की संख्या थी। प्रारम्भिक स्कूलों में और ५३-५४ में वह रह गई २६,९४,५४५। तो यह घटी है या नहीं ? प्रारम्भिक स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या घटी है। इसी तरह से स्कूलों की संख्या ५१-५२, में ३२,०२७ थी वहां ५३-५४ में वह ३१,११९ रह गई तो यह डेढ़ लाख के करीब तादाद घटी है या नहीं ? ऐसा क्यों हुआ ? इसलिये हुआ जहां एलान करना चाहते थे कि प्रारम्भिक शिक्षा मुफ्त होगी और अनिवार्य होगी वहां प्रारम्भिक संस्थायें जो हैं उनको खत्म करते चले जा रहे हैं। तिस पर माननीय मंत्री चाहते हैं कि हम उनकी तारीफ करें और कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मंत्री जी का बड़ा कुशल प्रबन्ध है। श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां विद्यार्थियों की संख्या घटी है, अध्यापकों की तनख्वाह घटी है, शिक्षा संस्थाओं की तादाद घटी है वहां पर राष्ट्रीय फंड का व्यय बढ़ा है। इसका माननीय मंत्री समुचित उत्तर देंगे क्यों बढ़ गया ? कैसे बढ़ गया ? जवाब तो वह ढूंढ़ ही निकालेंगे लेकिन यदि सारी शिक्षा की योजना का विश्लेषण किया जाय तो इस नतीजे पर आसानी से पहुंचा जा सकता है कि सरकार सरकारी पार्टी को मजबूत करने के लिये शिक्षा के साधनों का मनमाने ढंग से प्रयोग कर रही है और शिक्षा के साधनों के प्रयोग के द्वारा जनतांत्रिक प्रणाली पर कुठाराघात कर रही है।

श्री जोरावर वर्मा—श्रीमन्, वीरेन्द्र शाह जी ने जो प्रस्ताव रखा था मैं आप का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उसे स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष—मैं अध्यक्ष महोदय के आने का इन्तजार कर रहा हूं। जो उन्होंने रूलिंग दी है उससे मेरे हाथ बंधे हुए हैं और इसलिये मैं अपना कोई निर्णय इस सम्बन्ध में नहीं दे पाया हूं।

श्री वीरेंद्रपति यादव---प्वाइंट आफ आर्डर। इस सदन के नियमों के अनुसार कोई प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के सामने आता है तो उस प्रस्ताव पर निश्चय यहां विचार जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ही होना चाहिये। मौजूदा अध्यक्ष उस प्रस्ताव को किसी दूसरे अध्यक्ष के लिये टाल नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने तो पोजीशन आप को समझा दी कि मैं अभी निर्णय देने को तैयार हूं मगर वह सदन की इच्छा के पक्ष में नहीं हो सकता है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि आप को समय मिल सके और यह एक महत्व का विषय है इसलिये मैं चाहता हूं कि अभी निर्णय न दूं।

श्री वीरेंद्रपति यादव--- मैं चाहता हूं कि इसका निर्णय आपके द्वारा ही हो, चाहे वह समय मिले या नहीं।

(सदन में गड़बड़ी और आवाजों के बीच श्री उपाध्यक्ष ने श्री परिपूर्णानन्द का नाम पुकारा।)

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)---मान्यवर, माननीय राजनारायण जी ने जब शिक्षा के विषय में बोलना प्रारम्भ किया तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि संभवतः बड़ी महत्वपूर्ण बातें इस सम्बन्ध में वह हम को बतलायेंगे। उन्होंने एक बात तो वास्तव में बहुत सही कही कि शिक्षा के सम्बन्ध में जब माननीय झारखंडे राय जी बोलने लगते हैं तो वह यह भूल जाते हैं कि यह कम्युनिस्ट पार्टी का ध्येय कुछ और है। निस्संदेह शिक्षा प्रणाली में समाजवादी सिद्धांतों ने बहुत उन्नति की है, प्रगति की है और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि आज शिक्षा की वर्तमान प्रगति का बहुत बड़ा श्रेय समाजवाद को है। किन्तु शिक्षा की प्रगति में अगर किसी ने सबसे बड़ी बाधा डाली है तो वह कम्युनिस्टों ने और इसके बारे में मैं एक उदाहरण आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं। पाठ्य पुस्तकों को किस प्रकार उन्होंने अपने सिद्धांत के लिये बदला है, विद्यार्थियों को किस प्रकार वह पढ़ाते हैं इसका एक नया उदाहरण है। चीन में जनतंत्र कायम होने के बाद जब वहां नयी पुस्तकें प्रकाशित हुई तो प्राथमिक पाठशालाओं के लिये, जहां बच्चों को कम्युनिस्ट शासन के पहले यह सिखाया जाता था कि तुम को अपने बुजुर्गों के प्रति आदर प्रकट करना चाहिये और अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करना चाहिये उसके स्थान पर इन नयी पुस्तकों में यह लिखा गया है कि हम अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करते, अपने गुरू को प्रणाम नहीं करते, 'हम केवल भाओत्से तुंग को प्रणाम करते हैं।' इस प्रकार की प्रणाली अगर हमारे देश में आने की संभावना हो तो ईश्वर करे कि उससे हमारी रक्षा हो। दूसरी बात विद्यार्थियों की शिक्षा के सम्बन्ध में कही गयी। श्रीमन्, इसके विषय में भी मैं एक उदाहरण दूंगा। २० नवम्बर, १९५४ के अंक में दिल्ली से निकलने वाले अखबार जिसका नाम है 'थाट' उस अंक को पढ़ें तो.....

श्री झारखंडे राय---मैं चाहता हूं कि आप जो उदाहरण दे रहे हैं वह दिखलावें ताकि हम भी समझ सकें कि वह सही है। आप रूस आदि के उदाहरण दिया करते हैं लेकिन प्रमाण नहीं देते..

(शोर-गुल के बीच)

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---आप बीच में गड़बड़ न करें। आपने तो इसे खुद पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा नहीं कि आप पढ़े लिखे न हों, आपको बीच में न बोलना चाहिये.....

श्री झारखंडे राय---इसका क्या मतलब है.....

(इस अवसर पर सदन में बहुत शोर हुआ।)

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मैं अपने स्थान पर हूं। आप डिस्टर्ब न करें। श्रीमन्, मेरा मतलब स्पष्ट है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यार्थियों का एक डेलीगेशन रूस गया था.....

श्री सीताराम शुक्ल—आपने अभी फरमाया कि पढ़े लिखे नहीं हैं...

श्री झारखंडे राय—प्वाइंट आफ आर्डर। मैं चाहता हूं कि आप जो कह रहे हैं उसके लिये आप प्रमाण दें कि वह आप कहां से कह रहे हैं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मैं तो निवेदन कर रहा था कि "थाट्" एक अखबार निकलता है उसके २० नवम्बर, १९५४ के अंक में यह खबर थी। एक डेलीगेशन गया था रूस में। उसके लीडर थे श्री पाणिग्रही, दिल्ली विश्वविद्यालय के। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वहां यूनिवर्सिटियों में विद्यार्थियों की स्थिति ऐसी है जैसे वे किसी ट्रेड यूनियन में जकड़ दिये गये हों। किसी विद्यार्थी को स्वदेश में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिये पासपोर्ट लेकर जाना पड़ता है और तीन तीन फोटो रखनी पड़ती हैं। इस तरह की प्रणाली जिस देश में हो और वहां की प्रथा हमारे देश में आये, मैं नहीं समझता कि यहां का कोई सदस्य भी यह चाहेगा। आज विद्यार्थियों में जो उछृंखलता और अनुशासनहीनता बढ़ रही है, मैं नहीं जानता कि उससे माननीय शिक्षा मंत्री हमारी किस प्रकार रक्षा करेंगे।

एक और बात कही गयी कि शिक्षा के सम्बन्ध में पक्षपात होता है, शिक्षा संस्थाओं को ग्रान्ट देने के सम्बन्ध में पक्षपात होता है। आजकल प्रतिवर्ष हजार, पांच सौ शिक्षा संस्थाओं को मान्यता देने का काम मुझे करना पड़ता है और मैं अपने उधर बैठे मित्रों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि उनमें से एक सदस्य भी कह दे कि मैंने किसी भी शिक्षा संस्था को मान्यता देने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का पक्षपात किया है। अगर कोई पूछे कि सबको ग्रांट क्यों नहीं मिली तो उस के लिये स्पष्ट जवाब है। जो कोई शिक्षा संस्था की मान्यता कराने आता है उसे एक लिखित गारंटी देनी पड़ती है कि हम ढाई, तीन वर्ष तक किसी प्रकार की ग्रान्ट नहीं लेना चाहते हैं। और गारंटी के ६ महीने के बाद ग्रान्ट की दरख्वास्त शुरू हो जाती है और हजारों स्कूल हर साल खुलने के बाद किसको ग्रान्ट दी जाय इसका निर्णय शिक्षा मंत्री जी क्या करेंगे। लेकिन मैं श्री शाहिद फाखरी साहब से कुछ कहना चाहता हूं। उर्दू के सम्बन्ध में उन्होंने बहुत कुछ कहा। माध्यमिक शिक्षा परिषद् को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसका एक विशेष अधिकारी है जो यह ध्यान तथा जांच रखता है कि कोई विद्यार्थी किसी प्रकार उर्दू की शिक्षा हासिल करना चाहता है तो उस विद्यार्थी के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो। मैं समझता हूं कि उर्दू की शिक्षा मिलनी चाहिये। लेकिन यह कहना कि गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं देती तो इसकी जिम्मेदारी उस मुस्लिम विशेषाधिकारी के ऊपर है जो गवर्नमेंट ने नियुक्त किया है। यह कहा गया कि शिक्षा संस्थाओं में किसी प्रकार का प्रबन्ध नहीं है प्रदेश में विद्यार्थियों की संख्या कम हो गयी है। माननीय राजनारायण जी ने शायद ठीक संख्या देखी नहीं। इस वर्ष तीन साढ़े तीन लाख विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। एक भी परीक्षापत्र आउट नहीं हुआ, सुपरिन्टेन्डेन्ट को मालूम नहीं कि कौन एक्जामिनर है, फिर भी न जाने कौन सा ऐसा उपाय है जिससे विद्यार्थियों को मालूम हो जाता है कि कौन परीक्षक है।

पाठ्य पुस्तकों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं कि पांच वर्षों से पाठ्य पुस्तकें बदली नहीं गयीं और होता यह है कि ४,५ पुस्तकों का एक सेट नियत किया जाता है। परीक्षा का परिणाम देख करके कोई प्रधानाध्यापक किसी पाठ्य पुस्तक में रद्दोबदल स्वयं करता हो तो हो, गवर्नमेंट का उसमें कोई हाथ नहीं रहता। म्युनिसिपल बोर्ड की पाठ्य पुस्तकें देने के बारे में माननीय राजनारायण जी ने कुछ सुझाव दिये हैं। पर पाठ्य पुस्तकों में भ्रष्टाचार को रोकने का सबसे अधिक सरल तरीका माननीय शिक्षा मंत्री ने अपनाया है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार की इंडिसिप्लिन विद्यार्थियों में उत्पन्न हो

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

रही है इसकी जिम्मेदारी कुछ राजनीतिक दलों पर है जो विद्यार्थियों से नाजायज फायदा उठा करके उनके शिक्षा के क्षेत्र पर आघात पहुंचाते हैं। इनसे विद्यार्थियों की रक्षा करना नितांत आवश्यक और अनिवार्य है।

(इस समय ४ बजकर २६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, माननीय परिपूर्णानन्द वर्मा जी ने माननीय झारखंडे राय जी को यह कहा कि वे पढ़े लिखे नहीं। तो मैं आशा करता हूं कि वे उन शब्दों को वापस लेंगे।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--मान्यवर, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं समझता हूं कि प्रत्येक सदस्य मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है मैंने, चीन में जो पाठ्य पद्धति है जिसका जिक्र मैंने किया था जिसमें उन्होंने विद्यार्थियों को विशेष कम्युनिस्ट बातें सिखायी जाती हैं, उसके लिये कहा था कि ऐसे विषय को उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं है।

श्री अध्यक्ष--शायद सदन में यह सवाल उठा है कि आज सदन की बैठक का समय बढ़ाया जा सकता है या नहीं? नियम यह है कि आखिर के दिन यानी जो कि बजट के लिये अनुदानों पर राय ली जाती है उसके अखिरी दिन आध घंटे पहले बजट पर विवाद समाप्त हो जाना चाहिये और किसी अन्य रोज के लिये यह नियम लागू नहीं है कि उस रोज समय नहीं बढ़ाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि सदन अगर चाहे तो किसी भी अन्य रोज समय बढ़ाया जा सकता है। मैं स्वयं नहीं बढ़ा सकता हूं। मैंने कभी एक दफा शायद यह कहा था कि समय नहीं बढ़ाया जा सकता है। मेरा मतलब यह था कि उस समय सदन में कोई प्रस्ताव समय बढ़ाने का सदन के सम्मुख उपस्थित नहीं था। ५ बजने में एक, दो मिनट रह गये थे तो मैंने कहा था कि समय नहीं बढ़ाया जा सकता है। उस रोज तो बात इस प्रकार खत्म हो गयी, लेकिन अगर सदन एक प्रस्ताव करे कि हम सदन का समय बढ़ाना चाहते हैं तो किसी रोज बढ़ सकता है, सिवाय आखरी रोज के। आखरी रोज आध घंटे पहले विवाद समाप्त हो जाना चाहिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का एक घंटा समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है।

(कोई आपत्ति नहीं की गयी)

तो यह तय हुआ कि सदन की अनुमति है कि ६ बजे तक लोग बैठें।

श्री झारखंडे राय--मैं एक प्रश्न श्री परिपूर्णानन्द से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--आप इस समय प्रश्न नहीं कर सकते। अब उनको भाषण देने के लिये समय नहीं है, इसलिये अब आप कोई बात नहीं कह सकते।

श्री झारखंडे राय--जब इस तरह से हमारे ऊपर पर्सनल अटैक होते हैं और आप सवाल भी नहीं करने देते...

श्री अध्यक्ष--प्रश्न करने का यह वक्त ही नहीं है।

श्री झारखंडे राय--मैं इसको गलत समझता हूं और आज की कार्यवाही में भाग नहीं लेना चाहता।

(इसके बाद श्री झारखंडे राय सदन के बाहर चले गये।)

श्री व्रजभूषण मिश्र (ज़िला मिर्जापुर)--अध्यक्ष महोदय, जहां हमारे राज्य में शिक्षा की वृद्धि का प्रश्न है संख्या तो अवश्य बढ़ी है, लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रकार में यह नहीं बढ़ी है। यहां की यूनिवर्सिटी से जो टाई और पतलून पहिनने वाले लड़के निकलते हैं तथा कन्यायें मेम बनने का प्रयत्न करती हैं उनकी अनेक प्रकार की वेशभूषा जब मैं देखता हूं तो वस्तुतः ऐसा लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता जिन बातों को चाहती है उसके विपरीत ये हमारे विद्यार्थी और छात्र तथा छात्रायें जाते हैं। इस दृष्टि से मैं यह कहने का साहस करता हूं कि शिक्षा के प्रकार में कोई उन्नत मैं नहीं देखता। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा कि यह एक मौलिक बात है, इस ओर हमारे शिक्षा शास्त्रियों को और माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये और ऐसी पद्धति स्थापित होनी चाहिये कि हमारे भारतीय विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति और भारतीय वेशभूषा की तरफ अभिरुचि बढ़े और उधर उनका ध्यान और झुकाव हो।

इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लक्षणों से जाना जाता है कि शिक्षा किधर जा रही है। मुझे एक किस्सा याद आता है। एक बे-पढ़ा ज़मींदार था। वह एक अंग्रेज के यहां गया। अंग्रेज ने उससे पूछा कि बेल, तुम्हारा लड़का पढ़ने लगा? उसने कहा कि हां, साहब पढ़ने लगा। उसने कहा कि तुम तो पढ़े नहीं हो, कैसे तुम्हें मालूम कि तुम्हारा लड़का पढ़ने लगा? ज़मींदार ने जवाब दिया कि, "सरकार वह खड़े-खड़े पेशाब करने लगा और जूता पहिन कर रसोई में जाने लगा, इससे मालूम हुआ कि वह लड़का पढ़ लिख रहा है।" इसलिये इन लक्षणों को देख कर मुझे विदित होता है कि हमारी शिक्षा हमारी भारतीय परम्परा की तरफ नहीं जा रही है, हमारी संस्कृति की ओर नहीं बढ़ रही है।

हमारे फाखरी साहब ने एक बात उर्दू की तरफ उठायी थी। मैंने उनको ध्यान से सुना, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि उनका अभिप्राय क्या था। यदि उनका अभिप्राय उतनी दूर तक है कि उर्दू इस प्रदेश की एक भाषा हो, जिसे रीजनल भाषा क्षेत्रीय भाषा कहा जा सकता है, वह मरने न पाये, उसकी रक्षा होनी चाहिये, तो इससे मुझे कोई मतभेद नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ रौ में ऐसा कहा जिससे मुझे यह मालूम पड़ा कि उस भाषा से जिसको राष्ट्र भाषा का स्थान मिल रहा है उससे उनका विरोध है। उन्होंने समालोचना की और कहा कि यह बड़ी कठिन और क्लिष्ट भाषा हम लोगों पर लादी जा रही है। इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि पहले तो स्वयं जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया यह स्वयं बड़ी क्लिष्ट भाषा थी वह स्वयं बतलाती थी कि जिस भाषा का वह समर्थन करते हैं यह क्या स्वयं एक मान्य भाषा हो सकती है।

दूसरी बात यह है कि हम अपनी राज्य भाषा या राष्ट्र भाषा का निर्माण करने जा रहे हैं। उसकी क्लिष्टता के विषय में मुझे यह निवेदन करना है कि कोई भाषा, जो पहले कठिन मालूम होती है वह व्यवहार से और अभ्यास से सहल हो जाती है, सुगम हो जाती है और मान्य हो जाती है। मैं प्रमाण के लिये बतलाता हूं कि अंग्रेजी भाषा सरल नहीं है। अंग्रेजी का एक शब्द 'थ्रू' है, यह सात अक्षरों से बनता है, इसका उच्चारण 'थ्रू' करते हैं। इसी तरह से 'पुट' और 'बट' है, इसमें 'बट' में 'यू' का उच्चारण 'अ' होता है और 'पुट' में 'यू' का उच्चारण 'उ' होता है। यह किसने सीखा, हिन्दुस्तानियों ने सीखा। फिर इसके पंडित हुए, माहिर हुए और ऐसे हुए कि बड़े-बड़े अंग्रेजों के कान हिन्दुस्तानियों ने काटे। इसलिये मैंने बतलाया है कि जिस भाषा की रचना हम करने जा रहे हैं, वह आज भले ही क्लिष्ट मालूम हो लेकिन धीरे-धीरे वही मान्य और सुगम हो जायगी और लोग समझने लगेंगे। हम लोग जब यहां आये थे तो विधेयक, वीर्घा और अधिनियम शब्दों का प्रयोग हुआ तो हमें यह बड़े अबोध लगे थे। लेकिन धीरे-धीरे हम जानने लगे और अपना काम धाम हम सभी लोग उसमें करने लगे।

अध्यक्ष महोदय, मेरे कहन का मतलब यह है कि हमें अपने राष्ट्र की भाषा एक ही बनानी पड़ेगी जिससे हम सब एक ही लक्ष्य पर, एक ही बिन्दु पर पहुंच सकें, जैसे एक पिरेमिड होता है और

[श्री व्रजभूषण मिश्र]

उसके आधार में बहुत से खंड होते हैं, लेकिन वह सब ऊपर उठकर एक बिन्दु पर मिलते हैं। इसी प्रकार से क्षेत्रीय भाषाओं के रूप भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, भिन्न-भिन्न व्याख्या हो सकती है हम उनको भी जीवित रखना चाहेंगे और मैं चाहूंगा कि उनको भी लोग पढ़ें और पढ़ने वाले उसको समझें और उनके पढ़ाने की व्यवस्था हो। लेकिन यदि यह कहा जाय कि सारी भाषाओं को लड़ाते हुए उसमें प्रतिद्वन्दता और संघर्ष किया जाय कि कौन सी भाषा अंतिम रूप प्राप्त करे तो हमें कहना होगा कि राष्ट्र भाषा जिसे हम पकड़े हुए हैं, वही हमारी भाषा हो सकती है। मैं समझता हूं कि जो जजबात में हमारे बंधु कह गये हैं, यह उनके जोश की बात थी, होश की बात नहीं थी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि भाषा का जो प्रसंग है उसमें प्रतिद्वन्दता और संघर्ष पैदा नहीं करना चाहिये कि जिससे जो हमारी धारा चल रही है उसमें फिर से विक्षेप पैदा हो।

अंत में मैं थोड़ा सा ध्यान माननीय मंत्री जी का अपने जिले की बाबत दिलाना चाहता हूं। अभी श्री रावत जी ने कहा कि डिग्री कालेजेज की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसा बंधन डाल देने की जरूरत नहीं है, इससे मैं सहमत नहीं होता हूं। जितनी नीचे की शिक्षा की जरूरत है उतनी ही ऊंचे की शिक्षा की भी जरूरत है। मिर्जापुर में कोई भी डिग्री कालेज नहीं है। वहां दो दर्जन इंटरमीडियट और हाई स्कूल हैं और लड़के पढ़ने के लिये दूर-दूर जाते हैं और उनके मां बाप का सैकड़ों रुपया व्यर्थ नष्ट होता है। मिर्जापुर उन्नतिशील और प्रगतिशील जिला हो रहा है, गजेटेड आफिसर्स की संख्या तथा जन-संख्या बढ़ती जा रही है। उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। इन सब बातों को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि मिर्जापुर जिले को एक डिग्री कालेज अवश्य दें क्योंकि इसके बिना शिक्षा की प्रगति में बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझावों के साथ प्रस्तुत अनुदान के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, किसी कार्य के करने से पूर्व उसका एक उद्देश्य निश्चित किया जाता है। इसी प्रकार आज हमारी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य, मानवता के विकास को छोड़कर केवल प्रमाण-पत्र या सार्टिफिकेट देना रह गया है और इसी का नतीजा आज हमारे सामने समाज में नजर आ रहा है कि परीक्षाओं के समय हमारी शिक्षा संस्थाओं के प्रिंसिपलों पर आक्रमण होते हैं, हमारे निरीक्षकों पर चाकुओं से हमले किये जाते हैं और यही नही बल्कि इसके आगे भी हमारी शिक्षा संस्थाओं के गुरुजनों को इस संकीर्ण उद्देश्य का और भी दूषित फल देखना पड़ता है। मैं समझता हूं कि इसके लिये हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी भी चिंतित होंगे। मैं उनसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में आज जो इस प्रकार की दुर्घटनायें होती हैं यह प्रश्न बड़ा ही गम्भीर है। मुझे एक घटना इस वर्ष २६ जनवरी की सुन कर बड़ा दुःख हुआ कि हमारे गढ़वाल में श्रीनगर गवर्नमेंट इंटर कालेज के प्रिंसिपल के मुकाबिले में वहां के थानेदार ने अपने को ऊंचा माना और झंडा फहराने के लिये वहां के प्रिंसिपल और थानेदार में मतभेद हुआ और नतीजा यह हुआ कि थानेदार ने यह हिम्मत की कि हमारे शिक्षा विभाग के गजटेड आफिसर के खिलाफ अपने यहां के थाने के रोजनामचे में रिपोर्ट लिखी। यह आज हालत है हमारे शिक्षा विभाग की और उसके जिम्मेदार गुरुजनों की। तो मैं माननीय मंत्री जी से एक बात बड़ी नम्रतापूर्वक कहूंगा कि उन्हें अपने गुरुजनों को ऊंचा स्थान देने के लिये और उनका मान बढ़ाने के लिये एक आवश्यक कदम उठाना है और जल्दी से जल्दी उठाना है।

दूसरी बात मैं आज शिक्षा के क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण जीवन के अन्तर की कहता हूं और उसके लिये प्रार्थना करना आवश्यक समझता हूं। आज शिक्षा संस्थाओं को लीजिये तो शहरों में वे एक व्यापार का क्षेत्र बन गयी हैं और मैं तो यह समझता हूं कि हमारे शहरी लोग जो शहरों में बैठ कर ग्रामीण भाइयों का शोषण करते थे उनके बहुत से रास्ते बन्द हो गये हैं अब उन्हें एक नया रास्ता शिक्षा का मिला है। आप देखेंगे कि शिक्षा क्षेत्र में शहरों में राजकीय

कालेज होते हुए सरकार दिन प्रति दिन नयी संस्थाओं को मान्यता देती चली जाती है और उन संस्थाओं में भी एक अनोखी बात आप देखेंगे कि एक तरफ तो हमारा देश वर्गविहीन और जाति-विहीन समाज की रचना का निश्चय कर चुका हैं और हम उस तरफ बढ़ भी रहे हैं और हमारे प्रधान मंत्री एक बार नहीं अनेक बार उसके लिये जनता का सहयोग चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ आज जाति विशेष के नाम पर कितनी ही शिक्षा संस्थायें खुलती जा रही हैं। मुझे दुःख है कि शिक्षा विभाग ने इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया है। इतने से ही लोगों को संतोष नहीं है कि वैश्य पाठशाला ही कायम रहे या कायस्थ पाठशाला ही खोले वैश्य पाठशाला के साथ अगर मौका मिलता है तो अग्रवाल पाठशाला खोल दी जाती है, राजपूतों को मौका मिलता है तो वह राजपूत कालेज कर दिया जाता है और आगे चलकर उनको मान्यता भी मिल जाती है। यह सब मैं उदाहरण के लिये कह रहा हूं। हमारे शिक्षा मंत्री जी को इस ओर सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिये। हमारे यहां जो जाति उपजाति के नाम पर हमारे सामाज में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना होती जा रही है इसकी मान्यता की जरूरत नहीं है बल्कि जो प्राचीन संस्थायें हैं उनकी मान्यता को छीनना है। अगर अपने समाज से हम जाति भेद को मिटाना चाहते हैं तो ऐसा करना बहुत जरूरी है।

इसके अतिरिक्त मैं अपने दृष्टिकोण से शिक्षा विभाग की असमानताओं की ओर माननीय शिक्षामंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर आज ऐसे स्कूल भी हमारे प्रदेश में हैं जहां राजा महाराजा और बड़े आदमियों के लड़के ही पढ़ सकते हैं। इसलिये कि वहां २५०-३०० और ४०० रुपये मासिक का खर्चा होता है। इसके अतिरिक्त जब हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो कितने नीचे स्तर पर हमारे लड़कों को स्कूल पढ़ने को मिलते हैं। एक ओर तो हमारे समाज के कुछ लोग शिक्षा पर इतना ऊंचा व्यय करते हैं और दूसरी ओर धन के अभाव में हमारे देश के बालक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। इस क्षेत्र में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने अपने कार्यक्रम में प्रगतिशील कदम नहीं उठाया। आज मुझे खुशी होती अगर शिक्षा मंत्री किसी और क्षेत्र में नहीं तो शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का कार्य करते कि कम से कम प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल और मैं तो समझता हूं कि हायर सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षकों के लड़कों की शिक्षा तो निःशुल्क कर ही देनी चाहिये। मैं आपके सामने प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों की जो दशा है उसके बारे में क्या बयान करूं कि वह किस तरह से परेशान हैं। वे अपने बच्चों को इतनी शिक्षा भी नहीं दिला सकते जिससे कि उनका निर्वाह हो सके। मान्यवर मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में जो इस प्रकार की आर्थिक विषमता है उसको मिटायें। मैं अपने भाई तेजा सिंह जी के सुझाव का समर्थन करता हूं जो कि उन्होंने कहा कि शिक्षा की जो फीस ली जाती है वह एक निर्धारित आमदनी पर मुकर्रर होनी चाहिये और उस निर्धारित आमदनी से कम पर फीस नहीं ली जानी चाहिये और निःशुल्क होनी चाहिये। यही नहीं बल्कि इसके साथ-साथ शिक्षा का प्रसार जो ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है वह असन्तोषप्रद है। मैं तो समझता हूं कि शिक्षा के द्वारा अभी तक जो भी कुछ कार्य हुआ है वह ग्रामीण क्षेत्र में नहीं के बराबर है और विशेषकर लड़कियों की शिक्षा की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया गया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी स्वयं भी देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि ग्रामों में लड़कियों की शिक्षा के लिये कोई कार्य ही नहीं हुआ है जिसकी अत्यन्त आवश्यकता है। स्त्री समाज को, जिसको पुरुष अपना आधा अंग समझता है उसकी यदि उपेक्षा की गयी तो समझ में नहीं आता कि आखिर उसका क्या नतीजा होगा।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि शिक्षा विभाग में जो सत्ता का केन्द्रीयकरण है उसका विकेन्द्रीयकरण किया जाय। यहां से राजनीतिक पीड़ितों के लड़कों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। एक नहीं अनेकों राजनीतिक पीड़ितों की दरख्वास्तें मैंने भिजवाई और खुद दीं लेकिन सरकार के कार्यालय से उनमें कुछ भी नहीं हुआ। जो रुपया राजनैतिक पीड़ितों को छात्रवृत्तियों के लिये दिया जाता है उसका समुचित बटवारा होना चाहिये। उसका बटवारा डिस्ट्रिक्ट-वाइज हो जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारे डिप्टी डायरेक्टर के द्वारा उसका बटवारा होना चाहिये। यहां बैठकर जो बटवारा होता है वह सही नहीं होता।

†राजा वीरेन्द्र शाह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिये बधाई देता हूं कि शिक्षा में दिन प्रति दिन प्रगति हो रही है लेकिन, श्रीमन्, यहां मैं इतना कह देना आवश्यक समझता हूं कि जिस उन्नति की हम आशा करते थे उतनी उन्नति अभी तक नहीं हो पायी है। मैं सरकार को एक बात तो यह बतला देना चाहता हूं कि देहातों में जो बैकवर्ड क्लासेज हैं और जो लोग शिक्षा से पहले भी रुचि नहीं रखते थे उनमें हम देखते हैं कि आज शिक्षा के लिये फीस अधिक पड़ जाने से वह और भी इस बात के लिये सोचते हैं कि अपने बच्चे को पढ़ायें या न पढ़ायें। अगर सन् ३४ से आज सन् ५५ की फीसों का मुकाबला किया जाय तो मालूम होगा कि आज दुगनी फीस हो गयी है। छोटी-छोटी क्लासेज की फीस काफी बढ़ गयी है। मैं यह मानता हूं कि शिक्षा बढ़ाई जाय लेकिन जब तक आप इस चीज पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका ध्येय पूरा नहीं हो सकता। ८ वीं कक्षा की फीस और छोटी क्लासों की फीस करीब ४–५ रुपये के हो जाती है और कम से कम यह बैकवर्ड क्लासेज के लिये बहुत अधिक हो जाती है। जिनकी शिक्षा में रुचि होती है वह तो कर्जा लेकर भी पढ़ा लेते हैं लेकिन बैकवर्ड क्लासेज में तो पहले ही रुचि नहीं थी अब वे सोचते हैं कि इससे तो कोई धंधा करा लिया जाय तो अच्छा है। सरकार देहात में यदि शिक्षा का प्रचार करना चाहती है तो उसको फीस में कमी करनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से हमारी शिक्षा का जो संबंध है यानी जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूलों का वह बड़ा खराब है। सरकार ने यहां पर २७ लाख रुपया उनके लिये रक्खा है जिससे कि मास्टरों को ठीक तरह से वेतन दे दिया जाय। लेकिन मुझे अपने जिला का कुछ उल्टा ही अनुभव है कि जालौन जिले में कम से कम अध्यापकों को माहवारी वेतन नहीं दिया जाता है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस बारे में एजूकेशन कोड में यह लिखा है कि रुपया महीने के महीने बजरिये पोस्टल आर्डर के उनको वेतन भेज देना चाहिये लेकिन अब यह कायदा उन्होंने निकाला है कि वे दो-दो तीन-तीन महीनों के बाद मास्टरों को हेड क्वार्टर पर बुलाते हैं और नाना प्रकार के चन्दा उनसे वसूल किये जाते हैं और इस प्रकार से वहां पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और दफ्तर में बैठकर उनसे पांच-पांच रुपया काट लिया जाता है और जो आप उनको तरक्की देते हैं वह दूसरी तरह से उनसे काट ली जाती है। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जब २७ लाख रुपया वहां दिया है तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को यह हिदायत होनी चाहिये कि वे इस बात को देखें कि इस तरह से दो-दो महीने पर टीचरों को तनख्वाह न दिया जाकर हर महीने समय पर दे दिया जाय। मैं यहां पर यह भी कहूंगा कि जो राजनीतिक पीड़ित हैं उनके बच्चों की शिक्षा के लिये भी प्रबंध है और बैकवर्ड तथा शेड्यूलड कास्ट के बच्चों की शिक्षा के लिये भी प्रबन्ध है लेकिन जो हमारे फौजी लोग हैं उनके बच्चों की शिक्षा के लिये सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। भगवान जाने कि भविष्य में क्या होने वाला है, यह नहीं कहा जा सकता है लेकिन मेरे राज्य के जो फौजी सिपाही हैं उनके बच्चों की तालीम के लिये फ्री प्रबन्ध होना चाहिये। बहुत से प्रान्तों में फौजियों के बच्चों के लिये फ्री एजुकेशन है, उनके लिये बोर्डिग हाउस बने हुए हैं, उनमें उनके बच्चों के लिये फ्री लाजिंग का प्रबन्ध है। बम्बई और सी०पी० में इस तरह से उदाहरण मौजूद हैं। लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रांत के बहुत से भाई फौज में हैं, उनके बच्चों की शिक्षा की तरफ सरकार को ख्याल करना चाहिये, और बजट डिमांड में उनके लिये खासतौर के प्रबंध करना चाहिये। सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिये कि जो लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को चलाते हैं उनकी सहायता की तरफ भी सरकारी अफसरों का ध्यान होना चाहिये और ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना चाहिये। जैसा कि श्री परिपूर्णानन्द जी ने कहा और इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं कि कहीं पर किसी तरह की थोड़ी सी कमी रहते हुए भी उसको मान्यता देने की कृपा करते हैं। लेकिन श्रीमन्, इसमें और भी बहुत सी अड़चनें हैं जैसे कि सरकार

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने कहा कि प्लानिंग कमेटी स्कूल की इमारतें बनायेगी या और भी तनख्वाह आदि चीजें हैं जिनके लिये सरकार ने यह कर रखा है और माननीय मंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि प्राइवेट हायर सेकेंडरी स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके लिये सरकार ने जो ग्रेड रखा है वह देना पड़ेगा। यानी मजबूर होकर उनको इन्क्रीमेंट देना होगा। तो सरकार जब यह एग्रीमेंट कराती है तो ग्रांट देते वक्त भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिये कि उसी हिसाब से ग्रांट भी अधिक मिले। यह नहीं कि हम तो वन थर्ड ही देंगे। श्रीमन्, मैं तो चाहता हूं कि सरकार ५० परसेंट, ४५ परसेंट या जो भी मुनासिब समझे एक चीज तय कर ले। यह न करे कि इधर तो तनख्वाह बढ़ाने के लिये कह दे और बाद में कहने लगे कि हम तो वन-थर्ड ही देंगे, तुम टू-थर्ड का इन्तजाम करो। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इन तमाम बातों पर पुनः विचार करें कि इसकी वजह से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कितनी कठिनाई होगी। इन शब्दों के साथ मैं सरकार को बधाई देता हूं और चाहता हूं कि अधिक से अधिक शिक्षा का प्रचार हो।

(श्री अध्यक्ष ने श्री तेजप्रताप सिंह का नाम पुकारा।)

श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)---श्रीमन्, मैं आज कई रोज से खड़ा हो रहा हूं लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि आज तक कोई मौका बोलने का नहीं दिया गया।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत थोड़ा समय लेना चाहता हूं। मैं सिर्फ दो चार बातें ही कह कर बैठ जाऊंगा और शायद माननीय सदस्य जो खड़े हुये थे उनको भी मौका मिल जायगा। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें, क्रांतिकारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है और उस ओर हमारी सरकार ने कदम उठाया है ऐसा मुझे प्रतीत होता है और वह यह है कि हमारे जूनियर हाई स्कूल, और प्राइमरी स्कूलों में बेसिक शिक्षा दी जाय। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, साथ ही साथ उद्योग धंधों के लिये भी यह कोशिश की गयी है कि उनकी भी शिक्षा दी जाय हमारे स्कूलों में। लेकिन यह जो अभीनवीकरण (reorientation) की योजना बनी, वह उसी प्रकार से मुझे प्रतीत होती है जैसे कि एक ढेला हो जिससे दो पक्षियों को मारने की कोशिश की गयी हो। एक तो पक्षी है बेकारी का और दूसरा है कृषि शिक्षा का। यह दोनों काम हो सकें इसलिये केन्द्रीय सरकार ने हमारी सरकार को अनुदान दिया है कि बेकारी को रोकिये। शिक्षित वर्ग बहुत बेरोजगार है और दूसरे आप की जो योजना है और हमारे देश की जो मुख्य समस्या है कृषि की उसमें भी हम आगे बढ़ सकें। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ, यही कि वह दोनों ही चिड़िया ज्यों की त्यों मौजूद हैं, एक भी उन में से नहीं मरी है। न तो बेकारी ही दूर हुई और न वह कृषि शिक्षा ही जिस ढंग से होनी चाहिये वह हो रही है। जब हम देहातों में जाते हैं और वहां जा कर देखते हैं कि किस प्रकार की वहां प्राइमरी स्कूलों व जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षा हो रही है तो इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह सब पैसा व्यर्थ ही जा रहा है और उस से कोई शिक्षा में वृद्धि नहीं हो रही है। अगर यह कहा जाय कि जो जमीनें उन के पास हैं वह ऊसर हैं, बंजर हैं तो यह जरूर है कि काफी जमीन ऐसी है। मैंने स्वयं एक जगह ऐसा पाया लेकिन जब वहां के टीचर ने यह बतलाया तो गाँव वालों के सहयोग से वहां अच्छी जमीन मिल गई लेकिन जो टीचर हैं वह भी यही कहते हैं कि वह जमीनें अच्छी नहीं हैं और जो नाले के किनारे की है वह भूमि अच्छी नहीं है। मैं समझता हूं कि यह तो एक बहुत हद तक बहाना मात्र है। जो बेकार हैं और शिक्षित हैं वह खेती करना नहीं चाहते और न उसमें उनको इन्टरेस्ट है और फिर भी उन को खेती का काम सिखाने का भार सौंपा जाता है, उनमें से कोई हल नहीं चला सकता। हम चाहते हैं कि कम से कम इस दृष्टिकोण से आंकड़े इकट्ठे किये जायं कि कृषि की शिक्षा सही माने में दी जा रही है या नहीं। यहां यह कह दिया जाता है कि यह कोई कामर्शियल प्रोप्रोजीशन नहीं है और हम यह कोई कामर्शियल लाभ के लिये नहीं कर रहे हैं लेकिन कम से कम इतना तो देखना ही चाहिये कि लड़के कृषि में पारंगत हो रहे हैं या नहीं, उस में कुशल बन रहे हैं या नहीं। मैं कहता हूं वह नहीं हो रहे हैं और इस का मुख्य कारण यह है कि जो लोग पढ़ाने के लिये रखे हैं वह कृषि का कार्य नहीं जानते

[श्री तेजप्रताप सिंह]

हैं । जिसके पास दस पांच बीघा या दो चार एकड़ जमीन हो, एक हल हो और एक जोड़ी बैल हो, जिसकी दिलचस्पी हो और खेती करने की ताकत हो और लोगों के सामने उदाहरण रख सके, ऐसे आदमियों को इस काम में लेना चाहिये। शिक्षित नवयुवक ५-६ घंटा धूप में नहीं रह सकते और वह खेत में धूप और वर्षा में कैसे काम कर सकते हैं? जिधर हमें बढ़ना चाहिये जो हमारा लक्ष्य है वह ठीक है लेकिन जिस गति से जिस तरीके से हम चल रहे हैं वह बहुत ही कम है और गलत है। अगर हम सेल्फ काम्पलेसेन्ट बने रहें तो यह अच्छा नहीं है। हमारा कृषि प्रधान देश है और यहां कृषकों की बड़ी भारी जनसंख्या है। इसलिये हम ऐसे कार्य के लिये किसान को ही रखें और जिस को खेती का पर्सनल अनुभव हो उस को रख कर ही हम इस चीज में सफल हो सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री के शिक्षा कोष में ३६ हजार या इतने ही लाख रुपये के करीब हैं उसमें जो अनुदान देंगे तो इतने स्कूल हैं जिनकी पूर्ति हम नहीं कर सकते।

५ सौ रुपये बैल के दिये गये हैं या दिये जाने की बात है लेकिन वह बैल कहां बांधे जायेंगे, उनको कैसे व्यवस्था होगी, वह सारी डिटेल की बातें हैं, जिनको गौर से देखना होगा। उसकी व्यवस्था नहीं होगी मैं जानता हूं और सारा का सारा रुपया नष्ट हो जायगा। तो जो यह योजना आपने रखी है वह ऐसी होनी चाहिये जो सफल हो सके।

दूसरी चीज जो आपकी नीति-रीति है और विशेषकर सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रति उनके प्रति पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिये। वह निष्पक्ष होना चाहिये। ऐसे कुछ कारण हैं, अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ व्यक्तिगत अनुभव है जिसके कारण मुझे बड़ा संदेह है कि निष्पक्ष आपका व्यवहार नहीं हुआ है। उदाहरण के लिये कुछ प्रश्न अभी हाल में इस सदन में हुये थे कि हमारे यहां नेशनल इन्टर कालेज में कुछ रुपया जिसको एक्सेस ड्राअल हुआ कहा जाता है और जिसको हम लोगों ने गबन की संज्ञा दी है, हरिजनों का गलत ढंग से लिया गया। उसके ऊपर इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट लिखी है कि यह गबन है और उसको पुलिस को दे दिया जाय। उसके बाद वह मामला डाइरेक्टर साहब के यहां आया। उन्होंने भी कहा कि यह गबन है और इसको पुलिस को दे देना चाहिये और वह पुलिस को दिया गया, लेकिन माननीय मंत्री जी ने उसमें हस्तक्षेप किया, न मालूम किन कारणों से और उस केस को वापस लिया गया, stay किया तो यह तो शक होने की बात है कि आखिर आप उसमें क्यों हस्तक्षेप करते हैं, उसमें आपकी विशेष दिलचस्पी क्यों है जब उसके पास ही उस्मानिया या रहमानिया कालेज के मैनेजर को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है? हालांकि वह छूटता है क्योंकि उसमें इतनी गम्भीर बातें नहीं हैं। तो आप जो इतने जिम्मेदार पद पर हैं आपको यह अवश्य देखना चाहिये कि आपकी रीति-नीति ऐसी होनी चाहिये जिससे लोग आप पर पक्षपात का दोष न लगा सकें।

तीसरी बात प्राइमरी स्कूलों के बारे में कहना चाहता हूं। आज हमारी संख्या जो घटती जा रही है वह इस कारण से कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अनुदान कम होता जा रहा है और कुछ प्राइमरी स्कूलों को भी कम किया जा रहा है। तो उस पर ध्यान देना आवश्यक है।

चौथी बात कौशाम्बी की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को एक आवर्तक अनुदान ११ हजार रुपये का दिया जा रहा है और वह अब बन्द किया जा रहा है यद्यपि कौशाम्बी नगरी एक प्राचीन नगरी है। हमारा इतिहास पुराना ठीक से लिखा नहीं गया। उसके लिये कोई इतिहास है नहीं, कोई आधार नहीं मिले थे लेकिन अब यह आधार है, यह साधन हैं जिनकी खुदाई करके हम प्राचीन शिलालेखों वस्तुओं का संग्रह करके उससे प्रेरणा ले सकते हैं, अपना प्राचीन इतिहास पा सकते हैं। लेकिन वह अब बन्द कर दिया गया है जब कि उसमें अभी बहुत काम होना बाकी है। अगर उसके लिये लाइसेंस की बात हो तो वह फिर से लिया जा सकता है लेकिन उसके अनुदान को बन्द नहीं करना चाहिये।

श्री राम प्रसाद नौटियाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो अनुदान शिक्षा के संबंध में इस हाउस में प्रस्तुत किया है इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। इस

वर्ष के पूरे बजट में से अधिक से अधिक धन के लिये उन्होंने इस शिक्षा के लिये व्यवस्था की है। लेकिन केवल बजट की व्यवस्था कर देने से ही काम नहीं चलता। सन् १७१८ में ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह प्रस्ताव आया था कि हिन्दुस्तान को शिक्षित बनाया जाय या नहीं। उस समय तो कुछ नहीं हुआ लेकिन उसके १०० वर्षों के बाद १८१८ में यह निश्चय हुआ कि भारतवर्ष को शिक्षित किया जाय लेकिन शिक्षा का ढांचा ऐसा बनाया जाय कि अधिक से अधिक लोग सरकारी नौकरियों के योग्य बन सकें और उसी के योग्य रह जायं। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि शिक्षा की क्या व्यवस्था उस समय थी। लेकिन आज उसी ढांचे पर उसी ब्रिटिश सरकार के बनाये हुये साम्राज्यवादी अंग्रेजी हुकूमत के बने हुए ढांचे पर हमें शिक्षा दी जा रही हो उसी के आधार पर यदि आज भी हमारी शिक्षा की नीति चले तो वह कहां तक इस वक्त के जनकल्याणकारी राज्य के लिये उचित साबित होगी? इसके आलावा कुछ अपनी भी संस्कृति है, अपनी भी कुछ सभ्यता है। जिस शिक्षा में हमें स्वतंत्र विचार करने का अवसर न मिले वह हमारे लिये बेकार है। भगवान वेदव्यास ने मृगचर्म, कमंडल और तालपत्र पर बैठकर वेदान्तशास्त्र का निर्माण किया, लेकिन आज क्या होता है? गलत सही लिखने वाले प्रोफेसर को गवर्नमेंट ४० हजार रुपया और बंगला और तमाम सुख सुविधायें देती है। तो इससे भी हमारी संस्कृति बढ़ती नहीं है। उस संस्कृति में जो मुल्क के अन्दर आज प्रचलित है और जो पहले थी उसमें कितना अन्तर है।

कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि आज देश को ऐसी शिक्षा की आश्यकता है जिसके द्वारा हमारा बौद्धिक विकास हो सके, हम उन्नति कर सकें। आप यह कहेंगे कि गांधी जी और तिलक जी और दूसरे-दूसरे नेता पैदा हुये हैं। मैं कहूंगा कि कुम्हार एक ही ढांचे जैसे सब बर्तन बनाना चाहता है लेकिन कोई बर्तन उसकी इच्छा के अनुकूल भी नहीं ढल पाता है। तो यह ठीक है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि उन लोगों ने इस मुल्क को स्वतंत्रता दिलाई है अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण करके लेकिन जो आज की शिक्षा है वह बिल्कुल ना काम है। हमारे बच्चे स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटीज में शिक्षा पाते हैं। उन्हें मां बाप खर्चा देते हैं। यह खर्चा भारतवर्ष के कोष से उनको एक प्रकार से मिलता है, भारतवर्ष के अन्न भंडार से उनको अन्न मिलता है और कपड़ा भंडार से उनको कपड़ा मिलता है। लेकिन गीत वे रूस और दूसरे विदेशी मुल्कों के ही गाते रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि हमारी शिक्षा का ढांचा हमारी जरूरियात और संस्कृति के अनुकूल नहीं है। यह तो मैं नहीं बतला सकता कि फिर शिक्षा का ढांचा कैसा होना चाहिये। इसकी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पर मुनहसिर है जो लोग उसके लिये जिम्मेवार हैं और जिनको शिक्षा संबंधी अनेक सुविधायें प्राप्त हैं। केवल अधिक से अधिक स्कूल, कालेजेज या यूनिवर्सिटीज बढ़ा देने से हमारा काम नहीं चल सकता। आज जो मुल्क की जरूरत है, जो उसकी परेशानी और गरीबी है उसके अनुसार हमें शिक्षा के ढंग को अपनाना है। मुझे आपके द्वारा इस सदन का ध्यान गढ़वाल की गरीबी की ओर भी दिलाना है। आपको ज्ञात होगा कि सन् ३० के पेशावर कांड में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई गढ़वालियों ने ही लड़ी थी। गढ़वालियों ने ही जब-जब आजादी की लड़ाई हुई अंग्रेजों से डट कर मोर्चा लिया। लेकिन आज वहां गरीबी और भुखमरी छाई हुई है और शिक्षा के संबंध में वहां अन्धकार छाया हुआ है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वहां प्राइमरी अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा तो अवश्य ही कर देनी चाहिये क्योंकि उन्होंने केवल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देश की रक्षा नहीं की बल्कि इतिहास में वह पहली कौम है जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाये और आई० एन० ए० वगैरह में हिस्सा लिया है।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)--अध्यक्ष महोदय, यह १० करोड़ का अनुदान जो माननीय शिक्षा मंत्री ने प्रस्तुत किया है यह उस शिक्षा के लिये है जिसके दिन ब दिन जो दुष्परिणाम हो रहे हैं उनसे न केवल शिक्षक असंतुष्ट हैं, बल्कि विद्यार्थी, अभिभावक, सरकार और हम सभी लोग असंतुष्ट हैं। कई माननीय सदस्यों ने उसमें सुधार के लिये अनेक सुझाव दिये हैं। माननीय रणंजय सिंह जी, माननीय शास्त्री जी, माननीय बलवन्त सिंह जी

[श्री कृष्णशरण आर्य]

तथा कई अन्य सदस्यों ने एक सुझाव दिया कि यदि इसमें गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को स्थान दिया जाय और उसके द्वारा भारतीय सभ्यता संस्कृति की पुनःस्थापना के लिये पूर्ण प्रयत्न किया जाय तो सभव है कि गुरू शिष्य की जो परम्परा हमारे देश में थी वह फिर से स्थापित हो जाय और विद्यार्थियों के अन्दर जो आज एक अवांछनीय उछृंखलता आ रही है वह दूर हो जाय। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की बात के संबंध में कुछ लोग यह कहेंगे कि आज के हवाई जहाज युग में यह संगत नहीं, लेकिन हमने जैसे प्राचीन अहिंसा के सिद्धांत को अपना कर अपने देश को स्वतंत्र किया, उसके लिये भी बहुत लोग स्वराज्य संग्राम की दिनों ऐसा ही कहा करते थे कि अंग्रेजों के राज्य से छुटकारा पाना इस अहिंसा के द्वारा एक मखौल की बात है। उस समय ऐसा लगता था कि यह असंभव है और आज लोगों को अचंभा होता है, इसी प्रकार अगर हम गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली अपने विद्यार्थियों के लिये नहीं अपनायेंगे तो जिस प्रकार हमारा विद्यार्थी समुदाय पिछले छः सात वर्ष से, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से एक के बाद एक विभिन्न प्रकार के अनुभवों की कसौटी ही बन रहा है और दिनों दिन गिरता जा रहा है वह और भी ज्यादा गिरेगा और उन्नति के लिये उससे कोई आशा नहीं की जा सकती। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि वह यहां गुरुकुल प्रणाली को पूर्णरूपेण अपनाना यदि अभी उचित न भी समझें तो कृपया इतना तो अवश्य करें कि हमारे यहां की प्राथमिक शिक्षा जूनियर या हाई स्कूल की शिक्षा तक तो ऐसा प्रबन्ध करें कि जितने रिटायर्ड पुराने लोग हैं, उन पर शिक्षा का भार सौंपें क्योंकि उनको अपनी जीविका के लिये, अपने निर्वाह के लिये, अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के लिये जो नवीन होते हैं उनकी अपेक्षा पैसे की कम आवश्यकता होगी और उनको अपनी नौकरी के लिये, अपने स्थाइत्व के लिये अपने विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों के सामने नत नहीं होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी नवीनीकरण की बात शिक्षा में सरकार ने गत वर्ष अपनाई है वह अवश्य लाभप्रद सिद्ध हो सकती है, यदि वास्तविक ढंग से जो उसका ध्येय है और जिनके हाथों में उसका संचालन है वह उसको निबाह सकें। मेरा आशय संचालक विभाग से ले कर जूनियर स्कूल और प्राइमरी स्कूल में जो काम करते हैं और जिनको उसके लिये वेतन दिया जाता है, उनसे है।

इसके अतिरिक्त इस बजट में जो कुछ नवीन बातें की गई हैं, जैसे प्रदेश के कला अध्यापकों या जे० टी० सी० के अध्यापकों के वेतन वृद्धि की बात उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, परन्तु साथ ही एक बातका स्पष्टीकरण भी चाहता हूं कि कला अध्यापकों के प्रसंग में जो वर्णन बजट में है वह यह है कि जो कला अध्यापक ट्रेंड हैं और हाई स्कूल की कक्षाओं को पढ़ाते हैं उनकी वेतन वृद्धि की जायगी, तो वह अध्यापक जो ट्रेंड हैं और इंटरमीजियेड कक्षाओं को पढ़ाते हैं उनके बारे में क्या नीति रहेगी ? इसको भी माननीय मंत्री जी कृपया स्पष्ट कर दें। अब मैं और एक विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो है रामपुर के संबंध में। रामपुर के डिग्री कालेज, इंटरमीडियेट कालेज तथा अन्य सब शिक्षा संस्थाओं को जो आज ६ वर्ष के बाद स्थायी की गई हैं उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। परन्तु जो मैंने माननीय मंत्री जी से उनके रामपुर पधारने पर निवेदन किया था उसकी ओर फिर उनका ध्यान दिलाना है और वह यह कि शिक्षा का जो भी प्रसार रामपुर में पहले था वह केवल नगर रामपुर तक ही सीमित था या यूं कहिये कि एक वर्ग विशेष में जो कि रामपुर नगर का निवासी था उस तक ही परिमित था। उससे ग्रामीण जनता को कोई लाभ नहीं पहुंच पाता था। फलतः आज प्रदेशीय सरकार द्वारा वहां का प्रबन्ध होने के बाद भी वहां की ग्रामीण जनता पिछड़ी हुई है और वह कोई लाभ नहीं उठा पा रही है। न ही अति गरीबी के कारण अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही है। कुछ जूनियर स्कूल हैं भी लेकिन हाई स्कूल कोई नहीं है देहातों में। इसलिये मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि वह वहां के देहातों के लिये कम से कम शाहाबाद और मिलकके स्कूलों को जो जूनियर हैं और सरकारी हैं उनको कम से कम हाई स्कूल करने की कृपा करें ताकि ग्रामीण जनता भी यह प्रतीत कर सके कि वह प्रादेशिक सरकार के अन्तर्गत आने के बाद शिक्षा में आगे बढ़ रही है।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव पर कई माननीय सदस्यों ने विचार जाहिर किये और मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की हुई जबकि माननीय रामनरेश शुक्ल जी ने भी यह कहा कि इस सरकार की शिक्षा की पालिसी कोई निश्चित पालिसी नहीं है। बाद में शिक्षा मंत्री जी इस बात का आभास करेंगे कि जो मैंने प्रारम्भ में कहा था कि हमारी सरकार की कोई निश्चित शिक्षा की पालिसी नहीं है और उसके साथ साथ इस पर आपको ध्यान देना है और एक निश्चित पालिसी शिक्षा की ऐसी बनायी जाय कि जिसके साथ देश में जहां तक ग्रामीण और शहरी वातावरण है वह भी ख्याल में रखते हुये आपको शिक्षा की किस प्रकार से भविष्य में प्लानिंग करनी है और कैसे प्राइमरी, सेकेंड्री और यूनिवर्सिटी ऐजूकेशन को आगे बढ़ाना है इन सबको ध्यान में रखकर एक निश्चित शिक्षा की पालिसी बनायी जाय। शिक्षा में नई नई स्कीमें चलायी हैं लेकिन उनका जब एक्चुअल एमप्ली-मेंटेशन होता है तो उसके सब पहलुओं पर विचार नहीं किया जाता और उसके साथ जो साधन होता है उसका साध्य नहीं तैयार किया जाता है। इसलिये आपको नई नई स्कीमों के फेल होने का संदेह रहता है। एक बात मुझे मंत्री जी से कहनी है, वह इस पर विचार करेंगे। परीक्षा के संबंध में जो करप्शन होता है उसके निवारण के लिये उन्होंने एक कान्फीडेन्शियल डिपार्टमेंट बनाया है। मैं तो समझता हूं कि बोर्ड आफ हाई स्कूल और इंटरमीडियेट में जो कान्फीडेंशियल डिपार्टमेंट बनाया गया है उससे और भी ज्यादा दिक्कतें आयेंगी। उसके दो पहलू होते हैं। या तो जो सत्ताधारी होंगे या तो वे विचारों की पूर्ति करेंगे या दूसरी चीज यह होगी कि जिस उद्देश्य की पूर्ति आप करना चाहते हैं वह नहीं होगी। मेरा तो यह सुझाव है कि ऐक्जामिनेशन सिस्टम को ही बदलना चाहिये। प्रत्येक स्कूल और कालेजेज में ऐसी व्यवस्था हो कि मासिक टेस्ट या दैनिक वर्क जो विद्यार्थी करते हैं उसके आधार पर वहां के अध्यापक प्रिन्सिपल कोई सिस्टम निकालें कि आजकल की परीक्षा पद्धति हट जाय क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की चर्चा करते हैं उसका कारण यह है कि विद्यार्थी जानता है कि यहां साल भर पढ़ने के बाद हमारे अध्यापक या प्रिंसिपल कुछ नहीं कर सकते और जब परीक्षा में बैठूंगा तो अध्यापक महोदय का कोई असर उस पर नहीं पड़ेगा इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि हमारी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन होना चाहिये और जितने स्कूल्स और कालेजेज हैं वहीं उसका टेस्ट हो जाय या आवश्यक हो तो उस समय जब कि वार्षिक परीक्षा होती है उस समय अगर कोई बोर्ड डिस्ट्रिक्ट के अन्दर नियुक्त किया जाय और वह मौखिक परीक्षा ले ले उससे मैं समझता हूं कि जो पेपर लीक आउट हो जाते हैं या और गड़बड़ियां जो होती हैं वह नहीं होंगी और उसमें सुविधा रहेगी। मुझे आशा है कि इस पर मंत्री जी ध्यान देंगे।

संस्कृत शिक्षा के संबंध में जो नई पद्धति बनायी गई है जो कि आधुनिक विषय हमारे हायर सेंकेंड्री, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल्स में पढायें जाते हैं उनका भी संस्कृत के साथ समावेश कर दिया गया है तो जो कायदे बिल्डिंग वगैरह की ग्रांट के लिये हायर सेकेंड्री या जूनियर स्कूलों के लिये लागू किये गये वह क्यों नहीं संस्कृत के लिये लागू किये जायं? गवर्नमेंट का जहां पर संस्कृत विद्यालय है उनको भी एम० ए० एल० टी० टीचर्स दिये हैं लेकिन जो प्राइवेट टीचर्स हैं वे लोग जो व्यवस्था कर सके, किये है, लेकिन उसी आधार पर जैसे सेकेंड्री स्कूलों, इंटर कालेजेज को ग्रांट दी जाती है उसी आधार पर संस्कृत के विद्यालय को भी दी जानी चाहिये, क्योंकि जो नई पद्धति बनायी गयी है वह भी करीब करीब वही विषय अध्ययन करते हैं सिर्फ संस्कृत के अलावा और संस्कृत का हायर सेकेंड्री स्कूलों में समावेश किया है। लेकिन मैं कहूंगा कि जैसे सदन के विचारों से आपको विदित हुआ होगा कि यहां पर संस्कृत की शिक्षा जो है वह कुछ अधिक बढ़ानी आवश्यक है।

उसके बाद मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आपने जैसा अभी बताया है कि २९ लाख या ऐसे ही कुछ रुपया जिला बोर्डों के लिये रखा गया है लेकिन जिला बोर्डों में जो कि प्राइमरी शिक्षा के टीचर हैं उनको नियमित ढंग से वेतन कभी नहीं मिलता है और बहुत से बोर्डों में भी, माननीय वीरेंद्रशाह ने कहा कि उनके यहां एरियर्स नहीं मिले। मैं गढ़वाल जिले के संबंध में

[श्री गंगाधर मैठाणी]

भी यह बतलाना चाहता हूं कि पिछले एरियर्स नहीं दिये गये और अब भी नियमित ढंग से अध्यापकों को वेतन नहीं मिलता है। कभी ३ महीने में कभी छठे महीने में दिया जाता है। तो जितना भी उनको वेतन देते हैं, अगर नियमित ढंग से दे सकें तो उनका बड़ा उपकार होगा। माननीय मंत्री जी के सम्मुख सारे सदन की विचारधारा आयी होगी। सभी चाहते हैं कि कम से कम प्राइमरी एजूकेशन तक तो फ्री और अनिवार्य शिक्षा हो, यदि जूनियर हाई स्कूल तक हो जाय और भी अच्छा है। इतना कहते हुये मैं समाप्त करूंगा।

*श्री हरगोविन्द सिंह—अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के संबंध में जो भिन्न भिन्न विचार माननीय सदस्यों के द्वारा उपस्थित हुये, उसमें एक चीज मान लेने में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि शिक्षा की समस्याओं को देखते हुये अनुदान की संख्या कम है। इससे अधिक रुपया होता, हमारे लिये यह संभव होता कि हम प्रांत में प्राइमरी शिक्षा से लेकर अंतिम शिक्षा तक सब निःशुल्क कर दें, यही नहीं बल्कि सभी विद्यार्थियों को भोजन इत्यादि, कपड़ा इत्यादि की व्यवस्था कर दें, पुस्तकों की व्यवस्था भी कर दें, तो मैं समझता हूं कि मुझसे अधिक प्रसन्नता शायद ही किसी और को हो। लेकिन यह आदर्श अपने सामने रख करके इस आज की परिस्थिति में यह समझना कि यह निकट भविष्य में हमारे लिये संभव हो जायगा, मैं समझता हूं कि हमको और आपको ईश्वर ने जो बुद्धि दी है, जो विवेक दिया है उससे हम और आप समझ सकते हैं कि हमारी आर्थिक व्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती कि निकट भविष्य में यह चीज संभव हो सकती है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—और जीवन में भी नहीं।

श्री हरगोविन्द सिंह—जीवन में आपके शायद हो जाय। मैं अपने में तो नहीं समझता। तो यह बात तो मैं मान लेता हूं और इस कारण मैं यह वादा तो नहीं कर सकता कि २ वर्ष, ४ वर्ष १० वर्ष तक यह अवधि होगी कि हमारे यहां शिक्षा सब निःशुल्क हो जायगी और हम विद्यार्थियों को सब सुविधायें दें सकेंगे।

अब रही एक नीति की बात। श्रीमन्, आप मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं यह कहूं कि जिन प्रत्येक माननीय सदस्य ने नीति की बात कही है वह स्वयं यह नहीं जानते कि नीति का अर्थ क्या है। आखिर शिक्षा के उद्देश्य, मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में ही कहा था और सभी शिक्षा विशेषज्ञ इसमें सहमत हैं, तीन ही होते हैं, एक तो यह कि उसका व्यक्तित्व विकसित हो, दूसरेयह कि वह अच्छा नागरिक हो, तीसरे यह कि वह अच्छा उत्पादक हो। यही तीन आ दश शिक्षा के सम्मुख हैं और इन्हीं आदर्शों की प्राप्ति के लिये कम से कम एक प्रजातंत्र देश में शिक्षा की व्यवस्था होती है, प्रणाली होती है। तो जब मैंने यह कहा कि हमने अपने देश में प्रजातंत्र, अपनाया प्रजातंत्र भी इस ढंग का नहीं बल्कि समाजवादी ढंग का, तो यह स्पष्ट ही था कि शिक्षा की नीति उसी दिशा में जा रही है। हम जो नीति उसमें चलाना चाहते हैं उसका आदर्श, उसका उद्देश्य, उसका आधार यह हो कि हमारी शिक्षा द्वारा व्यक्ति एक अच्छा नागरिक बने उसके व्यक्तित्व का विकास हो। तो यह नीति किस प्रकार से शिक्षाप्रणाली में नहीं है यह मेरी समझ में नहीं आया। आज शिक्षा जगत में निस्संदेह बड़ा वाद-विवाद है इस प्रश्न को लेकर के। श्रीमन्, यह शिक्षा की बड़ी भारी उपेक्षा है कि इसमें हम भी बे पढ़े और लीडर आफ अपोजीशन भी बे पढ़े, सभी लोग अपने विचार दे सकते हैं और सभी विशेषज्ञ हमारे पीछे हैं। लेकिन यह प्रश्न विचारणीय है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि कोई राष्ट्र अपने यहां की शिक्षा प्रणाली ऐसी रखता है और अपने युवकों को इसलिये शिक्षा देता है कि पढ़ने के बाद वह नौकरियों में आयें तो वह जिन्दा नहीं रह सकता है। हम शिक्षा से यह आशा कर सकते हैं कि वह हमें अच्छे वैज्ञानिक देगी, अच्छे ऐडमिनिस्ट्रेटर्स देगी और त्यागी व्यक्ति देगी तो इन दोनों का सामंजस्य कहीं न कहीं करना पड़ेगा। उसका अच्छा व्यक्तित्व हो, वह अच्छा नागरिक हो और वह अच्छा उत्पादक हो तो इनमें सामंजस्य करना पड़ेगा लेकिन यह कहा गया कि हमारी शिक्षा प्रणाली गलत है और हमें गुरुकुल के ढंग पर चलानी चाहिये। ठीक है उस समय वह बहुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अच्छी थी। लेकिन आज मैं शास्त्री जी से कहूंगा, वह शास्त्री जी तो नहीं हैं, यदि गुरुकुल वाली शिक्षा यहां कर दें, वह रोज मेरे सिर पर खड़े होते हैं कि गुरुकुल को यूनिवर्सिटी बना दो। मैंने जब भी कहा था और आज भी कहता हूं कि मुझे क्षमा करो, यदि गुरुकुल को यूनीवर्सिटी बना दें और वही चार्टर रखें जो हमारी यूनिवर्सिटीज में है तो श्रद्धानन्द जी की आत्मा को शांति नहीं पहुंचेगी। यह कह देना कि यह बिलकुल खराब है और इसमें परिवर्तन होने चाहिये, जो आवश्यक परिवर्तन आप करना चाहते हैं तो शिक्षा में परिवर्तन नीचे से होता है ऊपर से ठीक नहीं होगा इसलिये नीचे से ही परिवर्तन करना चाहिये।

मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ इस कारण से कि श्री तेज प्रताप सिंह जी ने रिग्रारेंटियेशन स्कीम के बारे में कहा कि यह बात पैदा ही नहीं होती। मैं तो यह चाहता हूं कि हमारा बालक धूल में खेले और वह समझे कि उसमें ही उसका घर है गौरव की बात है, वह इसको और बिगाड़ देगी। उसमें यह प्रवृत्ति पैदा हो कि यह भी शिक्षा का एक अंग है। जो आज स्कूल में दूषित वातावरण पैदा हो गया है कि बच्चा स्कूल गया और उसने समझ लिया कि अब वह घर के स्तर से नीचे के स्तर का वह व्यक्ति है। घर के चाहे अन्य सदस्य भले ही काम करें लेकिन उसमें शक्ति होते हुये भी काम नहीं करना चाहिये, यह भाव पैदा होता था। मैं चाहता था कि इस भाव को उससे मूलतया निकाल दिया जाय।

एक तो कृषि के संबंध में यह है कि इसको प्रारम्भ हुये अभी केवल छः महीने ही हुये हैं। मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूं और मैंने पहले ही कह दिया था और मैं यह समझता था कि यह कहा जायगा और इसीलिये मैंने कह दिया था कि इन स्कूलों को मैं कोई उत्पादन केंद्र नहीं बनाना चाहता था बल्कि मैं चाहता हूं कि विद्यार्थियों में यह प्रवृति पैदा हो इसलिये इसको किया गया है। मैं समझता हूं कि इसमें आवश्यक सुधार होगा।

तीसरी बात यह कही गई कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग और अनुभव हो रहा है, मैं इसके मुखालिफ हूं और मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग और अनुभव कम से कम होने चाहिये और उसका कारण यह है कि जब कोई प्रयोग करता है तो जो अनुसंधान या प्रयोगकर्त्ता होता है वह यह नहीं जानता कि हम क्या चीज इस प्रयोग से पायेंगे। वह सामग्रियों को एकत्रित कर देता है और उनको आपस में एक दूसरे से प्रभावित करता है और उससे एक चीज निकलती है जो दुनिया के सामने रखता है। उस क्रिया में क्या अंतिम चीज निकलेगी उससे प्रयोगकर्त्ता को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वह केवल यह जानना चाहता है कि इन सामग्रियों को एकत्रित करने से आपस में यदि एक दूसरे को प्रभावित किया जाय तो उससे क्या नतीजा निकलेगा। लेकिन हमारे सामने तो ऐसा प्रश्न नहीं है। हमें तो मालूम है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम जानते हैं कि हमारा आदर्श क्या है। तो उसमें प्रयोग यदि हो सकता है तो शिक्षा की प्रणाली में हो सकता है, उनकी नीति में नहीं हो सकता है। तो शिक्षा की प्रणाली में जैसा मैंने कहा, जो आरम्भ से प्रयोग किया जा रहा है वह इस कारण किया जा रहा है।

आजमगढ़ के विश्रामराय जी ने कहा कि आजमगढ़ के एक स्कूल को पारसाल चार हजार रुपये मिल गये थे और इस साल मैंने कहा कि आपको रुपया नहीं मिलेगा। मैंने बिलकुल ठीक कहा और भवन के सामने भी स्वीकार करता हूं। पारसाल उस श्रेणी के स्कूलों को सबको हमने एक-एक हजार रुपया दिया था और एक हजार रुपया उनको भी मैंने कहा था कि यदि हमारे पास सेविंग हो जायगी तो इस श्रेणी के जितने स्कूल हैं हम सब को एक-एक हजार रुपया देंगे। यह कहने के बाद मैं यहां नहीं था, बाहर गया हुआ था, उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी के यहां एक दरख्वास्त दी कि हमको चार हजार रुपया दे दिया जाय। मुख्य मंत्री जी ने उस पर यह हुक्म तो नहीं दिया कि चार हजार रुपया दे दिया जाय, उन्होंने सेक्रेटरी को लिखा कि रुपया दे दिया जाय। चूंकि समय कम था इसलिये यहां से हुक्म भी चला गया। एक रोज के बाद जब मैं आया तो वह मैंने देखा। तो मैंने कहा कि यह मेरे ऊपर आक्षेप लगेगा कि चूंकि सोशलिस्ट लोग उस स्कूल में इंटरेस्टेड हैं, मैंने उनसे डर कर चार

[श्री हरगोविन्द सिंह]

हजार रुपया दे दिया। लिहाजा मैंने यहां से एक तार भेजा कि अगर रुपया न दिया गया हो तो उसको रोक लिया जाय, केवल एक हजार दिया जाय। लेकिन तब तक रुपया दिया जा चुका था तो इसलिये इस दफ़ा जब वह मेरे पास आये तो मैंने कहा कि एक-एक हजार रुपया मैं आपकी श्रेणी के सब स्कूलों को दे रहा हूं। एक हजार पारसाल आपको मिलता और आज भी मैं उन स्कूलों को एक हजार दे रहा हूं लिहाजा जब तक उन स्कूलों को भी चार हजार नहीं मिल जायेंगे तब तक आपको अनुदान नहीं देंगे। भला बताइये मैंने कौन सी बुरी बात की।

श्री राजनारायण---किसकी गलती से मिला रुपया ?

श्री हरगोविन्द सिंह---वह हमारे दफ्तर की गल्ती से रुपया मिल गया। लेकिन मैं यह कहता हूं कि जब तक आपकी श्रेणी के सब स्कूलों को ४ हजार न मिल जायं तब तक आप कृपया हमसे मांग न कीजिये। यह मैंने कोई अनुचित बात नहीं की।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---बहुतों को ६, ६ हजार तक मिला है। वह उनको जिनको ग्रांट इन ऐड दी गई मिला है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री हरगोविन्द सिंह---आपका मुंह कोई बहुत अच्छा नहीं है कि आपकी तरफ देख कर ही बोलता रहूं।

तो एक आदमी ने कहा कि एक स्कूल में हरिजनों की फीस का गबन किया गया। यह सही है कि हमारे शिक्षा अधिकारियों ने यह कहा कि यह मुकद्दमा पुलिस को देना चाहिये। लेकिन यह गबन उस माने में नहीं है कि वहां के प्रबन्धकों ने या प्रिन्सिपल ने एक पैसा भी खाया हो। केवल यह किया कि हरिजन विद्यार्थियों की फीस हरिजनों को न देकर स्कूल के फंड में उसको जमा कर दिया।

श्री राजनारायण---मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की पद्धति में यह बात कही गयी है कि स्पीकर की ओर पीठ करके न बोला जाय। जब माननीय मंत्री जी उधर मुखापेक्षी हो जाते हैं तो उनकी पीठ आपकी ओर हो जाती है। तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इस सदन में आपकी क्या व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष---वह पीठ करके नहीं बोल रहे हैं। जब वह इधर उधर अपना मुंह करते हैं तो उनके सिर की पीठ इधर हो जाती है। गर्दन मोड़ने से मुंह पीठ पीठ की नहीं मानी जाती है।

श्री हरगोविन्द सिंह---तो यह प्रश्न मेरे सामने आया तो मैंने यह देखा कि इसमें ईमान की कमी नहीं है। हां, जिस बात को उन्होंने शिकायत की वह तो की इस माने में कि एक राजनैतिक दल चाहता है और इस बात की कोशिश करता है कि इसको जरूर जेल भेज दिया जाय। ये लोग और कुछ साथी मेरे पास आये और कहा कि इसमें भेजना चाहिये। मैंने उनसे कहा कि यह बताओ कि इस धन का एक पैसा भी मैनेजर या प्रिन्सिपल ने अपनी जेब में लिया है या नहीं। अगर लिया हो तब तो ठीक है मैं इसको पुलिस में भेजूं और टैक्नीकली अगर वह महत्व का है तो जरूर भेजा जाय। यदि उसने अपनी शिशक्षासंस्था को दिया हो, बल्कि दूसरा स्कूल है जिसका नाम मैं भूल गया हूं वहां भी करीब करीब ऐसा ही एक केस मेरे पास आया जिसमें उन्होंने टिन का परमिट लिया था और उसको दूसरे को दिया था उससे जो रुपया उसने लिया था उसको स्कूल में जमा कर दिया था। ऐसा ही कुछ वह केस था। तो हमसे लोगों ने कहा कि अगर उसका रुपया उन्होंने स्कूल में जमा किया गो कि वह परमिट स्कूल के लिये दिया गया था यदि रुपया जमा है तो मैं यह समझता हूं कि उन्होंने स्कूल की सेवा भाव से प्रेरित होकर ऐसा कार्य किया है। मैं मुकदमा नहीं चलाऊंगा और उनको छोड़ दिया। मुमकिन है मेरी गलती हो सकती

हैं लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि यदि हमने इसमें यह निर्णय किया कि इस बात पर मुकदमा नहीं चलाना चाहिये और इनको जेल नहीं भेजना चाहिये केवल इस कारण से कि इसने स्कूल का पैसा खाया नहीं है और वह रुपया वापस कर दिया गया, लेकिन हमने उनको वार्निंग देकर छोड़ दिया, मैं समझता हूं मैंने यह ठीक किया। इसलिये यह कहना कि हम किसी राजनैतिक भेदभाव से इस स्कूल के सम्बन्ध में कोई विचार कर रहे हैं यह बिलकुल गलत है।

लेकिन हां, एक बात और कही गयी कि हमने सरकुलर ईश्यू किया है टीचरों की पोलिटिकल ओपीनियन को जानने के लिये किसी को भी लीडर आफ अपोजिशन से यह आशा करनी चाहिये कि इस भवन में जब भी किसी का कोई भाषण होता है वह उसको कृपया ध्यान पूर्वक सुनें और उनको यह विश्वास हो जाना चाहिये कि जो यहां पर कहा जा रहा है वह सत्य है। जब मैंने पहले भी कहा है और आज भी उसको कहता हूं कि वह सरकुलर जो हमारे सामने लाया गया और जिसमें टीचरों की पोलिटिकल ओपीनियन पूछी गयी है उसके विषय में मैंने यह कहा कि अनुशासनहीनता बढ़ती जाती है वह इस वजह से है कि इन स्कूलोंमें पोलिटिकल पार्टीज जाती हैं, तो उनसे यह पूछा है कि हमको बतलाया जाय कि जो वहां पर इन्सटीट्यूशन हैं उनका पोलिटिकल पार्टीज से क्या सम्बन्ध है। यह हमने अपने इन्सपेक्टर से पूछा है। मैं समझता हूं कि यह बिलकुल ठीक कदम है। मुझे जानना चाहिये उनसे जिनको हम सहायता देते हैं और जिनको हम जनता का धन देते हैं, तो हम उनसे आशा करते हैं कि हम उनके बारे में जानें कि सचमुच में हमारे रुपये का सदुपयोग हो रहा है या नहीं। हमारा सचमुच में यह कर्तव्य है कि हम यह देखें कि वह किसी और प्रकार के कार्य में तो उसको नहीं ला रहे हैं। इसलिये यह तो शिक्षा विभाग को जानना ही चाहिये कि किसी भी संस्था का क्या पोलिटिकल कमप्लेक्शन है। अगर मैं ने यह कहा होता कि कांग्रेस को छोड़ कर और पार्टीज के लिये बतायें तो तब तो मेरे ऊपर यह दोषारोपण हो सकता था। लेकिन अगर मैंने पूछा कि फलां संस्था का क्या पोलिटिकल कम्प्लेक्शन है तो हमें यह पूछना ही चाहिये और ऐसी इत्तला हमको रहनी चाहिये। हमारे पास ऐसी इत्तला भी है कि अगर कोई मैनेजर किसी स्कूल का उस पार्टी का नहीं है जिसके शिक्षा मंत्री है और अगर मंत्री कभी वहां जाते हैं तो वे लोग लड़कों और मास्टरों को प्रोत्साहित करते हैं कि काले झंडे निकालो, गो बैक के नारे लगाओ। यह चीज नहीं होनी चाहिये। यह बड़े लज्जा की बात है। हम चाहे किसी भी संस्था के हों, लेकिन हमें और आपको इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि इस प्रकार की प्रवृत्तियां शिक्षा संस्थाओं में न हों। इसलिये इस सरक्यूलर को भेजने की आवश्यकता हुई।

श्री राजनारायण—जौनपुर स्टेशन पर आपके स्वागत के लिये कौन आया था? तार भेज दिया गया कि स्वागत किया जाय।

श्री हरगोविन्द सिंह—मैंने श्रीमन्, यह कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि इधर के बैठने वाले भी अनपढ़ हैं और उधर के बैठने वाले भी।

(शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष—जरा शांति के साथ कार्यवाही चले तो ज्यादा अच्छा हो।

(माननीय शिक्षा मंत्री के कुछ कहने पर)

जब आप उनकी खूबसूरती से ही खुश नहीं हैं तो आक्षेप भी न मानिये।

श्री हरगोविन्द सिंह—तो श्रीमन्, उन्होंने एक चांसलर की निस्बत एक आक्षेपकर दिया जो पूर्णतया निराधार था, जिसमें अंशमात्र भी सत्यता नहीं है। श्रीमन्, इससे बढ़ कर और क्या दुर्भाग्य हो सकता है! इस बात में कोई जरा सा भी सत्य नहीं है कि चांसलर ने वाइस चांसलर का टर्म एक्सटेंड कर दिया है। अगर वे स्टेट्यूट्स पढ़ लेते तो ऐसी बात न कहते। उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब तक नये स्टेट्यूट्स न बन जायेंगे तब तक इलाहाबाद यूनि-

[श्री हरगोविन्द सिंह]

वर्सिटी के पुराने स्टेट्यूट्स ही लागू रहेंगे और उनमें यही है कि अगर किसी वाइसचांसलर का टर्म खत्म हो जाता है तो टाइम बढ़ सकता है । यह बात बड़ी अच्छी थी कि हम इन स्कूलों का नाम ही बदल दें । यह भी मैंने सोचा, यह बड़ी भारी फाइल है, इसको हम कहां तक देख सकते हैं । यह भी सोचा गया कि गवर्नमेंट इन स्कूलों को ग्रांट नहीं देगी जो कि ऐसे नाम रखते हैं, जैसे क्षत्रिय कालेज, कायस्थ पाठशाला, वैश्य कालेज या अग्रवाल इंटर कालेज । लेकिन श्रीमन्, मैंने देखा कि इसमें बड़ी कठिनाइयां हैं । सबसे पहले तो बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलता, तब तो यह सम्भव हो सकता था लेकिन कांस्टीट्यूशन को बदलना सम्भव नहीं है । इसलिये इस सम्बन्ध में इच्छा रहते हुए भी, इस प्रवृत्ति को कम करते हुए भी, श्रीमन्, मैं कोई तारीफ में नहीं कह रहा हूं लेकिन उदय प्रताप कालेज का यह कांस्टीट्यूशन है कि वहां का प्रिंसिपल ठाकुर ही होगा, टीचर भी ठाकुर ही होगा और विद्यार्थी भी ठाकुर ही होंगे । लेकिन यह जानते हुए भी, यह मानते हुए भी कि इसके लिये हाईकोर्ट से रिट भी इश्यू हो सकता है मुकदमा लड़ने पर, हमने कहा कि यह चीज ठीक नहीं है कि इस तरह की चीज हो । लेकिन श्रीमन्, जब कानून की मजबूरी हो जाती है तो चाहते हुए भी हम उस चीज को नहीं कर सकते हैं ।

श्री राजनारायण—क्या वहां का प्रिंसिपल कोई ठाकुर नहीं है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ठाकुर ही है और फिर ठाकुर ही को भेज रहे हैं आप भी एक ठाकुर ही के लिये कोशिश कर रहे हैं जो कि सोशलिस्ट पार्टी का है और वहीं पर टीचर है । आप चाहते हैं कि वही रख लिया जाय ।

श्री राजनारायण—यह तो जानी हुई बात है कि आप ठाकुर भेजेंगे ही ।

श्री हरगोविन्द सिंह—संस्कृत यूनिवर्सिटी के बारे में कहा गया कि बहुत दिनों से उसके लिये कहा जा रहा है । बहुत दिनों से तो नहीं कहा जा रहा है पारसाल ही इसके लिये कहा गया था कि एक संस्कृत यूनिवर्सिटी खोली जायगी, लेकिन उस समय उसके लिये बजट में कोई रुपया नहीं रखा गया था । इस साल उसके लिये एक लाख रुपया बजट में है और मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में ही कहा था कि हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि जब इस भवन का आगामी अधिवेशन होगा तो शायद उस वक्त वह बिल लावें, लेकिन, श्रीमन्, उसमें भी बड़ी दिक्कत है । सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि उसका वाइस चांसलर ही कौन हो । जब यह तय हो जायगा उसके बाद में वह बिल इस सदन के सामने लाऊंगा और उसी के साथ साथ शायद गोरख-पुर यूनिवर्सिटी बिल भी आवेगा । हां, एक बात कही गयी डिस्पैरिटी की ग्रांट देने में डिस्पैरिटी होती है । ठीक है, ग्रांट का एक नियम है और वह यह है कि स्वीकृत आय और स्वीकृत व्यय इन दोनों का अन्तर या स्वीकृत व्यय का आधा, जो कम हो उतना ग्रांट दिया जाय । अगर इसका विश्लेषण किया जाय तो जो मैनेजमेंट है वह एक पैसा भी कहीं से न लावे तथा स्वीकृत आय और स्वीकृत व्यय का जो अनुपात है वह अधिक हो जायगा । क्योंकि ऐसा कांस्टीट्यूशन कोई है नहीं । हां, एक्सपेंडिचर का आधा जो कम हो वह ग्रांट मिलता है । तो जैसा कि कहा गया है कि आजकल अधिकतर मैनेजमेंट तो इसलिये है कि लड़कों की फीस माफ करा दी जाय, रिश्तेदारों को नौकरी दिला दी जाय । आजकल के मैनेजमेंट की हालत बहुत बुरी है । यह बड़ा भारी प्रश्न है जो इंटरमीडिएट बोर्ड के सामने है तथा हमारे सामने भी है कि इस पर क्या निर्णय किया जाय । श्रीमन्, बड़ी परेशानी होती है कि यहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल लाया, आगरा यूनिवर्सिटी बिल लाया तो यह आक्षेप किया गया है कि यह तो सब अधिकार ले रहा हूं । मालूम होता है कि जैसे सारे प्रान्त का अधिकार हमारे लिये कम था और एक मील और अधिकार यूनिवर्सिटी का न मिलने से मैं भूखों मरता था । श्रीमन्, मैं क्या करूं, कांग्रेस कंडिडेट ४३० में ३९० या या ३९५ हैं और आपकी तरफ से कोई १००, कोई २५ और कोई ४० वोट से आया तो इसमें मेरा क्या दोष है ?

श्री राजनारायण—आपकी बेईमानी से नहीं आ सके ।

श्री हरगोविन्द सिंह—हमारे लिये यह बड़ी मजबूरी है कि वे उस कंस्टीटुएंसी से नहीं आये जहां कि हम रुपया दे रहे हैं और वहां से कांग्रेस वाले ही चुन कर आ गये। ऐसा तो मैं नहीं करूंगा चाहे श्री राज नारायण जी कितना ही नाराज हों कि उनकी कांस्टीटुएंसी में न देकर श्री राजनारायण जी को मैं दूं क्योंकि मैं जानता हूं कि ईश्वर न करे कि ऐसा मौका आए कि वह मंत्री बनें, लेकिन अगर आयेगा तो वह तो ऐसा अवश्य ही करेंगे लेकिन मैं तो, श्रीमन्, ऐसा नहीं कर सकता ।

उर्दू की भी बात कही गयी थी । मैं श्री परिपूर्णानन्द जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने उसका उत्तर दे दिया । टेक्निकल एजूकेशन की बात भी कही गई । यह बात नहीं है कि उधर हमारा ध्यान नहीं गया है, हम उसको भी शिक्षा से सम्बन्धित करने जा रहे हैं और हमने उस दिशा में कार्य आरम्भ भी कर दिया है । हम टेक्निकल और जनरल एजूकेशन को साथ ही चलाना चाहते हैं और आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार हम उसे करना चाहते हैं। हमारे इंटरमिडिएट बोर्ड की एक कमेटी भी इस पर बनी थी, उसकी रिपोर्ट भी सरकार के विचाराधीन है । ऐसी बात नहीं है कि उस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है । अब चूंकि समय कम है .....

श्री राजनारायण—मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक घंटे का समय माननीय मंत्री जी का लालित्यपूर्ण भाषण सुनने के लिए और बढ़ा दिया जाय ।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा भाषण सुनने का उनको बड़ा शौक है लेकिन हमारी खुशी है कि अब वह हमारे सामने से हट जांय । इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह अब इस मांग को स्वीकार करे ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८ के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८—शिक्षा (लेखा शीर्षक: ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा) के अन्तर्गत १०,२१,१८,००० रुपए की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

स्थायी समितियों की सूची में समाज कल्याण स्थायी समिति के समावेश का प्रस्ताव

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि मन्त्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन, तथा कार्य-विधि के नियम १ (क) में उल्लिखित स्थायी समितियों के अन्त में क्रमसंख्या २४ पर समाज-कल्याण स्थायी समिति बढ़ा दी जाय, जिसमें विधान सभा और विधान परिषद् द्वारा क्रमश: १४ व ३ सदस्य चुने जायंगे ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि मन्त्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन, तथा कार्यविधि के नियम १ (क) में उल्लिखित स्थायी समितियों के अन्त में क्रम संख्या २४ पर समाज कल्याण समिति बढ़ा दी जाय जिसमें विधान सभा व विधान परिषद् द्वारा क्रमश: १४ व ३ सदस्य चुने जायंगे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

समाज कल्याण स्थायी समिति पर १४ सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर सीताराम)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष, १९५५-५६ के लिए समाज कल्याण स्थायी समिति पर विधान सभा के १४ सदस्यों का नियमानुसार निर्वाचन किया जाय ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार है कि पहला प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के बाद इस प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रह जाती क्योंकि नियमावली के अनुसार दूसरी स्थायी समितियों के अनुसार आइटम २४ की स्थायी समिति के लिए भी आप समय तय कर सकते हैं जैसे कि औरों के लिए हो रहा है । इसलिये मैं समझता हूं कि दूसरे प्रस्ताव की आवश्यकता ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---आप का कहना सही है, इसकी आवश्यकता नहीं है । यह तो मैं स्वयं भी कर सकता हूं और इसके लिये मैं तारीख स्वयं ही नियत किये देता हूं । यह तारीखें इस प्रकार होगी :-

नामनिर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय:---

२५ मार्च, १९५५ को ४ बजे दिन तक ।

नामनिर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय:---

२६ मार्च, १९५५ को ३ बजे दिन तक ।

नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय:---

२८ मार्च, १९५५ को ४ बजे दिन तक ।

निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो ३० मार्च, १९५५ को १२ बजे से ५ बजे तक विधान वाचनालय में होगा ।

इसी तरह से यही और स्थायी समितियों के लिये भी तिथि तथा समय रहेगा ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

मिठ्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
२४ मार्च, १९५५ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८८ पर)

सन् १९५४ में मंत्रियों के दौरे के सँबंध में वास्तविक खर्च पर सरकारी व्यय का ब्योरा

	रु०	आ०	पा०
१—श्री गोविन्द बल्लभ पंत, मुख्य मंत्री	१९५१	७	०
२—श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, वित्त मंत्री	१३९७६	२	०
३—डा० सम्पूर्णानन्द, गृह मंत्री	१००९९	३	०
४—श्री हुकुम सिंह विश्वेन, उद्योग तथा सहायता एवं पुनर्वास मंत्री ..	५९९५	१४	०
५—श्री गिरधारी लाल, सार्वजनिक निर्माण मंत्री	१३२९०	७	०
६—श्री चन्द्रभानु गुप्त, स्वास्थ्य तथा रसद मंत्री	६५०२	१४	०
७—श्री चरण सिंह, माल तथा कृषि मंत्री	८६९१	०	०
८—श्री सैयद अली जहीर, न्याय मंत्री	९९४६	९	०
९—श्री हरगोविन्द सिंह, शिक्षा मंत्री	६४५९	३	०
१०—श्री मोहन लाल गौतम, स्थानीय स्वशासन मन्त्री ..	६४०८	१५	०
११—श्री विचित्र नरायण शर्मा, परिवहन मंत्री ..	१७०६	१	०
१२—श्री कमला पति त्रिपाठी, सूचना तथा सिंचाई मंत्री ..	९८४६	५	०
	९४८७४	०	०

सन् १९५४ में उप-मन्त्रियों तथा सभा सचिवों के टी० ए० (भत्ता) पर सरकारी व्यय का ब्योरा।

	रु०	आ०	पा०
उप-मंत्री			
१—श्री राममूर्ति	२५९५	७	०
२—श्री मंगला प्रसाद	३२७२	३	०
३—श्री फूल सिंह	३१०९	१०	०
४—श्री मुजफ्फर हसन	२८३२	४	०
५—श्री जगमोहन सिंह नेगी	१८४९	०	०
६—श्री चतुर्भुज शर्मा	३०७६	१२	०
७—श्री जगन प्रसाद रावत	३२६०	०	०
	१९९९५	४	०
सभा सचिव			
१—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य	१७९४	११	०
२—श्री बनारसी दास	२४१५	६	०
३—श्री बलदेव सिंह आर्य	८६०	६	०
४—श्री कृपा शंकर	१७३३	१४	०
५—श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी	३४५१	११	०
६—डा० सीताराम	२१६७	१०	०
	१२४२३	१०	०

जनवरी, १९५४ से अक्तूबर, १९५४ तक मंत्रियों, उप-मंत्रियों तथा सभा-सचिवों के "ट्रंक कालें" पर सरकारी व्यय का ब्योरा ।

मंत्री

	रु०	आ०	पा०
१—श्री गोविन्द वल्लभ पंत, मुख्य मंत्री	२९११	८	०
२—श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, वित्त मंत्री ..	५०९०	१३	०
३—डा० सम्पूर्णानन्द, गृह मंत्री	३५८२	४	०
४—श्री हुकुम सिंह विश्वेन, उद्योग तथा सहायता एवं पुनर्वास मंत्री ..	१७८३	१०	०
५—श्री गिरधारी लाल, सार्वजनिक निर्माण मंत्री ..	३०६४	१४	०
६—श्री चन्द्र भानु गुप्त, स्वास्थ्य तथा रसद मंत्री ..	३६१६	२	०
७—श्री चरण सिंह, माल तथा कृषि मंत्री	९३५	१३	०
८—श्री सैयद अली जहीर, न्याय मंत्री	२५३०	१३	०
९—श्री हरगोविन्द सिंह, शिक्षा मंत्री	१२४५	९	०
१०—श्री मोहन लाल गौतम, स्थानीय स्वाशासन मंत्री ..	३२०३	१	०
११—श्री विचित्र नारायण शर्मा, परिवहन मंत्री ..	१९१	१४	०
१२—श्री कमलापति त्रिपाठी, सूचना तथा सिंचाई मंत्री ..	३५३०	१२	०
	३१६८७	१	०

उपमंत्री

१—श्री राम मूर्ति	४०८	९	०
२—श्री मंगला प्रसाद	१५०	८	०
३—श्री फूल सिंह	३४५	११	०
४—श्री मुजफ्फर हसन	१६१	१२	०
५—श्री जगमोहन सिंह नेगी	४०	९	०
६—श्री चतुर्भुज शर्मा	२९३	०	०
७—श्री जगन प्रसाद रावत	२११३	५	०
	३५१४	६	०

सभा-सचिव

१—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य	२१	१४	०
२—श्री बनारसी दास	८६	११	०
३—श्री बलदेव सिंह आर्य	१७६	६	०
४—श्री कृपा शंकर	२२७	६	०
५—श्री मोहम्मद रऊफ जाफरी	४८२	०	०
६—डा० सीताराम	३२२	१०	०
	१३१६	१५	०

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६० पर)

तालिका

जुडीशियल अफसर जो देवरिया में इजलास करते हैं

(१) (क) देवरिया, सलेमपुर व हाटा तहसीलों के सेशन के मुकदमें।

(ख) देवरिया और सलेमपुर तहसीलों के स्थानीय निकायों के मुकदमें।

(ग) तहसील देवरिया के परगना सिलहट के माल के मुकदमें।

(लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के सिवाय)

(२) (क) देवरिया तहसील (थाना कोतवाली छोड़कर) के आई० पी० सी० और स्पेशल ऐक्ट के मुकदमें ।

(स्थानीय निकायों व सेशन के मुकदमें छोड़कर)

(ख) तहसील देवरिया (परगना सिलहट को छोड़कर) के लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट को छोड़कर माल के मुकदमें ।

(३) (क) थाना लार, बरहज और कोतवाली के आई० पी० सी० तथा स्पेशल ऐक्ट के मुकदमें (स्थानीय निकायों व सेशन के मुकदमें छोड़कर)

(ख) तहसील देवरिया व सलेमपुर के पुलिस चालानी इक्साइज इन्सपेक्टर सर्किल नं० १,२ तथा गांजा स्क्वायड भटनी के इक्साइज के मुकदमें।

(ग) तहसील सलेमपुर के ६ तप्पों के माल के मुकदमें (लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट छोड़कर)

(४) (क) रेलवे ऐक्ट, प्योर फूड ऐक्ट के जिले भर के मुकदमें---

(ख) थाना खुखून्दू तथा खामपार के आई० पी०सी० व स्पेशल ऐक्ट के मुकदमे (स्थानीय निकायों व सेशन के मुकदमें छोड़कर)

जुडिशियल अफसर जो कसया में इजलास करते हैं

१—(क) तहसील हाटा व पडरौना के आई० पी० सी० के मुकदमे (सेशन के मुकदमें छोड़कर)

(ख) तहसील पडरौना के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मुकदमें तथा तहसील हाटा व पडरौना के म्युनिसिपल ऐक्ट व टाउन एरिया ऐक्ट के मुकदमें।

(ग) तहसील हाटा व पडरौना के पुलिस चालानी तथा इक्साइज इन्सपेक्टर सर्किल नं० ३ के एक्साइज ऐक्ट के मुकदमें ।

(घ) तहसील पडरौना व हाटा के माल के मुकदमें (लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट को छोड़कर)

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९६ पर)

जिला बुलन्दशहर के उन ग्रामों की सूची जहां पर कुछ विद्युत उपभोक्ताओं को रोशनी के हेतु विद्युत दी जा रही है—

क्रम संख्या	ग्रामों के नाम
	तहसील खुर्जा
१	छितारी
२	पिडंरावल
३	दानपुर
४	धर्मपुर
५	बेलौन
६	बनैल
	तहसील बुलन्दशहर
७	भूड़
८	बली पुरा
९	सेहरा
१०	सहानपुर
११	कुचसर
१२	बनबोई
१३	बैरी
१४	लखावठी
१५	लाइलेयर
१६	सेही
१७	चारपार
१८	बीरा
१९	पहाड़पुर
२०	सेहरांव
२१	बाल्का
२२	चंडक
२३	जडौल
२४	शिबाली
२५	मोकीमपुर
२६	बकतपुर
२७	कैलोनो मिर्जापुर
	तहसील बुलन्दशहर
२८	कैलवान
२९	भोन बहादुर नगर
३०	धमेरा
३१	जलालपुर
३२	नगला करन
३३	याकूब पुर
३४	जटपुरा
	तहसील सिकन्दराबाद
३५	चंदेरू
३६	बिलासपुर
३७	कनारसी
	तहसील अनूपशहर
३८	ताओली

जिला बुलन्द शहर के नगरों की सूची जिनमें रोशनी हेतु बिजली दी जा रही है—

क्रम संख्या	नगर का नाम	तहसील का नाम
१	सिकन्दराबाद	सिकन्दराबाद
२	डनकौर	सिकन्दराबाद
३	जहांगीराबाद	अनूपशहर
४	डिवाई	अनूपशहर
५	अनूपशहर	अनूपशहर
६	शिकारपुर	बुलन्दशहर
७	स्थाना	बुलम्दशहर
८	गुलावठी	बुलन्दशहर
९	खुर्जा	खुर्जा

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९८ पर)

ग्राम सितारा में ६–७ फरवरी, १९५५ में हुई घटना का विवरण

६ फरवरी, सन् १९५५ की रात को ७–३० बजे ग्राम सितारा के श्री अब्दुल बशीर को सूचना मिली कि भरौली के भर लोग उनकी मटर की फसल काट कर चुरा रहे हैं। श्री बशीर अपने दो साथियों के साथ वहां पहुंचे और भरों को गालियां दीं। भरों ने इन लोगों को मारा-पीटा, जिसके फलस्वरूप श्री बशीर के सर में चोट आ गई। उनके दो साथियों को भी कुछ मामूली चोटें आईं। यह लोग अपने अन्य १५ साथियों के साथ दीदारगंज चौकी गये, वहां पर आई० पी० सी० की धारा ३२३ / ४२६ के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई। तत्पश्चात् श्री बशीर अपने इलाज के लिये फूलपुर चले गये और अन्य लोग अपने गांव को वापिस चल दिये। करीब ३ बजे रात को ये लोग गांव से एक मील की दूरी पर थे, लगभग ५० आदमियों ने उन पर हमला किया। चार व्यक्तियों के चोटें आईं जिनमें से एक की मृत्यु हो गई। ७ फरवरी को सुबह ७–३० बजे १७ भरों के विरुद्ध आई० पी० सी० की धारा ३०२/१४८/१४९/३०७/३२४ के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखाई गई। मामले की जांच हो रही है।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०३ पर)

जिला फैजाबाद के थाना जलालपुर के अन्तर्गत अक्टूबर से दिसम्बर १९५४, के बीच हुई चोरियों का विवरण

क्रम संख्या	धारा	तारीख	ग्राम
१	४५७ भा० द० वि०	४/५–१०–५४	जलालपुर
२	४५७ ,, ,,	६–१०–१९५४	भसमा
३	४५७ ,, ,,	२३–१०–१९५४	चकिया
४	४५७ ,, ,,	१/२–११–१९५४	महमूदपुर
५	४५७ ,, ,,	१७/१८–११–१९५४	जलालपुर
६	४५७ ,, ,,	२२/२३–११–१९५४	उसरा डीह
७	४५७ ,, ,,	२१/२२–११–१९५४	नथूपुर लोधना सोहरपुर
८	४५७ ,, ,,	७/८–१२–१९५४	जलालपुर
९	४५७ ,, ,,	१९/२०–१२–१९५४	जमोली
१०	४५७ ,, ,,	२६–२७–१२–१९५४	बाराह कलां
११	४५७ ,, ,,	२८।२९–१२–१९५४	जाफरपुर
१२	३८२ ,, ,,	७–१०–१९५४	बारापुर

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०४ पर।)

IMPORTANT

No. 1218/II-B—123-53

FROM

SRI K. P. BHARGAVA, I.C.S.,
CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

TO

ALL HEADS OF DEPARTMENTS AND PRINCIPAL HEADS OF OFFICES,
UTTAR PRADESH,

Dated Lucknow, May 6, 1954.

Subject : **Representation of Scheduled Castes, etc. in the Public Services of the State**

SIR,

Appt. (B) Deptt.

I AM directed to invite a reference to G. O. no. 2328/II-B—104-1952, dated September 22, 1953, conveying the decision of the State Government to raise the representation of members of the Scheduled Castes in the public services of the State from 10 per cent to 18 per cent and to say that this matter was recently raised in the Legislative Assembly of the State when the following non-official resolution was adopted by the House :—

"उत्तर प्रदेश सरकार ने परिगणित जातियों को सरकारी नौकरियों में दिये गये १० प्रतिशत संरक्षण को बढ़ा कर १८ प्रतिशत कर देने का जो निश्चय किया है इसके लिये यह सदन सरकार की सराहना करता है और आशा करता है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन तथा नौकरियों के चुनाव के लिये अन्य प्रत्येक चुनाव समिति (Selection Board) सरकार के इस निश्चय को पूर्णरूपेण कार्यान्वित करेगी।"

Government desire that all appointing authorities should make a careful note of the wishes of the State Legislative Assembly as embodied in the aforesaid resolution, and that the greatest possible care should be exercised to ensure that the sanctioned quota of vacancies is made available to members of the Scheduled Castes in accordance with the general policy of Government as indicated in the Government Order of September 22, 1953. I am further to point out that it is the duty of all appointing authorities to furnish promptly and carefully information regarding the distribution of vacancies filled by direct recruitment in a year, between the Scheduled Castes and others, together with reasons in explanation of the cases, if any, in which the allocation of such

vacancies has not been made in accordance with Government's orders regarding reservation for members of the Scheduled Castes. The form prescribed for furnishing this information to Government is appended to Appointment (B) Department's office memorandum no. 592/II-B--25-1953, dated October 6, 1953.

2. Another important question to which I am to invite your attention relates to the implementation of the following non-official resolution which was adopted by the State Legislative Assembly on April 23, 1954:

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि संविधान व सरकार की नीति पिछड़े वर्ग के पक्ष में होते हुये भी इस वर्ग का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में अभी तक न होने के तुल्य है। अतः पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के समुचित प्रतिनिधित्व के हेतु सरकारी नीति वास्तविक रूप में कार्यान्वित कराई जावे।"

Instructions were issued in this behalf in G. O. no. O-1648/II-B--89-1950, dated June 9, 1950, to the effect that candidates from backward classes (other than those which fell within the specified category of Scheduled Castes) should be given full consideration when making recruitment for appointments to Government services, where the recruitment is not based on a competitive examination or test, and that if they are found qualified, such candidates should be recruited in adequate numbers. It is to be noted that unlike the case of the Scheduled Castes, no specific reservation is admissible in the case of other backward classes, nor is there any hard and fast list of these other backward classes of the State, having statutory force, such as there is in the case of the Scheduled Castes, even though for the purpose of granting special educational facilities, etc., a list of such classes has been drawn up and adopted for some time in the Education Department. In the circumstances, it is left to the appointing authorities to decide what should be deemed to be a 'backward class' for this purpose, and what should be the quantum of the special consideration to be shown to candidates belonging to a particular backward class on a particular occasion. It is not possible to lay down any hard and fast rules in this behalf, but there are two criteria which in the very nature of things should always be satisfied, namely : (i) educational backwardness, and (ii) inadequate representation in the services as a result of educational backwardness or other similar handicaps. It should also be remembered that while giving special consideration to the backward classes in the manner indicated above, no discrimination is to be made on the ground of religion or creed. This last aspect of the matter needs to be particularly emphasised because Government are anxious that no section of the community, whether Hindus, Muslim, Christian or Sikh, etc., should have any legitimate cause for feeling that its interests are being neglected or that is being deprived of its due share in the machinery of the State's administration. And lastly, of course, it is necessary that the persons to be appointed should always possess the minimum qualifications required for the post in question in accordance with the provisions laid down in the Constitution. I am to add that there are a few backward classes not included in the category of Scheduled Castes, in respect of which Government have already sanctioned the same concessions regarding the

age for recruitment to the public services as are admissible to members of the Scheduled Castes, (*vide* Appointment Department's Miscellaneous Notification no. B-80—II-B-53, date March 18, 1953) and consistently with that decision these particular classes could always be considered eligible by the appointing authorities for the grant of special consideration in making recruitment to Government services in terms of the Government Order of June 9, 1950.

Yours faithfully,
K. P. BHARGAVA,
Chief Secretary.

No. 1218(1)/II-B—123-53

COPY forwarded for information to—:

(1) All Departments of the Secretariat.
(2) The Secretary, Public Service Commission, Uttar Pradesh, Allahabad.
(3) The Registrar, High Court, Allahabad.
(4) The Secretary to the Governor, Uttar Pradesh.

By order,
H. K. TANDON,
Deputy Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ८ एल० ए०—१९५५—७९६।